-38- -40- ANNEX-P/4

-41-

सत्र प्र.क.–21/2021

प्रारूप–घ **न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर जिला–इंदौर (म.प्र.)** **(पीठासीन अधिकारी : निलेश यादव)**
सत्र प्रकरण कमांक–21/2021 **फाईलिंग कमांक–975/2021** **सी.एन.आर.नं.–एम.पी.0907.001175.2021** **संस्थापन दिनांक–14.01.2013** **//निर्णय//** **(आज दिनांक 23.12.2023 को उद्घोषित किया गया)** **(सत्र प्रकरण कमांक–21/2021)** प्र.सू.रि./अपराध कमांक/पुलिस थाने का विवरण

अभियोजन/परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री शिवनाथसिंह मावई अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**01–** संतोष पिता रामेश्वर गडरिया, उम्र– 35 वर्ष, व्यवसाय– ड्रायवरी, निवासी– ग्राम पूरे गजराज सिंह तहसील तिलोई जिला अमेठी उ.प्र.। **02–** ओमप्रकाश पिता कमल सिंह लोधी, उम्र–50 वर्ष, व्यवसाय– हेल्परी, निवासी– ग्राम रोजराचक थाना उमरावगंज, जिला रायसेन। **03–** श्रीमती प्रीति गायकवाड़ पति श्री एम.के. गायकवाड़, उम्र– 49 वर्ष, व्यवसाय– आबकारी निरीक्षक निवासी– क्लेटन 71 ब्लाक नं. 17 सहयाद्री परिसर डिपो चौराहा भोपाल। **04–** दिनकर सिंह पिता स्व. श्री अंबिका सिंह, उम्र– 55 वर्ष, व्यवसाय– सुपरवाईजर सोम डिस्टलरीज सेहतगंज जिला रायसेन, निवासी– 93 प्रेस कॉलोनी आनंद नगर भोपाल। **05–** उमाशंकर पिता श्री भैय्यालाल शर्मा, उम्र– 46 वर्ष, व्यवसाय–सुपरवाईजर सोम डिस्टलरीज रोजराचक रायसेन, निवासी– सी–12 जे.पी. कॉलोनी आनंद नगर भोपाल। **06–** सुरजीत लाल पिता स्व. श्री हाकिमचंद, उम्र– 80 वर्ष, व्यवसाय– सेवानिवृत्त, निवासी– ए–12 मणिप्पुरम कॉलोनी चार इमली,

T.C. Advt

	जिला भोपाल। **07–** रामप्रसाद पिता स्व. श्री इन्द्रमणि मिश्रा, उम्र– 65 वर्ष, व्यवसाय– उपनिरीक्षक आबकारी, निवासी– बी– 536 सर्वधर्म कोलार रोड़ भोपाल। **08–** मोहन सिंह तोमर पिता स्व. श्री अब्बल सिंह तोमर उम्र– 51 वर्ष, व्यवसाय– सुपरवाईजर सोम डिस्टलरीज सेहतगंज रायसेन। निवासी– 129 बिजली कॉलोनी आनंद नगर थाना पिपलानी जिला भोपाल। **09–** दीनानाथ सिंह पिता श्री कैलाश सिंह, उम्र– 51 वर्ष, व्यवसाय– संचालक सोम डिस्टलरीज ब्रेवरेज लिमिटेड भोपाल, निवासी– 312–2सी साकेत नगर भोपाल। **10–** शैलेन्द्र सिंह पिता श्री प्रताप सिंह राजपूत, उम्र– 52 वर्ष, व्यवसाय– मैनेजर सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरेज लिमिटेड भोपाल। निवासी– 32 शिक्षक कॉलोनी ब्राईट कैरियर स्कूल के पास थाना कोतवाली जिला विदिशा। **11–** मदन सिंह पंवार पिता स्व. श्री मुंशीलाल पंवार, उम्र– 64 वर्ष, व्यवसाय– सेवानिवृत सहायक जिला आबकारी अधिकारी, निवासी– ई–380, मिनाल रेसीडेंसी जे. के. रोड़ भोपाल। **12–** कैलाशचंद्र पिता स्व. श्री नारायण बंगाली, उम्र– 72 वर्ष, व्यवसाय– सेवानिवृत्व जिला आबकारी अधिकारी, निवासी– 26–ए श्रीकृष्ण नगर थाना कोतवाली, जिला देवास। **13–** गुरूदर्शन अरोरा पिता गुरूचरण अरोरा, उम्र– 58 वर्ष, व्यवसाय– मैनेजर सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. भोपाल, निवासी– 143 सागर ऐवेन्यू अयोध्या बायपास रोड़ भोपाल। **14–** अजय कुमार पिता मोहनलाल अरोरा **(दिनांक 27.11.15 को कार्यवाही समाप्त)** **15–** जगदीश कुमार पिता मोहनलाल अरोरा **(दिनांक 27.11.15 को कार्यवाही समाप्त)** **16–** वीरेन्द्र कुमार पिता श्रीराम भारद्वाज **(मृत)** **17–** संजय गुहे पिता एम.एस. गुहे **(मृत)**
आरोपीगण की ओर से प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रजनीश बरैया अधिवक्ता।

सत्र प्र.क.–21/2021

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	14.12.2011
प्र.सू.रि. की तारीख	14.12.2011
अभियोग पत्र की तारीख	17.12.2012
आरोपों के विरचना की तारीख	02.05.2016
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	11.07.2016
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	13.12.2023
निर्णय की तारीख	23.12.2023
दण्डादेश यदि कोई हो, की तारीख	23.12.2023

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफतारी की तारीख**	**जमानत रिहा किये जाने की तारीख**	**अपराध जिनका आरोप है**	**दोषमुक्ति या दोषसिद्धि**	**अधिरोपित दण्डादेश**	**धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि**
1	संतोष	14.12.11	06.02.12	34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	दिनांक 15.12.11 से 22.12.11 तक 7 दिन पुलिस अभिरक्षा।
							दिनांक 22.12.11 से 06.02.12 तक 1 माह 15 दिन न्यायिक अभिरक्षा
2	ओमप्रकाश	14.12.11	06.02.12	34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111	दिनांक 15.12.11 से 22.12.11 तक 7 दिन

						अनुसार।	पुलिस अभिरक्षा। दिनांक 22.12.11 से 06.02.12 तक 1 माह 15 दिन न्यायिक अभिरक्षा
3	श्रीमति प्रीति गायकवाड़	13.06.12	13.06.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका —111 अनुसार।	निरंक
4	दिनकर सिंह	13.06.12	13.06.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका —111 अनुसार।	निरंक
5	उमाशंकर शर्मा	13.06.12	13.06.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका —111 अनुसार।	निरंक
6	सुरजीत	07.07.12	17.07.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका —111 अनुसार।	दिनांक 07.07.12 से 13.07.12 तक 6 दिन पुलिस अभिरक्षा दिनांक 13.07.12 से 17.07.12 तक 4 दिन न्यायिक अभिरक्षा

7	रामप्रसाद मिश्रा	12.07.12	12.07.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	निरंक
8	मोहन सिंह तोमर	12.07.12	12.07.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	निरंक
9	दीनानाथ सिंह	12.07.12	12.07.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	निरंक
10	शैलेन्द्र सिंह	12.07.12	12.07.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	निरंक
11	मदन सिंह पंवार	23.07.12	23.07.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	निरंक
12	कैलाशचंद्र बंगाली	08.08.12	08.08.12	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	निरंक
13	गुरूदर्शन अरोरा	निरंक	26.03.12 (अग्रिम जमानत पर रिहा)	भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका –111 अनुसार।	निरंक

सत्र प्र.क.–21/2021

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अ.सा.–1	रूबाब खान	आरोपी संतोष व ओमप्रकाश की गिरफ्तारी, जप्ती व मेमोरेंडम का साक्षी
अ.सा.–2	शैलेन्द्र बरवे	एक फार्म कोरा चार भाग में एफ.एल. 22 नमूना हेतु, विवादित फार्म एफ.एल. 22 का जप्ती पत्रक प्र.पी–08 का साक्षी
अ.सा.–3	संजय कुलकर्णी	एक फार्म कोरा चार भाग में एफ.एल. 22 नमूना हेतु, विवादित फार्म एफ.एल. 22 के जप्ती पत्रक प्र.पी–08 का साक्षी
अ.सा.–4	रहीश पटेल	आरोपी संतोष व ओमप्रकाश की गिरफ्तारी, जप्ती एवं मेमोरेंडम का साक्षी
अ.सा.–5	बालकृष्ण	परमिट बुक एफ.एल. 22 बी 09601 से बी 09700 तक के जप्ती पत्रक प्र.पी–11 का साक्षी
अ.सा.–6	मो. शाबीर	परमिट बुक एफ.एल. 22 बी 09601 से बी 09700 तक के जप्ती पत्रक प्र.पी–11 का साक्षी
अ.सा.–7	सत्येन्द्र	संतोष कुमार बघेल से जप्तशुदा एक परमिट बुक फॉर्म एफ.एल. 22 आर्टिकल ए–1 का साक्षी
अ.सा.–8	आर.सी. त्रिवेदी	प्रमोद झा से की गयी रजिस्टर, परमिट बुक, एफ एल 22 कमांक 10901 से 11000 व पुलिस अधीक्षक इंदौर को सम्बोधित पत्र के जप्ती पत्रक प्र.पी– 13 का साक्षी
अ.सा.–9	राजू गौड़	रामेश्वर मिश्रा से की गयी स्वभाविक हस्ताक्षर के दस्तावेज के जप्ती पत्रक प्र.पी–14 का साक्षी
अ.सा.–10	संतोष बघेल	आर्टिकल ए–1 की परमिट बुक प्रस्तुत करने व मदनसिंह पवार से जप्त रजिस्टर प्र.पी–104, प्र. पी–105, कार्यविभाजन पत्रक प्र.पी–106 और मासिक पत्रक प्र.पी–109 के जप्ती पत्रक प्र.पी–15 का साक्षी
अ.सा.–11	रमेश सक्सेना	पुलिस कथन का साक्षी
अ.सा.–12	प्र.आर. 220 रामप्रसाद	जप्ती पत्रक प्र.पी–18 का साक्षी

	सोलंकी	
अ.सा.–13	प्र.आर. 2924 राजेश पटेल	विवेचक द्वारा मुखबिर सूचना पर घटनास्थल घाटाबिल्लोद पर तलब किया गया पुलिस कर्मचारी
अ.सा.–14	हरिओम शिवहरे	गिरफ्तारी, मेमोरेंडम व जप्ती का साक्षी
अ.सा.–15	धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया	जप्ती पत्रक प्र.पी–14 का साक्षी
अ.सा.–16	रामबिलास धाकड़	जप्ती पत्रक प्र.पी–12 व प्र.पी–18 का साक्षी
अ.सा.–17	सरदार सिंह	जप्ती पत्रक प्र.पी–11 लेखकर्ता साक्षी
अ.सा.–18	सुनील उर्फ शशि	गिरफ्तारी, मेमोरेंडम व जप्ती का साक्षी
अ.सा.–19	बृजमोहन शिवहरे	गिरफ्तारी, मेमोरेंडम व जप्ती का साक्षी
अ.सा.–20	केशर सिंह मकवाना	विवेचक द्वारा मुखबिर सूचना पर घटनास्थल घाटाबिल्लोद पर तलब किया गया पुलिस कर्मचारी
अ.सा.–21	आर.एस. मकवाना	विवेचक द्वारा मुखबिर सूचना पर घटनास्थल घाटाबिल्लोद पर तलब किया गया पुलिस कर्मचारी
अ.सा.–22	जहांगीर खान	केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से मुद्रित एफ एल 22 की 200 पुस्तक प्राप्त कर कार्यालय में जमा करने का साक्षी
अ.सा.–23	प्रदीप सिटोके	एफ एल 22 की 10 बुक प्राप्त कर आरक्षक संतोष बघेल को प्रदान करने का साक्षी
अ.सा.–24	अतुल कुमार दुबे	प्रमोद झा से जप्त की गयी जप्ती पत्रक प्र.पी–42 का साक्षी
अ.सा.–25	अर्जुन	दिनकरसिंह से जप्त किये गये नमूना लिखावट के जप्ती पत्रक प्र.पी–47 का साक्षी
अ.सा.–26	आबकारी उप.नि. एन. पी. सोलंकी	आयात परमिट जारी करने वाले आबकारी कार्यालय दीव का आबकारी निरीक्षक
अ.सा.–27	प्रमोद कुमार झा	प्र.पी–13 के माध्यम से रजिस्टर, निर्यात परमिट व पत्र प्रदानकर्ता
अ.सा.–28	एल. के. गुप्ता	चंचल गुड्स कैरियर को स्थान किराये पर प्रदानकर्ता
अ.सा.–28 (जिसे अ.सा.–28 ए पढ़ा जावे)	आर. बी. सेन	जप्ती पत्रक प्र.पी–11 के माध्यम से एफ एल 22 बी 9601 से बी 9700 का परमिट विवेचक को प्रदानकर्ता
अ.सा.–29	राजेश आहुजा	हस्तलिपि विशेषज्ञ
अ.सा.–30	विलास मंथनवार	उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल के पद पर पदस्थ होकर विवादित परमिट का जांच कर्ता

(S Rai) ADJ

45 -45 -48

अ.सा.–31	डी.एस. बघेल	विवेचक

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी.–1/अ.सा.–1	साक्षी रूबाब खान का पुलिस कथन
2	प्र.पी.–2/अ.सा.–1	आरोपी संतोष से जप्तशुदा ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 जिसमें 1200 पेटी अंग्रेजी शराब आदि व उक्त ट्रक का परमीट मीयद, बीमा मीयद, फीटनेस मीयादी व रजिस्ट्रेशन व चालक का ड्रायविंग लायसेंस मीयादी का जप्ती पत्रक
3	प्र.पी.–3/अ.सा.–1	आरोपी ओमप्रकाश से एक परमीट भारत निर्मित विदेश शराब का, एक बिल्टी चंचल गुड्स केरियर की दो प्रति में ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 की 1200 पेटी शराब की, एक इनवॉईस सोम डिस्टलिरी एण्ड ब्रेबरीज लिमिटेड की दो प्रति में, एक परमीट एक्सपोर्ट विदेश मदिरा ब्राण्ड फॉर्म एफ.एल. 22 का जप्ती पत्रक
4	प्र.पी.–4/अ.सा.–1	आरोपी संतोष का गिरफ्तारी पत्रक
5	प्र.पी.–5/अ.सा.–1	आरोपी ओमप्रकाश का गिरफ्तारी पत्रक

[signature]

6	प्र.पी.–6 / अ.सा.–1	आरोपी संतोष से पूछताछ का धारा 27 का मेमोरेंडम कथन
7	प्र.पी.–7 / अ.सा.–1	आरोपी ओमप्रकाश से पूछताछ का धारा 27 का मेमोरेंडम कथन
8	प्र.पी.–8 / अ.सा.–2	विलास मंथनकर से एक फार्म कोरा चार भाग में एफ.एल. 22 नमूना हेतु, विवादित फार्म एफ.एल. 22 का जप्ती पत्रक
9	प्र.पी.–9 / अ.सा.–3	साक्षी एस.व्ही. कुलकर्णी का पुलिस कथन
10	प्र.पी.–10 / अ.सा.–4	साक्षी रईश का पुलिस कथन
11	प्र.पी.–11 / अ.सा.–5	आर.बी. सैन से एक परमिट बुक एफ.एल. 22 का जप्ती पत्रक
12	प्र.पी.–12 / अ.सा.–7	संतोष कुमार बघेल से जप्तशुदा एक परमिट बुक फॉर्म एफ.एल. 22 का जप्ती पत्रक
13	प्र.पी.–13 / अ.सा.–8	प्रमोद कुमार से जप्तशुदा एक रजिस्टर, एक निर्यात परमिट बुक, पत्र का जप्ती पत्रक।
14	प्र.पी.–14 / अ.सा.–9	रामप्रसाद मिश्रा से जप्तशुदा 9 कागज जिसके पृष्ठ क्र. 1 से 9 तक में अंग्रेजी में जिला आबकारी अधिकारी मुद्रा अंकित है, एक पृष्ट जिसमें जिला आबकारी अधिकारी की अंग्रेजी की सील लगी है, एक ट्रांसफोर्ट परमिट फार्म एफ.एल. 14 की काउन्टर बुक का जप्ती पत्रक
15	प्र.पी.–15 / अ.सा.–10	मदन सिंह पंवार से जप्तशुदा एक रजिस्टर फार्म डी–21 देनदिनी का, एक रजिस्टर जावक पंजी प्रिंटेड जिल्द वाला, 5 पृष्ट छायाप्रति सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन के आदेश की, एक फाईल जिसमें अप्रेल 2011 से मार्च 2012 तक का मासिक पत्रक की कार्यालयीन प्रति का जप्ती पत्रक
16	प्र.पी.–16 / अ.सा.–10	साक्षी संतोष कुमार बघेल के पुलिस कथन
17	प्र.पी.–17 / अ.सा.–11	साक्षी रमेश सक्सेना के पुलिस कथन
18	प्र.पी.–18 / अ.सा.–12	आर. 30 रामविलास से जप्तशुदा एक आवेदनपत्र जो पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल को संबोधित है का जप्ती पत्रक
19	प्र.पी.–19 / अ.सा.–12	पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल को संबोधित पत्र
20	प्र.पी.–20 / अ.सा.–14	आरोपी श्रीमती प्रीति गायकवाड़ का गिरफ्तारी पत्रक
21	प्र.पी.–21 / अ.सा.–14	आरोपी संजय गुहे का गिरफ्तारी पत्रक

22	प्र.पी.–22/अ.सा.–14	आरोपी दिनकर सिंह का गिरफ्तारी पत्रक
23	प्र.पी.–23/अ.सा.–14	आरोपी उमाशंकर शर्मा का गिरफ्तारी पत्रक
24	प्र.पी.–24/अ.सा.–14	आरोपी कैलाश चंद्र बंगाली का गिरफ्तारी पत्रक
25	प्र.पी.–25/अ.सा.–14	आरोपी अजय कुमार अरोरा का गिरफ्तारी पत्रक
26	प्र.पी.–26/अ.सा.–14	आरोपी दिनकर सिंह से पूछताछ का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन
27	प्र.पी.–27/अ.सा.–14	आरोपी उमाशंकर शर्मा से पूछताछ का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन
28	प्र.पी.–28/अ.सा.–14	आरोपी कैलाशचंद्र बंगाली से पूछताछ का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन
29	प्र.पी.–29/अ.सा.–14	आरोपी प्रीति गायकवाड़ से 6 पृष्टों में प्रत्येक पृष्ट में 6–6 नमूना हस्ताक्षर का जप्ती पत्रक
30	प्र.पी.–30/अ.सा.–14	आरोपी संजय गुहे से विवादित हस्ताक्षर अनुसार 6 पृष्ट में प्रत्येक पृष्ट में 6–6 नमूना हस्ताक्षर का जप्ती पत्रक
31	प्र.पी.–31/अ.सा.–14	आरोपी दिनकर सिंह से जप्तशुदा नमूना हस्तलेख अंग्रेजी में 6 पृष्ठ में तथा प्रकरण में जप्तशुदा बिल्टी की हूबहू नकल 6 प्रतियों में, एक परमिट का जप्ती पत्रक
32	प्र.पी.–32/अ.सा.–14	आरोपी उमाशंकर से जप्तशुदा विवादित परमिट क्र. बी 10363 की नकल हूबहू 6 प्रति में अलग–अलग नमूना हस्तलेख हेतु तथा पृथक से 6 पृष्ट में नमूना हस्तलेख हेतु अंग्रेजी इबारत का जप्ती पत्रक
33	प्र.पी.–33/अ.सा.–14	आरोपी कैलाशचंद्र बंगाली से जप्तशुदा विवादित परमिट काउन्टर बुक के हस्ताक्षर के अनुसार 6 पृष्ट में प्रत्येक में 6–6 हस्ताक्षर नमूना का जप्ती पत्रक
34	प्र.पी.–34/अ.सा.–14	आरोपी उमाशंकर शर्मा से जप्तशुदा विवादित दस्तावेजों का जप्ती पत्रक
35	प्र.पी.–35/अ.सा.–14	आरोपी मोहन सिंह तोमर से जप्तशुदा विवादित दस्तावेजों का जप्ती पत्रक
36	प्र.पी.–36/अ.सा.–18	आरोपी रामप्रसाद मिश्रा का गिरफ्तारी पत्रक
37	प्र.पी.–37/अ.सा.–18	आरोपी मोहन सिंह तोमर का गिरफ्तारी पत्रक
38	प्र.पी.–38/अ.सा.–18	आरोपी दिनानाथ सिंह का गिरफ्तारी पत्रक
39	प्र.पी.–39/अ.सा.–18	आरोपी शैलेन्द्र सिंह का गिरफ्तारी पत्रक
40	प्र.पी.–40/अ.सा.–18	आरोपी वीरेन्द्र कुमार भारद्वाज का गिरफ्तारी पत्रक

41	प्र.पी.–41/अ.सा.–18	आरोपी मदन सिंह पंवार का गिरफ्तारी पत्रक
42	प्र.पी.–42/अ.सा.–18	आरोपी मदन सिंह पंवार से जप्तशुदा 8 काउन्टर भाग 1, फार्म एफ.एल. 22 की निर्यात परमिट बुक का जप्ती पत्रक
43	प्र.पी.–43/अ.सा.–18	आरोपी रामप्रसाद मिश्रा से जप्तशुदा नमूना हस्ताक्षर 6 कागज का जप्ती पत्रक
44	प्र.पी.–44/अ.सा.–18	आरोपी मोहन सिंह तोमर से जप्तशुदा हस्तलेख नमूना 6 कागज में अंग्रेजी इबारत का जप्ती पत्रक
45	प्र.पी.–45/अ.सा.–18	आरोपी मदन सिंह पंवार से जप्तशुदा नमूना हस्ताक्षर 6 प्रति में प्रत्येक प्रति में 6–6 हस्ताक्षर नमूना का जप्ती पत्रक
46	प्र.पी.–46/अ.सा.–18	आरोपी वीरेन्द्र कुमार भारद्वाज से जप्तशुदा नमूना हस्ताक्षर 6 प्रति में प्रत्येक में 6–6 हस्ताक्षर का जप्ती पत्रक
47	प्र.पी.–47/अ.सा.–18	आरोपी दिनकर सिंह से जप्तशुदा विवादित दस्तावेजों का जप्ती पत्रक
48	प्र.पी.–47(जिसे प्र.पी–47 ए पढ़ा जावे) /अ.सा.–22	उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को मुद्रित टेण्डर प्रपत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में लिखा गया पत्र।
49	प्र.पी.–48/अ.सा.–22	जहांगीर खान द्वारा प्राप्त की गयी पुस्तकों की पावती
50	प्र.पी.–48 (जिसे प्र.पी–48–ए पढ़ा जावे) /अ.सा.–26	एन.पी. सोलंकी द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को दी गयी जानकारी का पत्र
51	प्र.पी.–49/अ.सा.–23	परिवहन परमिट बुकें प्रदाय करने का पत्र
52	प्र.पी.–49 (जिसे प्र.पी–49–ए पढ़ा जावे) /अ.सा.–26	एन.पी. सोलंकी द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को लिखा गया पत्र।
53	प्र.पी.–50/अ.सा.–23	विदेशी मदिरा निर्यात् पारपत्र की सत्यापित प्रतिलिपी
54	प्र.पी.–50(जिसे प्र.पी.–50 ए पढ़ा जावे) /अ.सा.–26	आबकारी उपायुक्त बी.एस. ठाकुर द्वारा थाना प्रभारी बेटमा इंदौर को परमिट के संबंध में लिखित में जानकारी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उपलब्ध करवाने का पत्र
55	प्र.पी.–51/अ.सा.–27	प्रमोद कुमार झा का पुलिस कथन
56	प्र.पी.–52/अ.सा.–29	राज्य परीक्षक विवादग्रस्त प्रलेख पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र. को जप्तशुदा संबंधित दस्तावेजों की जांच कर विशेषज्ञ अभिमत प्रदान करने के संबंध में

TC B.Rao Addl.

		पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इंदौर द्वारा लिखा गया पत्र।
57	प्र.पी.–53/अ.सा.–29	राज्य परीक्षणक विवादग्रस्त प्रलेख पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र. को पुलिस अधिक्षक (पश्चिम) इंदौर द्वारा जप्त दस्तावेजों की जांच के संबंध में लिखा गया पत्र
58	प्र.पी.–54/अ.सा.–29	दस्तावेजों की पावती रसीद
59	प्र.पी.–55/अ.सा.–29	परमिट
60	प्र.पी.–56/अ.सा.–29	क्यू 396 एवं क्यू 397 एक परमिट की फोटोकॉपी जिस पर रसीद क. 10356 अंकित है।
61	प्र.पी.–57/अ.सा.–29	चंचल गुड्स कैरियर की रसीद कमांक 543
62	प्र.पी.–58/अ.सा.–29	आरोपी दिनकर सिंह के बताये गये नमूना हस्ताक्षरों एवं लिखावटों का 76 पृष्टिय नमूना जिसमें ए–1 लगायत ए–76 चिन्हित है।
63	प्र.पी.–59/अ.सा.–29	आरोपी उमाशंकर शर्मा के बताये गये नमूना हस्ताक्षर व लिखावट 62 पृष्टीय जिसमें बी–1 लगायत बी–62 चिन्हित है।
64	प्र.पी.–60/अ.सा.–29	आरोपी मोहन सिंह के नमूना हस्ताक्षर व लिखावट 186 पृष्टीय जिसमें सी–1 लगायत सी–186 चिन्हित है।
65	प्र.पी.–61/अ.सा.–29	आरोपी रामप्रसाद मिश्रा के नमूना हस्ताक्षर व लिखावट 6 पृष्टीय जिसमें आर–1 लगायत आर– 6 चिन्हित है।
66	प्र.पी.–62 लगायत 64/अ.सा.–29	आर–10 लगायत आर–18, 9 पृष्टीय आवेदन कुल 3 में
67	प्र.पी.–65/अ.सा.–29	आरोपी वीरेन्द्र भारद्वाज के नमूना हस्ताक्षर व लिखावट 6 पृष्टीय जिसमें वी–1 लगायत वी– 6 चिन्हित है।
68	प्र.पी.–66 लगायत 68/अ.सा.–29	वी–24 लगायत वी–27 तीन पृष्टीय आवेदन कुल 3 में
69	प्र.पी.–69/अ.सा.–29	आरोपी मदन सिंह पंवार के नमूना हस्ताक्षर व लिखावट 6 पृष्टीय जिसमें एम–1 लगायत एम–6 चिन्हित है।
70	प्र.पी.–70 लगायत 77/अ.सा.–29	आरोपी मदन सिंह पंवार के स्वाभाविक हस्ताक्षर 8 पृष्टीय जिसमें एम– 7 लगायत एम–14 चिन्हित है जो कुल 8 पृष्ट आवेदन है।
71	प्र.पी.–78/अ.सा.–29	आरोपी कैलाशचंद्र बंगाली के नमूना हस्ताक्षर व लिखावट 6 पृष्टीय जिसमें के–1 लगायत के–6

		चिन्हित है।
72	प्र.पी.–79/अ.सा.–29	आरोपी श्रीमती प्रीति गायकवाड़ के नमूना हस्ताक्षर 6 पृष्टीय जिसमें जी–1 लगायत जी–6 अंकित है।
73	प्र.पी.–80/अ.सा.–29	आरोपी संजय गुहे के नमूना हस्ताक्षर 6 पृष्टीय जिसमें एस–1 लगायत एस–6 चिन्हित है।
74	प्र.पी.–81/अ.सा.–29	नमूना परमिट
75	प्र.पी.–82/अ.सा.–29	राजेश आहूजा द्वारा दिया गया अभिमत कुल 4 पृष्टों में
76	प्र.पी.–83/अ.सा.–29	राजेश आहूजा द्वारा दी गयी राय के आधार कुल 10 पृष्ट में
77	प्र.पी.–84/अ.सा.–29	राजेश आहूजा द्वारा पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर की ओर भेजा गया सीलबंद पैकेट के संबंध में अग्रेषण पत्र।
78	प्र.पी.–85/अ.सा.–30	उप नियंत्रक विलास मंथनवार द्वारा थाना प्रभारी बेटमा जिला इंदौर को दी गयी रिपोर्ट
79	प्र.पी.–86/अ.सा.–30	अरूण कुमार भट्ट आबकारी आयुक्त म.प्र. द्वारा उपनियत्रंक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को विभागीय उपयोग हेतु विभागीय प्रपत्र एफ.एल. 22 मुद्रण कराये जाने के संबंध में लिखा गया पत्र
80	प्र.पी.–87/अ.सा.–30	उपनियंत्रक विलास मंथनवार द्वारा थाना प्रभारी बेटमा जिला इंदौर को जप्तशुदा मूल कोटे परमिट बुक की जांच के संबंध में दी गयी रिपोर्ट
81	प्र.पी.–88/अ.सा.–30	थाना प्रभारी बेटमा द्वारा उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल म.प्र. को जप्तशुदा परमिट की जांच बाबत् लिखे गये प्रति की प्रति
82	प्र.पी.–89/अ.सा.–30	उपनियंत्रक विलास मंथनवार द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को दी गयी जप्त परमिट बुक के संबंध में जांच रिपोर्ट
83	प्र.पी.–90/अ.सा.–30	थाना प्रभारी बेटमा द्वारा उपनियंत्रक को जप्तशुदा काउन्टर बुक निर्यात परमिट फार्म एफ.एल. 22 की जांच के संबंध में लिखा गया पत्र।
84	प्र.पी.–91/अ.सा.–30	उपनियंत्रक विलास मंथनवार द्वारा जप्त परिमिट बुक एफ.एल. 22 की जांच रिपोर्ट
85	प्र.पी.–92/अ.सा.–31	रवानगी रोजनामचा
86	प्र.पी.–93/अ.सा.–31	ओमप्रकाश से जप्तशुदा एक परमिट भारत निर्मित विदेश शराब का

87	प्र.पी.–94/अ.सा.–31	एक इनवॉईस दो पृष्ट में अंग्रेजी में तैयार सोम डिस्टलरीज एवं ब्रेवरिज लिमिटेड का
88	प्र.पी.–95/अ.सा.–31	वापसी का रोजनामचा
89	प्र.पी.–96/अ.सा.–31	प्र.सू.रि.
90	प्र.पी.–97/अ.सा.–31	थाना प्रभारी बेटमा द्वारा उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को परमिट की जांच विदेशी मदिरा एफ.एल. 22 फार्म का परीक्षण करने के संबंध में लिखा गया पत्र
91	प्र.पी.–98/अ.सा.–31	सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन म.प्र. द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचनापत्र की तामीली के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा गया पत्र।
92	प्र.पी.–99/अ.सा.–31	जप्तशुदा परमिट बुको से उल्लेखित चालान नंबर और राशि की एक सूची 27 पृष्ठों की
93	प्र.पी.–100/अ.सा.–31	बैंक में चालान जमा राशि के विवरण की सूची
94	प्र.पी.–101/अ.सा.–31	आरोपी सुरजीतलाल का गिरफ्तारी पत्रक
95	प्र.पी.–102/अ.सा.–31	आरोपी जगदीश कुमार अरोरा का गिरफ्तारी पत्रक
96	प्र.पी.–103/अ.सा.–31	आरोपी सुरजीतलाल से पूछताछ का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन
97	प्र.पी.–104/अ.सा.–31	डी.एस. बघेल द्वारा आरोपी मदन सिंह पंवार से जप्तशुदा रजिस्टर फॉर्म डी–21
98	प्र.पी.–105/अ.सा.–31	जप्तशुदा एक रजिस्टर जावक पंजी प्रिंटेड जिल्द वाला
99	प्र.पी.–106/अ.सा.–31	सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन म.प्र. के आदेश की सत्यापित प्रति
100	प्र.पी.–107/अ.सा.–31	म.प्र. राजपत्र की प्रमाणित प्रति।
101	प्र.पी.–108/अ.सा.–31	म.प्र. राजपत्र प्रमाणित प्रति।
102	प्र.पी.–109/अ.सा.–31	एक फाईल जिसमें अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक का मासिक पत्र की कार्यालयीन प्रति
103	प्र.पी.–110/अ.सा.–31	आरोपी दिनकर के नमूना हस्ताक्षर व हस्तलेख
104	प्र.पी.–111/अ.सा.–31	आरोपी डी.एन. सिंह से जप्तशुदा एक सूची, एक पत्र, एक सत्यापित प्रति लायसेंस फार्म बी–3 बियर निर्माण का, बैलेंस सीट की सत्यापित प्रति का जप्ती पत्रक
105	प्र.पी.–112/अ.सा.–31	शहजाद से जप्तशुदा इकरारनामा का जप्ती पत्रक

106	प्र.पी.–113 / अ.सा.–31	जे.के. अरोरा द्वारा सुरजीतलाल को लिखा गया पर्सनल एवं कॉन्फिडेंसियल पत्र
107	प्र.पी.–114 / अ.सा.–31	आरोपी संजय गुहे द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
108	प्र.पी.–115 / अ.सा.–31	आरोपी वी.के. भारद्वाज द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
109	प्र.पी.–116 / अ.सा.–31	आरोपी के.सी. बंगाली द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
110	प्र.पी.–117 / अ.सा.–31	आरोपी श्रीमती प्रीति गायकवाड़ द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
111	प्र.पी.–118 / अ.सा.–31	आरोपी आर.पी. मिश्रा द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
112	प्र.पी.–119 / अ.सा.–31	आरोपी दिनकर सिंह द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
113	प्र.पी.–120 / अ.सा.–31	आरोपी मोहन सिंह तोमर द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
114	प्र.पी.–121 / अ.सा.–31	आरोपी उमाशंकर शर्मा द्वारा जारी विवादास्पद परमिट की जानकारी की सूची
115	प्र.पी.–122 / अ.सा.–31	थाना प्रभारी बेटमा द्वारा सहायक आयुक्त आबकारी डॉ. प्रमोद कुमार झा को दस्तावेज पेश करने हेतु जारी किया गया धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् नोटिस
116	प्र.पी.–123 / अ.सा.–31	सहायक आबकारी आयुक्त डॉ. प्रमोद कुमार झा द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को प्रदान की गयी बिंदुवार जानकारी के संबंध में पत्र
117	प्र.पी.–124 / अ.सा.–31	पुलिस अधीक्षक पश्चिम जिला इंदौर द्वारा कलेक्टर को प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक व अंग्रेजी शराब को राजसात किये जाने बाबत् लिखा गया पत्र।
118	प्र.पी.–125 / अ.सा.–31	कलेक्टर इंदौर द्वारा सी.जे.एम. इंदौर को प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक व शराब को राजसात किये जाने बाबत् कार्यवाही की दी गयी सूचना
119	प्र.पी.–126 / अ.सा.–31	सोम डिस्टलरीज एवं ब्रेवरीज के प्रभारी एम.एस. पंवार द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् उपलब्ध करायी गयी जानकारी के संबंध में पत्र।
120	प्र.पी.–127 / अ.सा.–31	प्रभारी अधिकारी सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज लिमि. के द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को उपलब्ध करवायी गयी

		बिंदुवार जानकारी
121	प्र.पी.—128/अ.सा.—31	थाना प्रभारी द्वारा आरोपी मदन सिंह को धारा 91 सी. आर.पी.सी. के तहत् दिया गया नोटिस
122	प्र.पी.—129/अ.सा.—31	थाना प्रभारी द्वारा आरोपी मदन सिंह को धारा 91 सी. आर.पी.सी. के तहत् दिया गया नोटिस
123	प्र.पी.—130/अ.सा.—31	सोम डिस्टलरीज में श्रीलाल को मीटिंग में उपस्थित होने के लिये अथॉरिटी पत्र
124	प्र.पी.—131/अ.सा.—31	सोम डिस्टलरी की ऑडिट रिपोर्ट संबंधी जानकारी
125	प्र.पी.—132/अ.सा.—31	सोम डिस्टलरीज की एनुअल रिपोर्ट
126	प्र.पी.—133/अ.सा.—31	थाना प्रभारी बेटमा द्वारा मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल को धारा 91 द.प्र.स. के तहत् भेजा गया नोटिस
127	प्र.पी.—134/अ.सा.—31	पी.एन.बी. द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को उपलब्ध करायी गयी जानकारी का पत्र
128	प्र.पी.—135/अ.सा.—31	थाना प्रभारी बेटमा के द्वारा पुलिस अधीक्षक इंदौर की ओर से निदेशक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर म.प्र. को जप्तशुदा प्रदर्शों की जांच कराने बाबत् लिखा गया पत्र।
129	प्र.पी.—136/अ.सा.—31	जांच रिपोर्ट
130	प्र.पी.—137/अ.सा.—31	शहजाद से जप्तशुदा इकरारनामा
131	प्र.पी.—138/अ.सा.—31	थाना प्रभारी बेटमा के द्वारा थाना प्रभारी दिनारा को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया पत्र
132	प्र.पी.—139/अ.सा.—31	थाना प्रभारी बेटमा के द्वारा थाना प्रभारी देवली जिला टोंक (राजस्थान) को सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड जिला रायसेन के संबंध में पंजीबद्ध अपराधों की जानकारी देने बाबत् लिखा गया पत्र।
133	प्र.पी.—140/अ.सा.—31	थाना दिनारा जिला शिवपुरी से अप. क्र. 111/11 के अपराध रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी
134	प्र.पी.—141/अ.सा.—31	अपराध रजिस्टर के साथ में अप. क्र. 111/11 की प्र. सू.रि. की प्रमाणित प्रतिलिपी।
135	प्र.पी.—142/अ.सा.—31	राजस्थान से प्राप्त अपराध पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपी
136	प्र.पी.—143/अ.सा.—31	राजस्थान के थाना देवली के अप. क्र. 275/11 की प्र.सू.रि. की प्रमाणित प्रतिलिपी

137	प्र.पी.–144/अ.सा.–31	डॉ. प्रमोद कुमार झा को धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् प्रेषित किया गया नोटिस की प्रति।
138	प्र.पी.–145/अ.सा.–31	मदन सिंह पंवार द्वारा प्रभारी अधिकारी थाना बेटमा को दी गयी जानकारी का पत्र
139	प्र.पी.–146/अ.सा.–31	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी रायसेन द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को उपलब्ध करवायी गयी जानकारी के संबंध में पत्र।
140	प्र.पी.–147/अ.सा.–31	आबकारी आयुक्त दीव को थाना प्रभारी बेटमा द्वारा लिखा गया पत्र
141	प्र.पी.–148/अ.सा.–31	आबकारी आयुक्त दीव को थाना प्रभारी बेटमा द्वारा लिखा गया पत्र
142	प्र.पी.–149/अ.सा.–31	थाना प्रभारी बेटमा के द्वारा उप नियन्त्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को जप्तशुदा मूल कोरे परमिट बुक की जांच के संबंध में लिखा गया पत्र
143	प्र.पी.–150/अ.सा.–31	आबकारी आयुक्त म.प्र. मोतीमहल ग्वालियर द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया पत्र।
144	प्र.पी.–151/अ.सा.–31	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपर आबकारी आयुक्त म. प्र. द्वारा दी गयी जानकारी का पत्र
145	प्र.पी.–152/अ.सा.–31	वीरेन्द्र भारद्वाज को धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् प्रेषित किया गया नोटिस।
146	प्र.पी.–153/अ.सा.–31	आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर को धारा 91 सी.आर. पी.सी. के तहत् प्रेषित किया गया नोटिस।
147	प्र.पी.–154/अ.सा.–31	अमोलक सिंह छाबड़ा उपायुक्त आबकारी राज्य उड़नदस्ता म.प्र. भोपाल द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को उपलब्ध करवायी गयी जानकारी का पत्र
148	प्र.पी.–155/अ.सा.–31	श्री बी.के. सक्सेना द्वारा थाना प्रभारी बेटमा को उपलब्ध करवायी गयी जानकारी का पत्र
149	प्र.पी.–156/अ.सा.–31	शासकीय मुद्रणालय भोपाल से विवादित परमिट 10363 नं. के नंबरिंग मशीन का नमूना
150	प्र.पी.–157/अ.सा.–31	ओमप्रकाश से जप्त इनवॉईस की मूल प्रति
151	प्र.पी.–158/अ.सा.–31	मूल बिल्टी
152	प्र.पी.–159/अ.सा.–31	इम्पोर्ट परमिट की मूल प्रति
153	प्र.पी.–160/अ.सा.–31	ट्रक का परमिट
154	प्र.पी.–161/अ.सा.–31	रजिस्ट्रेशन

155	प्र.पी.–162/अ.सा.–31	आरोपी संतोष का ड्रायविंग लायसेंस
156	प्र.पी.–163/अ.सा.–31	बीमा की मूल प्रति
157	प्र.पी.–164/अ.सा.–31	आरोपी मदन से जप्तशुदा स्प्रिट के शुल्क जमा करने के बैंक चालान मूल 21 नग
158	प्र.पी.–165/अ.सा.–31	आरोपी मदन से जप्तशुदा बीयर के शुल्क जमा करने के बैंक चालान मूल 45 नग
159	प्र.पी–166/अ.सा.–31	थाना प्रभारी बेटमा के द्वारा इस न्यायालय को जांच शुदा मुद्देमाल के संबंध में लिखा गया पत्र।

ख. प्रतिरक्षा

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.डी–1/अ.सा.–22	जहांगीर खान का पुलिस कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

स.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
आर्टिकल ए–1 से ए–9	9	एफ.एल. 22 के रसीद कट्टों की काउंटर फाईल की पुस्तकें
आर्टिकल ए–10	1	अरिहंत नाम का रजिस्टर
आर्टिकल ए–10 (जिसे आर्टिकल ए–10 ए पढ़ा जावे)	238	आर्टिकल ए–1 से 9 तक के काउंटर
आर्टिकल ए–11	1	रसीद कट्टा
आर्टिक्ल ए–11 (जिसे	325	आर्टिकल ए–1 से 9 तक के काउंटर

(Signature)

आर्टिकल ए–11 ए पढ़ा जावे)		
आर्टिकल ए–12	1	परमिट बुक
आर्टिकल ए–13	1	परमिट बुक

01— आरोपी संतोष व ओमप्रकाश पर धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं शेष आरोपीगण पर धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी भादवि का आरोप है कि आरोपी संतोष व ओमप्रकाश ने दिनांक 14.12.11 को 20:15 बजे या उसके लगभग महू–नीमच रोड घाटाबिल्लोद पर ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 में 1200 पेटी अंग्रेजी शराब ब्लूचिप व्हिस्की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर परिवहन किया। शेष आरोपीगण ने मिलकर परमिट कमांक 10363, ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 की बिल्टी और अनेकोनेक परमिट बुक कूटरचित करने का अवैध कार्य अवैध साधनों से करने के लिये आपराधिक षडयंत्र बनाकर कूटरचित परमिट के छल करने के आशय से कूटरचना किया, कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लिया, जिसमें आरोपी मदनसिंह द्वारा 5 फर्जी परमिट बुक, विरेन्द्र भारद्वाज द्वारा 272, रामप्रसाद मिश्रा द्वारा 25, प्रीति गायकवाड द्वारा 279, संजय गोहे ने 282, कैलाश बंगाली ने 29, मोहनसिंह तोमर ने 676, उमाशंकर ने 75 और दिनकरसिंह ने 65 फर्जी परमिट की कूटरचना छल कारित करने के लिये कर कूटरचित दस्तावेज से स्वयं को अथवा सोम डिस्टलरी को सदोष लाभ पहुंचाने के लिये तथा शासन को सदोष हानि कारित करने के लिये कूटरचित परमिट और बिल्टी से सोम डिस्टलरी रोजराचक से दीव को परिवहन किया।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान आरोपी वीरेन्द्र कुमार भारद्वाज एवं संजह गुहे की मृत्यु हो चुकी हैं एवं आरोपी जगदीश कुमार अरोरा एवं अजय कुमार अरोरा के विरूद्ध माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। अतः निर्णय केवल शेष आरोपीगण के विरूद्ध घोषित किया जा रहा है।

03— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.12.11 को थाना

प्रभारी बेटमा डी.एस. बघेल को मूखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महू–नीमच रोड में ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 से अवैध शराब परिवहन की जा रही है। सूचना पर हमराह स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 को चेक करने पर उसमें 1200 पेटी अंग्रेजी शराब ब्लूचिप व्हिस्की भरी होने पर चालक संतोष एवं उसके साथी ओमप्रकाश द्वारा शराब परिवहन के आयात–निर्यात परमिट, बिल्टी पेश करने पर संदेहास्पद होने से शराब अवैध रूप से परिवहन करना पाते हुये ट्रक में शराब व कागजात जप्तकर संतोष व ओमप्रकाश को मौके पर धारा 34(2)(1) आबकारी अधिनियम में गिरफतार कर थाने लौटकर अपराध क. 565/11 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। मामले में विवादित निर्यात परमिट फार्म एफएल 22 कमांक 10363 भाग दो प्र.पी–55 की जांच शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से कराने पर उनके द्वारा पत्र कमांक शास.के.मु./11–12 दिनांक 02.01.12 प्र.पी–85 के द्वारा जप्त निर्यात परमिट तथा प्रेस से मुद्रित परमिट के कागज की गुणवत्ता में अंतर होना लेख किया। जप्तशुदा चंचल गुड्स कैरियर की बिल्टी में दिये गये पते की भोपाल में तस्दीक करने पर उक्त पते पर ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं होना पाया। बिल्टी में उल्लेखित टेलीफोन नंबर अन्य व्यक्ति का होकर अन्य पते पर होना पाया था। जांच में चंचल गुड्स कैरियर की बिल्टी एस.डी.बी.एल. रोजराचक जिला रायसेन के कर्मचारी दिनकरसिंह की हस्तलेख में तैयार की जाना पायी गयी। जप्त निर्यात परमिट व बिल्टी कूटरचित पाये जाने पर मामले में धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी भादवि बढायी गयी। विवेचना के दौरान शासकीय मुद्रणालय से उनके द्वारा मुद्रित निर्यात परमिट एफ एल 22 की एक प्रति प्र.पी–81 बतौर नमूना जप्त की गयी। विवेचना के दौरान आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर को धारा 91 दप्रस का नोटिस दिये जाने पर उनके निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन द्वारा दिनांक 20.01.12 को नमूना हेतु निर्यात परमिट बुक फार्म एफ एल 22 कमांक बी 10901 से बी 11000 की परमिट बुक आर्टिकल ए–12 जप्त की गयी, जो उन्हें मदनसिंह पवार द्वारा उनके पत्र कमांक 30 दिनांक 19.01.12 से दी गयी थी। परमिट बुक आर्टिकल ए–12 की जांच शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से कराने पर उनके पत्र कमांक शा.कु.मु./11/23/334 भोपाल दिनांक 27.01.12 से दिये गये प्रतिवेदन प्र.पी–87 में आर्टिकल ए–12 का मुद्रण शासकीय मुद्रणालय में नहीं होना तथा उसकी गुणवत्ता शासकीय

मुद्रणालय द्वारा प्रदायित्व बुक से सर्वथा भिन्न होना लेख किया।

04– अभियोजन कहानी आगे इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.12 को आबकारी उपनिरीक्षक आर.के. मिश्रा द्वारा उनके कार्यालय के आरक्षक संतोष कुमार बघेल के हस्ते प्रकरण में जप्त विवादित परमिट भाग दो प्र.पी–55 की मूल काउंटर फाईल भाग एक आर्टिकल ए–1 प्रस्तुत किया, जिसका मिलान जप्त विवादित परमिट से करने पर काउंटर से अलग करने का निशान आपस में नहीं मिले, जिससे यह पाया कि एक ही नंबर की कई बुक तैयार की गयी है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर से नमूना हेतु परमिट बुक की मांग करने पर उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2212 के साथ एक कौरी मूल निर्यात परमिट बुक कमांक 09601 से बी 0970 शासकीय मुद्रणालय से मुद्रित करायी गयी, उसे प्रदान करने पर जप्त किया, जो कि आर्टिकल ए–13 है। आर्टिकल ए–13 की नमूना बुक व आर्टिकल ए–12 की उपनिरीक्षक आर.पी. मिश्रा द्वारा आरक्षक संतोष के हस्ते भिजवायी गयी काउंटर बुक में मूलभूत भिन्नता पायी जाने पर दोनों की जांच शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से करवायी गयी, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 06.02.12 प्र.पी–89 से बतायी गयी आरक्षक द्वारा प्रस्तुत काउंटर बुक आर्टिकल ए–12 उनके मुद्रणालय से मुद्रित नहीं है तथा आबकारी आयुक्त द्वारा प्रस्तुत बुक आर्टिकल ए–13 उनके मुद्रणालय से मुद्रित और प्रदायी बुक की गुणवत्ता की है। विवेचना में आर्टिकल ए–1 की परमिट बुक में परमिट कमांक 10355 व 10356 के चारो भाग लाईन खींचकर केंसिल लिखे होकर बुक में संलग्न है। परमिट कमांक 10356 में ट्रक क. एम.पी. 09 के.डी. 7151 से 1200 पेटी शराब परिवहन हेतु प्रदाय करने का उल्लेख कर केंसिल किया गया है, जिस पर आबकारी उपनिरीक्षक आर.के. मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

05– अभियोजन कहानी आगे इस प्रकार है कि विवेचना के दौरान विवेचक को डाक से निर्यात परमिट क. बी 10356 भाग दो एवं आयात परमिट क. 191/11–12 दिनांक 21.11.11 की छायाप्रति संलग्न होकर ट्रक क. एम.पी. 09 के.डी. 7151 से 1200 पेटी शराब के परिवहन करने का उल्लेख किया गया होकर आबकारी उपनिरीक्षक आर. के. मिश्रा के हस्ताक्षर प्रतीत होने वाला परमिट प्राप्त हुआ था। उक्त परमिट क. बी 10356 की मूल काउंटर बुक आबकारी आरक्षक से आर्टिकल ए–1 की जप्त की गयी थी, जिसमें परमिट क. बी 10356 के केंसिल किये हुये चारो भाग आर.के. मिश्रा

आबकारी उपनिरीक्षक के हस्ताक्षयुक्त संलग्न है। उक्त बी 10356 की छायाप्रति प्र. पी–56 दिनकरसिंह की लिखावट में है। मूल परमिट बुक आर्टिकल ए–1 में परमिट क्र. बी. 10356 के चारो भाग पर प्रभारी अधिकारी की सील लगी होकर हस्ताक्षर नहीं है, किन्तु डाक से प्राप्त निर्यात परमिट प्र.पी–56 की छायाप्रति में प्रभारी अधिकारी की सील लगायी होकर आर.के. मिश्रा आबकारी उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर है, जिस आधार पर यह पाया गया कि एक ही नंबर की कई निर्यात परमिट बुक फार्म एफ एल 22 कूटरचित तैयार कर इसी नंबर के भाग दो में उसी ट्रक से उसी मात्रा की शराब परिवहन हेतु दी गयी।

06– विवेचना के दौरान दिनांक 14.05.12 को सहायक आबकारी मदनसिंह पवार द्वारा थाना बेटमा पर उपस्थित होकर 08 काउंटर बुक निर्यात परमिट फार्म एफ एल 22 की भाग 1 आर्टिकल ए–2 से आर्टिकल ए–9 की पेश किया था, जिसे जप्तकर सभी की जांच उप नियत्रंक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से करवायी जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 08.06.12 प्र.पी–91 से सभी काउंटर बुक के बारे में पूर्व अनुसार प्रस्तुत काउंटर बुक एवं सहायक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत बुक के समान अंतर होना लेख किया। सभी निर्यात परमिट बुक कूटरचित होकर उनका उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया गया। सभी बुक में से अलग–अलग परमिट जिला आबकारी अधिकारी के.सी. बंगाली, सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी.के. भारद्वाज, आबकारी उपनिरीक्षक संजय गोहे, प्रीति कायकवाड, आर.पी. मिश्रा द्वारा जारी किये गये हैं। परमिट अलग–अलग लेखों के द्वारा लेख किये गये हैं, जिनमें मोहनसिंह तोमर, उमाशंकर शर्मा एवं दिनकरसिंह द्वारा लेख किये गये है, जो कि एस.डी.बी.एल. के कर्मचारी है। एस.डी.बी.एल. के प्रबंधक के साथ मिलकर उनके कर्मचारी व आबकारी के अधिकारियों ने षडयंत्रपूर्वक उन्होंने आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश से प्राप्त हुई 10 परमिट बुक की एक ही नंबर की कई कूटरचित प्रतियां तैयार कर उनका मूल निर्यात के रूप में उपयोग कर अवैध रूप से शराब का परिवहन कर शासन के राजस्व की चोरी कर अवैध लाभ अर्जित किये गये।

07– विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि कैलाशचन्द्र बंगाली ने कूटरचित निर्यात परमिट बुक में से 29 परमिट, संजय गोहे द्वारा अलग–अलग समय में 282, प्रीति कायकवाड द्वारा 289, रामप्रसाद मिश्रा द्वारा मौके पर जप्त विवादित परमिट

प्र.पी–55 के अतिरिक्त डाक से प्राप्त प्र.पी–56 जिसे कि उनके द्वारा निरस्त कर हस्ताक्षर किये गये हैं, के अतिरिक्त 272 परमिट, विरेन्द्र भारद्धाज जो कि प्र.पी–55 की परमिट जारी किये जाने की दिनांक को प्रभारी अधिकारी था, उसके द्वारा 24 परमिट निर्यात जारी किये गये है, उमाशंकर द्वारा 75 परमिट, दिनकरसिंह द्वारा 65, मोहनसिंह तोमर द्वारा 676 परमिट तैयार किये गये। मदनसिंह पवार ने नमूना हेतु कोरी परमिट बुक मांगे जाने पर सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद झा को कूटरचित निर्यात परमिट देकर अपने प्रभार के दौरान अपने हस्ताक्षर से कूटरचित निर्यात परमिट जारी कर स्वयं व अन्य सभी आरोपीगण ने अवैध लाभ अर्जित कर शासन को सदोष राजस्व की हानि पहुंचायी। विवेचना के दौरान विवादित निर्यात परमिट में उल्लेखित निर्यात शुल्क चालान क्रमांक 98 दिनांक 14.11.11 राशि 3888 अन्य दस्तावेजों के साथ पेश करने पर जप्त किया गया है, जिसमें दिनांक 14.11.11 को कुल राशि 45 हजार रूपये बैंक में जमा करने का उल्लेख किया गया है। विवादित काउंटर बुक आर्टिकल ए–1 में संलग्न निर्यात परमिट क. 10320 से 10383 तक में चालान क्रमांक 98 दिनांक 14.11.11 से ही राशि जमा कराने का उल्लेख किया गया है, जिसकी गणना करने पर निर्यात शुल्क राशि 93016 रूपये होती है, जबकि चालान क. 98 से 45 हजार रूपये जमा किये गये है। इसी प्रकार चालान क. 71 में कुल राशि 05 हजार रूपये बैंक में जमा की गयी है तथा इसी चालान नंबर से अलग–अलग निर्यात परमिट में कुल राशि 81 हजार रूपये का भुगतान समायोजित किये जाने का उल्लेख किया गया है। आरोपियों ने आपस में संगनमत होकर शासन के राजस्व की चोरी कर अवैध लाभ अर्जित करने व शासन को हानि पहुंचाने के लिये गलत तरीके से अधिक राशि के निर्यात शुल्क जमा करना दर्शाकर बैंक में कम राशि जमा की गयी है। मौके पर जप्त शराब की एफ एस एल सागर से जांच करवायी गयी। जप्तशुदा शराब एवं ट्रक को राजसात करने की कार्यवाही हेतु कलेक्टर इंदौर को पत्र लिखा गया। जप्तशुदा आयात परमिट की जानकारी आबकारी कार्यालय दीव से पुनः प्राप्त करने पर विरोधाभाषी जानकारी प्राप्त हुई। आरोपीगण ने निर्यात परमिट की कूटरचना कर मूल निर्यात परमिट नष्ट करके कूटरचित परमिट बुक से अवैध शराब का परिवहन करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उनके न्यायालय से उपार्पित होकर प्रकरण प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय जिला

इंदौर की ओर भेजा गया, उसके पश्चात उनके न्यायालय से प्रकरण इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

08– आरोपीगण को निर्णय के पैरा क्रमांक 1 में वर्णित आरोप पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार कर विचारण चाहा। आरोपीगण का अभिवाक् उन्हीं के शब्दों में लेखबद्ध किया गया। आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.स. के तहत् परीक्षण किये जाने पर आरोपी संतोष ने व्यक्त किया कि वह ड्रायवर है एवं वह सामान दिये गये दस्तावेजों के आधार पर लेकर गया था उसे बाकी जानकारी नहीं है एवं आरोपी ओमप्रकाश ने व्यक्त किया कि वह ट्रक का हेल्पर था उसे बाकी बातों की कोई जानकारी नहीं है, आरोपीगण उमाशंकर, मोहन सिंह तोमर, दिनकर सिंह ने व्यक्त किया कि वह कंपनी का छोटा कर्मचारी था जो कार्य बोला जाता था वह कार्य कर देता था प्रकरण कें तथ्यों व दस्तावेजों की उसे कोई जानकारी नहीं है, आरोपीगण शैलेन्द्र सिंह, दीनानाथ, गुरूदर्शन अरोरा, सुरजीतलाल ने व्यक्त किया कि आबकारी एक्ट के प्रावधानों को जाने बगैर व आबकारी के वरिष्ठ अधिकारी से जानकारी लिये बगैर झूठा प्रकरण बनाया गया है उसका दिन–प्रतिदिन के कंपनी के संव्यवहार से सरोकार नहीं है, आरोपी श्रीमती प्रीति गायकवाड़ ने व्यक्त किया कि उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये परमिट बुकों पर नियमानुसार परमिट जारी किये थे जो कि उसका शासकीय दायित्व था उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है उसकी नियुक्ति सोम डिस्टलरीज में दिनांक 16.11.11 को हुई थी। आरोपी रामप्रसाद मिश्रा ने व्यक्त किया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। उसने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में नियमानुसार कार्य किया है। आरोपी मदनसिंह ने व्यक्त किया कि उसकी पोस्टिंग सोम डिस्टलरी में दिनांक 31.12.11 को हुई थी। उसके द्वारा प्रकरण के किसी भी प्रश्नगत परमिट को न तो जारी किया है और न ही उस पर उसके हस्ताक्षर है। के.सी. बंगाली ने व्यक्त किया है कि आबकारी अधिनियम के प्रावधानों को समझे बगैर उन्हें झूठा फसाया गया है, वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। बचाव में प्रवेश कराये जाने पर बचाव साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

09– प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01– क्या आरोपी संतोष व ओमप्रकाश ने 14.12.11 को 20:15 बजे या

उसके लगभग महू–नीमच रोड घाटाबिल्लोद पर ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 में 1200 पेटी अंग्रेजी शराब ब्लूचिप व्हिस्की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर उसका परिवहन किया ?

02– क्या शेष आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मिलकर या सहमत होकर निर्यात परमिट क्रमांक 10363, ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 की बिल्टी और अनेकोनेक परमिट बुक कूटरचित करने का अवैध कार्य अवैध साधनों से करने के लिये आपराधिक षडयंत्र रचा ?

03– क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बेईमानीपूर्वक स्वयं को या सोम डिस्टलरी को सदोष लाभ पहुंचाने के लिये तथा शासन को सदोष हानि कारित करने के लिये धोखे से प्रवंचित कर निर्यात परमिट क्र. बी 10363 कूटरचित बनाकर 1200 पेटी शराब सोम डिस्टलरी रोजराचक से दीव के लिये परिवहन कर छल कारित किया ?

04– क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर निर्यात परमिट क्र. 10363, ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 की 1200 पेटी शराब की फर्जी ट्रासपोर्टर की फर्जी बिल्टी बनायी तथा निर्यात परमिट फार्म एफ एल 22 की कई कूटरचित प्रतियां तैयार किया ?

05– क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर कूटरचित परमिट, फर्जी बिल्टी व अनेकानेक फर्जी परमिट छल करने के लिये कूटरचना किया ?

06– क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर यह जानते हुये कि परमिट, बिल्टी व परमिट बुक कूटरचित है, उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से असल के रूप में उपयोग में लेकर सोम डिस्टलरी से अवैध मदिरा का परिवहन कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लेकर किया ?

<u>सकारण–निष्कर्ष</u>

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 06 :–</u>

10– साक्ष्य एवं विवेचन की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उपरोक्त सभी

विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

11– डी.एस. बघेल (अ.सा.–31) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 14.12.2011 को थाना बेटमा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को इंदौर कंट्रोल रूम मिटिंग के लिए रवाना हुआ था जिसकी रवानगी रोजनामचा सान्हा क्रमांक 510 ए दिनांक 14.12.2011 में की गई है। रोजनामचा प्रपी–92 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। कंट्रोल रूम मिटिंग के बाद इलाका भ्रमण के लिए गया था। इलाका भ्रमण में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि महु नीमच रोड़ में ट्रक क्रमांक एमपी 09 एच एफ 5185 से अवैध रूप से शराब परिवहन की जा रही है। उस सूचना पर से सहायक उपनिरीक्षक आर. एस. मकवाना, आरक्षक केशर सिंह व राजेश पटेल को महू नीमच रोड घाटाबिल्लोद में पहुंचने का बताकर स्वयं भी वहां पर गया था। स्टाफ के आने पर उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर पीथमपुर की तरफ से आने वाले वाहनों की चैकिंग प्रारंभ करवाया था। राहगीर पंचान रूबाब व रईस को रोककर उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत करवाया था।

12– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि चैकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक एमपी 09 एच एफ 5185 के आने पर रोककर चैक करने पर उसका चालक संतोष पिता रामेश्वर तथा उसके साथी ओमप्रकाश पिता कमलसिंह मिले थे जिन्होनें पुछताछ पर सोम डिस्टलरीज रायसेन कंपनी से शराब भरकर दीव ले जाना बताया था। उसके कागज चैक करने पर दस्तावेज संदेहास्पद मिलने पर उनके द्वारा प्रस्तुत इम्पोर्ट परमिट में चालान नम्बर और एक्साइस ड्यूटी का उल्लेख नहीं होने से एवं उसी इम्पोर्ट परमिट से एक्सपोर्ट परमिट तैयार कर 1200 पेटी शराब का अवैध परिवहन पाया जाने से मौके पर ट्रक चालक संतोष के पेश करने पर उपस्थित साक्षीगण रूबाब और रईस के समक्ष ट्रक क्रमांक एमपी 09 एच एफ 5185 से 1200 पेटी अंग्रेजी ब्लू चिप व्हिस्की शराब कुल 10,368 लीटर जप्त किया था। प्रत्येक पेटी में 48 क्वार्टर थे जिसमें से एक पेटी से चार क्वार्टर उक्त शराब निकालकर सेम्पल हेतु अलग से सीलबंद किया था। ट्रक का परमिट, बीमा, फिटनेस एवं रजिस्ट्रेशन तथा चालक का ड्रायविंग लायसेंस पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–2 का बनाया था। जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

13– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि मौके पर चालक के

(S Rawi Adi)

साथी ओमप्रकाश पिता कमलसिंह नरवरिया के पेश करने पर मौजूद साक्षियों के समक्ष ही अंग्रेजी में लिखा एक परमिट भारत निर्मित विदेशी शराब का जिसके उपर अग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एवं दीव परमिट नम्बर 195/2011—12 जिसके कमांक 1 में क्वांटीटी ब्लू चिप व्हिस्की 1200 केसेस कुल 10,368 बल्क लीटर, 7,776 प्रुफ लीटर, स्ट्रेंथ 25 यू.पी. लिखा है। उक्त परमिट प्रपी—93 (इम्पोर्ट परमिट) है। जिसके कमांक 2 में फॉर्म सोम डिस्टलरीज, कमांक 3 में रूट एवं परमिट की वैधता दिनांक 27.12.2011 तक, कमांक 4 में बान्ड नंबर का तथा कमांक 5 एक्साइस ड्यूटी जो की निल और चालान नम्बर निल लिखा होने का उल्लेख है, एक बिल्टी चंचल गुड्स कैरियर की दो प्रति में ट्रक कमांक एमपी 09 एच एफ 5185 का 1200 पेटी शराब की जो प्रपी—57 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, बी से बी भाग पर आरोपी ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है, सी से सी और डी से डी भाग पर साक्षी रूबाब और रईस के हस्ताक्षर है। सोम डिस्टलरीज एवं ब्रेवरिज लिमिटेड की एक इनवाइस दिनांक 13.12.11 दो प्रति में अग्रेजी में तैयार होकर शराब टैक्स एवं भाड़े की कुल राशि 6,03,867/— रूपए का उल्लेख है जो प्रपी—94 है। एक परमिट एक्सपोर्ट विदेशी मदिरा बाण्ड फॉर्म प्रपी—22 जिसके उपर टेक्स पैड 3888/— रूपए चालान नम्बर 98 दिनांक 14.11.2011 जो प्रपी—55 है जिसके ए से ए भाग पर उसके, बी से बी भाग पर ओमप्रकाश, सी से सी और डी से डी भाग पर साक्षीगण के हस्ताक्षर है। उपरोक्त दस्तावेज गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी—3 बनाया है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

14— डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि मौके पर आरोपी संतोष एवं ओमप्रकाश को उनके गिरफ्तारी का कारण बताते हुए गिरफफ्तार किया था जिनका गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी—4 व 5 है जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है। मौके की कार्यवाही के पश्चात् थाना वापस आकर रोजनामचा सान्हा कमांक 535 ए दिनांक 14.12.2011 में वापसी दर्ज किया था जो प्रपी—95 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कमांक 565/11 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम आरोपी संतोष व ओमप्रकाश के विरूद्ध लेखबद्ध किया जो प्रपी—96 है जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी संतोष से साक्षी रईस एवं रूबाब खान के समक्ष पूछताछ की गई जिसमें आरोपी संतोष ने बताया था कि ट्रक का मालिक शहजाद है जिसको

बता देगा। आरोपी से पूछताछ का मेमोरेंडम प्रपी–6 है जिसके सी से सी भाग पर उसके व डी से डी भाग में संतोष के हस्ताक्षर है। आरोपी ओमप्रकाश से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसको कागज सोम डिस्टलरीज से दिनकर ने दिए हैं और शराब को दीव पहुंचाने भेजा था। आरोपी ने बताया था कि मैं दिनकर को गिरफ्तार करवा दूंगा। आरोपी से पूछताछ का मेमोरेंडम प्रपी–7 है जिसके सी से सी भाग पर उसके व डी से डी भाग पर आरोपी ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा ओमप्रकाश से जप्त इनवॉईस की मूल प्रति प्र.पी– 157 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और बी से बी भाग पर आरोपी ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है। मूल बिल्टी प्र.पी– 158 है। इम्पोर्ट परमिट की मूल प्रति प्र.पी– 159 है। ट्रक का परमिट प्र.पी– 160, रजिस्ट्रेशन प्र.पी– 161, आरोपी संतोष का ड्रायविंग लायसेंस प्र.पी.–162, बीमा की मूल प्रति प्र.पी– 163 जप्त किये थे।

15– डी.एस. बघेल द्वारा दिनांक 14.12.11 को मुखबिर सूचना पर महू–नीमच रोड़ घाटाबिल्लोद से आरोपी संतोष व ओमप्रकाश के आधिपत्य से ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 और उसमें रखी हुई शराब तथा दस्तावेज की जप्ती की कार्यवाही का समर्थन उसके द्वारा सूचना देकर मौके पर बुलाये गये आरक्षक राजेश पटैल (अ.सा.–13), केसर सिंह (अ.सा.–20) एवं स.उ.नि. आर. एस. मकवाना (अ.सा.–21) के द्वारा किया गया है। मौके पर की गयी कार्यवाही के लिये तलब किये गये पंच साक्षी रूबाब खान (अ.सा.–1) व रईस (अ.सा.–4) के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किये जाने पर अभियोजन द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं। सूचक प्रश्नों में भी उनके द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन को रूबाब (अ.सा.–1) व रईस (अ.सा.–4) के कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि कि डी.एस. बघेल द्वारा दिनांक 14.12.11 को मुखबिर सूचना पर महू–नीचम रोड़ घाटाबिल्लौद पर आरोपी संतोष व ओमप्रकाश के आधिपत्य से ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 में रखी हुई 1200 पेटी शराब प्रत्येक पेटी में 48 क्वार्टर कुल 10368 लीटर शराब जप्त किये जाने का समर्थन नहीं किया है किन्तु न्यायदृष्टांत <u>नाथू सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2783</u> में अभिनिर्धारित किया गया है कि पंच गवाहों के समर्थन नहीं करने के बाद भी यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास योग्य हो तो उसे विचार में लिया जाना चाहिए। डी.एस. बघेल के द्वारा मौके

पर कार्यवाही के उपरांत थाना लौटकर की गयी कार्यवाही का इंद्राज रोजनामचा सान्हा प्र.पी– 95 में किया है। डी.एस. बघेल के कथनों का समर्थन प्र.पी– 95 के रोजनामचा सान्हा में की गयी प्रविष्टि से भी होता है। उसके द्वारा जप्तशुदा शराब की पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर की ओर ड्राफ्ट तैयार कर एफ.एस.एल. सागर में जांच कराने हेतु भेजा था जो प्र.पी– 135 है जिसकी जांच रिपोर्ट प्र.पी– 136 है जो 2 पृष्टों में है। प्र.पी– 136 की रिपोर्ट में जांच हेतु भेजा गया शराब का नमूना मानवीय सेवन के लिये उपयुक्त होने का अभिमत दिया गया है।

16– अंतिम तर्क के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से जप्तशुदा शराब को वैध परमिट प्र.पी– 55 से विधिवत् परिवहन किये जाने और परमिट के वैध होने से परिवहन की जा रही शराब, शराब के परिवहन के दस्तावेजों, परिवहन में उपयोग किये जा रहे ट्रक व ट्रक के परिपत्रों की जप्ती किये जाने को विवादित नहीं होना बताया है बल्कि आरोपी पक्ष का यह बचाव और तर्क रहा है कि शराब को वैध परमिट के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार डी.एस. बघेल द्वारा आरोपी संतोष व ओमप्रकाश के आधिपत्य से 1200 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त किया जाना प्रमाणित है। डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि जप्तशुदा शराब का नमूना एफएसएल सागर से रिपोर्ट सहित प्राप्त हुआ था। नमूना थाना बेटमा के मालखाना में रखा गया था, जो पानी भरने से नष्ट हो गया है। इस संबंध में दिया गया थाना बेटमा का पत्र प्र.पी–166 है। उसने जप्तशुदा ट्रक व शराब को राजसात करने हेतु जिला कलेक्टर इंदौर को प्र.पी–124 का पत्र लिखा था। जिला कलेक्टर इंदौर ने जप्तशुदा ट्रक व शराब को राजसात किये जाने की कार्यवाही की सूचना सी.जे.एस. इंदौर को प्र.पी–125 की दी गयी थी। आरोपी संतोष व ओमप्रकाश द्वारा शराब का परिवहन वैधतापूर्ण ढंग से किया जा रहा था अथवा नहीं, यह इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है कि उनके आधिपत्य से पाया गया शराब निर्यात परिवहन परमिट प्र.पी–55 वैध है अथवा कूटरचित दस्तावेज है।

17– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि संतोष व उसके साथी ओमप्रकाश से जप्तशुदा दस्तावेज इम्पोर्ट परमिट में चालान नं. और एक्साईज ड्यूटी का उल्लेख नही होने से व इसी इम्पोर्ट परमिट के आधार पर एक्सपोर्ट परमिट तैयार कर 1200 पेटी शराब का परिवहन किये जाने के दस्तावेज संदेहास्पद होने पर

मामले में जप्त विवादास्पद एफएल 22 सरल कमांक 10363 के भाग 2 (प्र.पी–55) की जांच शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से कराया था। थाना बेटमा के पत्र कमांक क्यू 11 दिनांक 22.12.2011 से जानकारी चाही थी उन्होंने कमांक शा.के.मु./11–12 दिनांक 02.01.2012 से जानकारी प्रदान किया था। जिसमें उन्होंने आबकारी आयुक्त के कार्य आदेश पर 200 परमिट बुक तैयार कर श्री जहांगीर खान आबकारी अधीक्षक के हस्ते प्रदान करना तथा थाना बेटमा में जप्त परमिट की गुणवत्ता उनके मुद्रणालय द्वारा दी गई परमिट के कागज में अंतर होना लेख किया था। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रपी–85 है और उसके द्वारा भेजा गया पत्र प्रपी–97 है। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

18– विलास मंथनवार (अ.सा.–30) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 01.02.11 से प्रभारी उप नियंत्रक केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय भोपाल में पदस्थ था। दिनांक 23.12.11 को उसके कार्यालय में थाना प्रभारी बेटमा आये थे जो दिनांक 22.12.11 को कार्यालय में उनका पत्र फार्म एफ.एल. 22 की जांच हेतु देकर गये थे। थाना प्रभारी ने नमूना हेतु परमिट फार्म की मांग किया था। उसने थाना प्रभारी द्वारा जप्त किया निर्यात परमिट फार्म एफ.एल. 22 भाग–2 का अवलोकन किया था तथा अपने कार्यालय में मुद्रणालय द्वारा मुद्रित उक्त एफ.एल. 22 फार्म का नमूना निकालकर मिलान करके देखा था। उसने थाना बेटमा द्वारा जप्त एफ.एल. 22 फार्म भाग–2 के कागज की गुणवत्ता का अपने अनुभव के आधार पर मिलान किया था तो एफ.एल. फार्म 22 की कागज की गुणवत्ता में अंतर पाया था।

19– विलास मंथनवार ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि दिनांक 02.01.12 को थाना प्रभारी बेटमा को लेख किया था कि आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क. /3/स्टोर/10–11/20 ग्वालियर दिनांक 27.01.11 के अंतर्गत उनके मुद्रणालय द्वारा जारी अध्यादेश क. 1054 दिनांक 01.02.11 के माध्यम से मुद्रित कर बंधन कक्ष द्वारा पावती कमांक 24/24 दिनांक 07.03.11 श्री जहांगीर खान, आबकारी उपनिरीक्षक भोपाल के हस्ते 200 बुक प्रदाय की गयी है। श्री डी.एस. बघेल थाना प्रभारी थाना बेटमा जिला इंदौर द्वारा जप्त किये गये एफ.एल. 22 फॉर्म का अवलोकन कराया गया जिसकी मुद्रणालय द्वारा प्रदायित परमिट के कागज की गुणवत्ता में अंतर पाया था। उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्र.पी–85 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

उसने यह भी बताया है कि उसे दिनांक 27.01.12 को प्र.पी–86 का पत्र प्राप्त हुआ था। उप नियंत्रक केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय बंधन कक्ष की पावती प्र.पी–48 है।

20– जहांगीर खां (अ.सा.–22) ने उसके कथनों में बताया है कि वर्ष 2011 में कार्यालय उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 07.03.2011 को उपायुक्त आबकारी के पत्र क्रमांक द्वारा उसे केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल भोपाल से पत्र में उल्लेखित सामग्री लाकर कार्यालय में देने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त पत्र में एफएल 12 ए की 500 पुस्तकें एवं एफएल 22 की 200 पुस्तकों के क्रमांक बी 01 से बी 20 हजार तक उल्लेख था। प्रत्येक पुस्तक में 100–100 पृष्ठ थे। उसे आदेशित पत्र उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को भेजकर प्रतिलिपि उसे आदेशार्थ भेजी गई थी जो प्रपी–47 है। उक्त आदेश के पालन में उसके द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल पहुंचकर सामग्री प्राप्त कर कार्यालय उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़न दस्ता भोपाल में जमा कर दिया था और पावती पत्र भी कार्यालय में जमा कर दिया था। प्राप्त की गई पुस्तकों की पावती प्रपी–48 है।

21– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि विवेचना में कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य उड़नदस्ता म.प्र. द्वारा उपनियन्त्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को मुद्रित टेंण्डर प्रपत्र प्रदाय किये जाने बाबत् दिनांक 07.03.11 का पत्र प्र.पी– 47 का प्राप्त किया था। प्र.पी– 48 की पावती प्राप्त की थी। प्रदीप सिटोले (अ.सा.–23) ने अपने कथनों में बताया है कि वर्ष 2007 से उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल में कार्यरत है। कार्यालय की स्टेशनरी उसी के प्रभार में रहती है। दिनांक 09.08.11 को श्री विष्णु सेनी मुख्य आरक्षक ने आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के कार्यालय से बुक क्र. बी 10001 से बी 11000 तक कुल 10 बुक निर्यात परमिट फार्म एफ एल 22 की लाकर दिया था, जिसे उसने प्राप्त कर प्राप्ति रसीद दी थी। उक्त 10 बुक उसने अपने स्टोर में रखा था। उक्त बुक उसने दिनांक 11.08.11 को जिला रायसेन के आबकारी आरक्षक संतोष को दी थी। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोती महल ग्वालियर के यहां से उनके कार्यालय में एफ एल 22 की 10 बुकें पत्र क्रमांक/3/स्टोर/11/136 दिनांक 09.08.2011 से प्राप्त हुई थी जो प्रपी–49 है। एफ एल 22 विदेशी मदीरा निर्यात पारपथ के पृष्ठ क्रमांक 45 की सत्यापित प्रतिलिपि

T.(S.Rao Adhd)

प्रपी–50 है जिसके पृष्ठ की समस्त प्रविष्ठियां उसकी हस्तलिपि में है।

22– डी.एस. बघेल, विलास मंथनवार और जहांगीर खान के कथनों अनुसार दिनांक 27.01.11 को आबकारी आयुक्त म.प्र. के द्वारा उप नियन्त्रक शा.केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को प्र.पी– 86 का पत्र लिखकर संलग्न भेजे गये एफ.एल. 22 के प्रारूप अनुसार कुल 200 पुस्तकें प्रत्येक में 100 एफ.एल. 22 कमांक बी 00001 से क. बी 20000 तक प्रिंट कर प्रदत्त करने हेतु लिखा गया था। उपायुक्त आबकारी ने एफ.एल. 22 की 200 पुस्तकें मुद्रण हेतु लिखे गये दिनांक 27.01.11 के पत्र के संदर्भ में पुनः दिनांक 07.03.11 को प्र.पी– 47 (जिसे प्र.पी– 47–ए पढ़ा जावे) का पत्र उप नियन्त्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को लेख कर जहांगीर खान को आदेशार्थ और पालनार्थ प्रेषित किया गया। उक्त दिनांक को ही सहायक नियन्त्रक विलास मंथनवार ने प्र.पी– 48 की पावती पत्रक से 200 एफ.एल. 22 बुक जहांगीर खान को प्रदत्त करने का लेख करते हुये आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया। विलास मंथनवार के कथनों अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा भेजे गये प्रारूप अनुसार एफ.एल. 22 कमांक बी 00001 से कमांक बी 20000 तक के निर्यात परमिट उनके मुद्रणालय से मुद्रित कर राज्य उड़न दस्ता में पदस्थ जहांगीर खान को प्रदान किये गये थे।

23– उपायुक्त आबकारी ने दिनांक 06.08.11 को एफ.एल. 22 बी– 10001 से बी–11000 तक की 10 बुक उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग भोपाल को उनके संभाग के जिलों के उपयोग हेतु आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु सैनी के हस्ते भिजवाकर स्टॉक पंजी में दर्ज किये जाने हेतु प्र.पी– 49 का पत्र जारी किया। उक्त 10 बुक प्राप्त होने की प्रविष्टि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एक्साईज ऑफिसर के द्वारा प्र.पी– 50 के रजिस्टर में की गयी जो कि सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज रोजराचक के आबकारी आरक्षक संतोष बघेल को प्रदान की गयी।

24– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि विलास मंथनवार उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को प्र.पी– 97 का पत्र प्रदाय करने पर एफएल 22 का नमूना हेतु निर्यात परमिट का कोरा एक फॉर्म चार भाग में तथा जप्त विवादित परमिट नम्बर 10363 भाग दो में अंकित नम्बर की हैंड नम्बरिंग मशीन मैक्स द्वारा नमूना तीन कागज में 12–12 बार उक्त नम्बर का नमूना अंकित कराकर कोरा फॉर्म परमिट का चार भाग एवं नमूना के कागज जप्त किया था जिसका जप्ती

T.C.
(S. Rajadhe)

पंचनामा प्रपी–8 है। जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी व ई से ई भाग पर विलास मंथनवार के हस्ताक्षर है। विलास मंथनवार द्वारा प्रस्तुत एफएल 22 का फॉर्म प्रपी–81 है। जो नमूना के बतौर निरस्त कर की सील लगाकर उनके द्वारा दी गई थी एवं हस्ताक्षर किए गए थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एफएल 22 फॉर्म में चर्चा के दौरान विलास मंथनवार ने उक्त फॉर्म में सिक्योरिटी पांइट निशान बताया था जिसके फॉर्म नम्बर चारों भाग में जो टेबल बनाया गया है उसकी उपरी आड़ी लाइन से टेबल की सीधी लाइनें कोई भी टच नहीं है। जप्त एफएल 22 नम्बर 10363 के फॉर्म और परमिट बुकों में उक्त लाइन टच है और मोटी है। डी.एस. बघेल द्वारा विलास मंथनवार से प्रपी– 8 के जप्ती पत्रक अनुसार की गयी प्र.पी– 81 के नमूने एवं हेंड नंबरिंग मशीन के नमूने की जप्ती की कार्यवाही का पंच साक्षी शैलेन्द्र बरवे (अ.सा.–2) व संजय कुलकर्णी (अ.सा.–3) के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा शैलेन्द्र व संजय का प्रतिपरीक्षण कर सूचक प्रश्न पूछे गये किन्तु सूचक प्रश्नों में उनके द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन को उनके कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

25– उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि डी.एस. बघेल ने दिनांक 14.12.11 को ओमप्रकाश के प्रस्तुत करने पर निर्यात परमिट फॉर्म एफ.एल. 22 प्र.पी– 55 का जप्त किया था। जो उसे संदेहास्पद प्रतीत होने पर उसने विलास मंथनवार उप नियन्त्रक केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय को प्र.पी– 97 का पत्र लिखकर मुद्रित परमिट के नमूने की मांग किया था और साथ ही जप्तशुदा परमिट प्र.पी– 55 संदेहास्पद व कूटरचित प्रतीत होने से कागज की पुष्टि एवं मुद्रण का परीक्षण करने हेतु प्र.पी– 97 का लेख किया गया जिसके परिपालन में उप नियन्त्रक शा. केन्द्रीय मुद्रणालय ने थाना प्रभारी को प्र.पी– 85 की रिपोर्ट से सूचित किया कि प्र.पी– 86 के पत्र के पालन में 200 परमिट बुक जहांगीर खान को प्रदान की गयी थी और थाना प्रभारी बेटमा द्वारा अवलोकन करवाया गया जप्त परमिट एवं मुद्रणालय द्वारा प्रदायी परमिट के कागज की गुणवत्ता में अंतर है। विलास मंथनवार ने थाना प्रभारी डी.एस. बघेल द्वारा प्रस्तुत किये गये जप्तशुदा परमिट और उनके मुद्रणालय द्वारा प्रदायित परमिट के कागज की गुणवत्ता में अंतर होने की रिपोर्ट दिया था। प्रकरण में जप्तशुदा परमिट व नमूना हेतु प्राप्त किये गये परमिट के कागज की गुणवत्ता में अंतर होने से

जप्तशुदा परमिट की कूटरचना किया जाना विवेचक ने विवेचना में पाया था।

26– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि जप्तशुदा चंचल गुड्स कैरियर की बिल्टी में दिए पते की भोपाल में तस्दीक किया था। जो उक्त पते पर नहीं होना पाया गया था तथा विवेचना के दौरान उक्त बिल्टी कम्पनी के कर्मचारी दिनकर सिंह के हस्तलेख में कंपनी में तैयार किया जाना तथा निर्यात परमिट व बिल्टी कुटरचित पाए जाने पर धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि का ईजाफा किया गया था।

27– एल. के. गुप्ता (अ.सा.–28) ने उसके कथनों में बताया है कि वह वर्ष 2011 में ईएनएम शाखा पी डब्ल्यू डी विभाग राज भवन भोपाल में सब इंजिनियर के पद पर पदस्थ था। उसका मकान 15–ए अशोका गार्डन भोपाल में है। उक्त मकान को उसने बच्चों को किराए से दिया था। पुलिस ने उससे पूछा था कि क्या आपने अपना मकान चंचल गुड्स कैरियर को किराए से दिया है। उसने पुलिस को बताया था कि अपना मकान चंचल गुड्स कैरियर को किराए से नहीं दिया है। चंचल गुड्स के लैडलाईन नम्बर व मोबाईल नम्बर उसे मालूम नहीं है। डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि शहजाद से दिनांक 14.10.12 को एक इकरारनामा जो 100 रू. के स्टाम्प पेपर में लेख है जिसमें संतोष पाल पिता रामेश्वर पाल द्वारा ट्रक कमांक एम.पी.09 एच.एफ. 5185 को वाहन स्वामी शहजाद पठान से दिनांक 01.11.11 से 30.10.12 तक किराये से लेने का तथा किराया मासिक 35,000 रू. देने का साक्षीगण के समक्ष किया गया इकरार जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी– 112 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर शहजाद खान के हस्ताक्षर है।

28– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि विवेचना के दौरान आबकारी आयुक्त ग्वालियर को नोटिस देने पर उनके निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन प्रमोद झा द्वारा एक रजिस्टर लाइनदार जिसमें लाल स्याही से परिवहन करने का लेख है। जिसके अंत में दिनांक 16.11.2012 को एफ.एल. 22 परिवहन पारपत्र बी 10601 से बी 10700 तक का जारी करने का उल्लेख है, उसे जप्त करवाया था। उसके द्वारा जप्त रजिस्टर आर्टिकल 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके, बी से बी भाग पर प्रमोद झा के और सी से सी तथा डी से डी भाग पर साक्षीगण के हस्ताक्षर है। निर्यात परमिट बुक फॉर्म एफएल 22 पृष्ठ कमांक 1 से लेकर 100 तक कमांक बी

10901 से बी 11000 तक प्रमोद झा से जप्त की थी। जो आर्टिकल ए–12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके, बी से बी भाग पर प्रमोद झा के और सी से सी तथा डी से डी भाग पर साक्षीगण के हस्ताक्षर है। सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन प्रमोद झा द्वारा पत्र क्रमांक 64/20.01.2012 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस महाधीक्षक इंदौर को लिखा गया था जो प्र.पी– 98 है, आर्टिकल ए–10 का रजिस्टर, आर्टिकल ए–12 की पुस्तक। उक्त दस्तावेज उसके द्वारा प्रमोद झा से जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–13 का बनाया जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रमोद कुमार झा द्वारा प्रस्तुत एफएल 22 की जांच शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से करवाया था इस हेतु उसके द्वारा प्रेषित पत्र अपराध कमांक 565/11 दिनांक 25.01.2012 के अनुसरण में उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्रपी–87 है। जिसमें सारतः उन्होनें बताया था कि बुक नम्बर 10901 से 11000 की गुणवत्ता शासकीय मुद्रणालय द्वारा प्रदायित बुक से सर्वथा भिन्न है। डी.एस. बघेल के कथनों का समर्थन करते हुये प्रमोद कुमार झा (अ.सा.–27) ने उसके कथनों में थाना प्रभारी बेटमा द्वारा आबकारी आयुक्त ग्वालियर को प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के लिये पत्र लिखे जाने पर आबकारी आयुक्त के निर्देश पर उसने थाना बेटमा द्वारा चाहे गये अभिलेख को उपलब्ध करवाया था उक्त अभिलेख उसने सोम डिस्टलरीज एंव ब्रेवरीज में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी मदन सिंह पंवार से प्राप्त कर थाना बेटमा को भिजवाया था। प्रमोद झा ने आर्टिकल 10 के रजिस्टर, आर्टिकल ए–12 के निर्यात परमिट बुक, प्र.पी–98 के पत्र के उसके हस्ताक्षरों को पहचाना है। उक्त दस्तावेज प्रपी– 13 के जप्ती पत्रक से जप्त किये जाने का उसने समर्थन किया है। आर.सी. त्रिवेदी (अ.सा.–08) व अतुल कुमार (अ.सा.–24) ने भी जप्ती पंचनामा प्र.पी–13 से उपरोक्त रजिस्टर व परमिट बुक तथा प्रमोद झॉ द्वारा लिखा गया पत्र जप्त किये जाने का समर्थन किया है।

29– विलास मंथनवार (अ.सा.–30) ने अपने कथनों में बताया है कि दिनांक 27.01.12 को थाना प्रभारी बेटमा को थाना बेटमा के अपराध क. 565/11 में जप्तशुदा मूल परमिट की जांच बाबत रिपोर्ट दी थी, जो उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी बुक नंबर 10901 से 11000 तक ए–3 आकार में है, जिसका उसके द्वारा अवलोकन कर निम्नानुसार जानकारी दिया है:–

1– जानकारी इस कार्यालय द्वारा पूर्व जारी पत्र क. शासकीय केन्द्रीय

मुद्रणालय/11/22/2–1–2012 में उल्लेखित है, शासकीय मुद्रणालय द्वारा 000001 से 20000 तक 200 पुस्तकों का प्रदाय किया गया है।

2– संदर्भित पत्र के संलग्न प्रस्तुत बुक के नंबर 10901 से 11000 तक की गुणवत्ता शासकीय मुद्रणालय द्वारा प्रदायित बुक से सर्वथा भिन्न है।

3– शासकीय मुद्रणालय द्वारा प्रदाय बुक में 80 जी.एस.एम. मेपलिथो कागज का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में उपयोग किये गये कागज की गुणवत्ता शासकीय मुद्रणालय द्वारा प्रयोग किये गये कागज से उच्च गुणवत्ता का है।

4– संदर्भित पत्र के प्रस्तुत पुस्तक में 1 से 7 तक खाने का टेबल बना है, उसमें उपयोग की गयी लाईनें शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित लाईनों से मोटी है।

5– संदर्भित पत्र के संलग्न प्रस्तुत पुस्तक के नंबर 10901 से 11000 की शासकीय मुद्रणालय में मुद्रित नहीं की गयी है।

6– शासकीय मुद्रणालय द्वारा बुक एफ.एल. 22 के मुद्रण हेतु ऑफसेट प्रिटिंग मशीन का उपयोग किया गया है।

7– यह दृष्टि परख से बताना संभव नहीं है।

8– प्रस्तुत पुस्तक के बाईडिंग कार्य हेतु उपयोग किया गया पुटठा स्ट्रा बोर्ड एवं बाईडिंग क्लाथ शासकीय मुद्रणालय द्वारा उपयोग की गयी गुणवत्ता की नहीं है, साथ ही संदर्भित पत्र के संलग्न पुस्तक में मुद्रित की मध्यप्रदेश शासन के मोनो में स्क्रीन का उपयोग किया गया है, जबकि शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित मोनों में स्क्रीन का उपयोग नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि संदर्भित पत्र के संलग्न पुस्तक नंबर 10901 से 11000 का मुद्रण एवं प्रदाय शासकीय मुद्रणालय द्वारा नहीं किया गया है। इस पुस्तक का अवलोकन कर कार्यालय की मुद्रा अंकित कर मूलतः वापस की गयी। उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्र.पी–87 है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। बुक नंबर 10901 से लेकर 11000 तक की बुक आर्टिकल ए–12 है।

30– डी.एस. बघेल ने विवेचना में आबकारी आयुक्त ग्वालियर को नोटिस दिया जिसके परिपालन में सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन प्रमोद झा द्वारा आर्टिकल ए–10 का रजिस्टर व आर्टिकल ए–12 निर्यात परमिट बुक एफ.एल. 22 बुक क्र. बी 10901 से बी 11000 की सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज में पदस्थ सहायक जिला आबकारी मदन सिंह से प्राप्त कर विवेचक डी.एस. बघेल को प्र.पी–13 के जप्ती पत्रक से जप्त करवाया

T.C. [signature]

था। आर्टिकल ए—12 को जांच हेतु उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय विलास मंथनवार को प्रदान किये जाने पर उन्होनें प्र.पी— 87 की रिपोर्ट से आर्टिकल ए—12 का मुद्रण एवं प्रदाय शासकीय मुद्रणालय द्वारा नहीं करना बताया था। विवेचना के दौरान आरोपी ओमप्रकाश से जप्त निर्यात परमिट प्र.पी—55 व प्रमोद झा से जप्त आर्टिकल ए—12 की निर्यात परमिट बुक को विलास मंथनवार से उनके मुद्रणालय से मुद्रित नहीं होने की रिपोर्ट क्रमशः प्र.पी— 85 व 87 का दिया है। प्र.पी— 55 व आर्टिकल ए—12 की जांच करवाये जाने के पूर्व विवेचक डी.एस. बघेल ने विलास मंथनवार से एक कोरा परमिट फॉर्म एफ.एल. 22 का नमूना प्र.पी— 81 का प्राप्त किया था।

31— डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि दिनांक 31.01.2012 को आबकारी आरक्षक संतोष कुमार बघेल के पेश करने पर एक परमिट बुक फॉर्म एफएल 22 की भाग एक बुक क्रमांक बी 10301 से बी 10400 तक है जो अलग अलग आबकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए है। उसके द्वारा संतोष बघेल से जप्त की गयी है जो कि आर्टिकल ए—1 है जिसके अग्र भाग व पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आर्टिकल ए—1 में परमिट क्रमांक बी 10355 एवं 10356 के चारो भाग संलग्न है, जो निरस्त किए गए है। उक्त बुक में 10363 का द्वितीय भाग बुक से फाड़कर निकाला गया है। जबकि मामले में जप्त विवादित बी 10363 का द्वितीय भाग (प्र.पी—55 का द्वितीय भाग) उसके मुल परमिट बुक से काटकर निकाला गया है। इस प्रकार किस बुक से निकाला गया है मेल नहीं खाता है। उसके द्वारा उक्त बुक जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी—12 का बनाया जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

32— संतोष बघेल (अ.सा.—10) ने उसके कथनों में बताया है कि थाना बेटमा के टी.आई डी.एस. बघेल को जानता हू। घटना वर्ष 2011 की है। उससे टी.आई. बघेल ने पूछा था कि आप परमिट बुक लेने के लिए कहां गए थे तो उसने बताया था कि रायसेन जिले के जिला आबकारी अधिकारी के आदेश से एफएल 22 परमिट बुक लेने के लिए संभागीय उपायुक्त कार्यालय भोपाल गया था वहां से उसे 10 परमिट बुकें एफएल 22 की प्राप्त हुई, जिन्हे ले जाकर उसने जिला आबकारी अधिकारी जिला रायसेन बंगाली सहाब को दे दी थी। परमिट बुक कोरी रहती है। उसने डी.एस. बघेल तत्कालीन थाना प्रभारी बेटमा को कुछ जप्त नहीं कराया था। जप्ती पत्रक प्रपी—12 के बी से बी पर उसके हस्ताक्षर है। संतोष के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया

है। इसी प्रकार जप्ती पत्रक प्र.पी– 12 के पंच साक्षी सत्येन्द्र (अ.सा.–7) के द्वारा भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक प्र.पी– 12 का समर्थन करते हुये पंच साक्षी प्रधान आरक्षक रामविलास (अ.सा.–16) ने उसके कथनों में बताया है कि आबकारी आरक्षक संतोष बघेल द्वारा दिनांक 31.01.12 को थाना प्रभारी डी.एस. बघेल के समक्ष एक परमिट बुक जिसमें परमिट बुक क्र. बी 10301 से बी 10400 तक संलग्न था, लाकर प्रस्तुत करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी–12 का बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती पत्रक में प्रीति गायकवाड़, आर.पी. मिश्रा व अन्य लोगों के हस्ताक्षर होने का उल्लेख था।

33– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि विवेचना के दौरान थाना बेटमा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक सरदारसिंह को आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर भेजा था। आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा शासकीय मुद्रणालय से मुद्रीत कराई गई फॉर्म नम्बर एफएल 22 की परमिट बुक की एक नस्ती नमूना हेतु चाही गई थी। जो उनके द्वारा उनके कार्यालय में पदस्थ आर.बी. सेन के पेश करने पर साक्षियों के समक्ष सहायक उपनिरीक्षक सरदारसिंह द्वारा जप्त किया गया था। उक्त बुक कमांक में बी 9601 से 9700 के कोरे परमिट जप्त किए थे जो आर्टिकल 13 है। जप्ती पत्रक प्रपी–11 है जिसके सी से सी भाग पर एसआई सरदारसिंह के हस्ताक्षर है। सरदार सिंह (अ.सा.–17) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 02.02.12 को उसने आबकारी आयुक्त मोती महल ग्वालियर से परमिट बुक एफ.एल. 22 बी 09601 से बी 09700 आर्टिकल ए–13 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी–11 का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

34– आर.बी. सेन (अ.सा.–28) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 02.02.2012 को एक्साइस कार्यालय मोति महल में एलडीसी के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को उससे कोई जप्ती नहीं हुई थी किंतु जप्त पत्रक प्रपी–11 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बालकृष्ण (अ.सा.–5) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 02.02.2012 को हेड ऑफिस मोतिमहल ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थ था। उस समय थाना बेटमा से पुलिसवाले आये थे। उन्होने उसके सामने कुछ भी वस्तु प्राप्त नहीं किया था उसके साथ मोहम्मद शाबीर व स्टोर कीपर आर.बी. सेन उपस्थित थे। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। जप्ती पत्रक

T.S. Rao (AD)

प्रपी–11 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मोहम्मद शाबीर (अ.सा.–6) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 02.02.2012 को हेड ऑफिस मोतिमहल ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थ था। उस समय थाना बेटमा से पुलिसवाले आए थे। उन्होने बडे बाबू आर बी सेन से परमिट बुक जप्त किया था। उसके साथ मोहम्मद शाबीर व स्टोर कीपर आर.बी. सेन उपस्थित थे। जप्ती पत्रक प्रपी–11 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मो. शाबीर ने उपनिरीक्षक सरदारसिंह द्वारा आर.बी. सेन से की गयी निर्यात परमिट आर्टिकल ए–13 की जप्ती का समर्थन किया है। आर्टिकल ए–13 को बतौर नमूना जांच हेतु जप्त किया गया था।

35– संतोष बघेल (अ.सा.–10) ने यद्यपि कि आर्टिकल ए–1 की परमिट बुक क्र. बी 10301 से बी 10400 उससे जप्त किये जाने का समर्थन नहीं किया है। पंच साक्षी सत्येन्द्र ने भी आर्टिकल ए–1 की बुक प्र.पी– 12 के जप्ती पत्रक से जप्त करने का समर्थन नहीं किया है किन्तु पंच साक्षी रामविलास ने प्र.पी–12 के जप्ती पत्रक के माध्यम से आर्टिकल ए–1 की बुक जप्त करने का समर्थन किया है। इसी प्रकार आर.बी. सेन (अ.सा.–28) ने जप्ती पत्रक प्र.पी–11 से आर्टिकल ए–13 की परमिट बुक बतौर नमूना सरदार सिंह द्वारा उससे जप्त किये जाने का समर्थन नहीं किया है, किन्तु पंच साक्षी मोहम्मद शाबीर (अ.सा.–6) के द्वारा आर्टिकल ए–13 की बुक उनके मुख्यालय मोती महल ग्वालियर में आर.बी. सेन से पुलिस द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी–11 बनाये जाने का समर्थन किया है। आर्टिकल ए–1 प्रकरण में प्रश्नागत दस्तावेज है जिसमें से प्र.पी–55 के परमिट जारी किये जाने पर आरोपी संतोष व ओमप्रकाश द्वारा ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 से जप्तशुदा शराब का परिवहन किया जा रहा था। उक्त परमिट की जांच के लिये प्र.पी– 81 के परमिट का नमूना विवेचक ने विलास मंथनवार से और आर्टिकल ए–13 की परमिट बुक बतौर नमूना आर.बी. सेन से जप्ती पत्रक प्र.पी–11 से जप्त किया था।

36– विलास मंथनवार ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि उसने दिनांक 06.02.12 को थाना प्रभारी बेटमा को अपराध में जप्त परमिट बुक एफ.एल. 22 के जांच के बाबत अपनी रिपोर्ट दी थी। थाना प्रभारी बेटमा के पत्र दिनांक 06.02.12 प्र.पी– 88 के अनुपालन में दी थी। उसके द्वारा दिनांक 06.02.12 को बुक नंबर 10301 से 10400 फार्म एफ.एल. 22 की काउंटर फाईल भाग–1 है, जो 100 पृष्ठ की है, जिसमें पृष्ठ

कमांक बी 10355 एवं 10356 निरस्त होकर चारों भाग है, जो कि आर्टिकल ए–1 है तथा बुक कमांक बी 09601 से 09700 तक 100 पृष्ठ है, जो आर्टिकल ए–13 है। उक्त दोनों बुकों का अवलोकन कर निम्नानुसार जानकारी दी है :

1– बुक कमांक बी–10301 से 10400 भाग–1 एफ.एल. 22 की इस शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय द्वारा प्रदाय इस फार्म बुक से सर्वथा भिन्न है, प्रस्तुत पुस्तक के कागज की गुणवत्ता मुद्रणालय द्वारा उपयोग किये गये कागज से उच्च गुणवत्ता का है तथा इसके 1 से 7 तक खाने अ, ब, स में उपयोग की गयी लाईनें शासकीय मुद्रणालय में मुद्रित लाईनों की कॉपी है तथा प्रस्तुत पुस्तकों की बाईडिंग कार्य हेतु उपयोग किया गया पुटठा तथा बाईडिंग क्लॉक शासकीय मुद्रणालय द्वारा उपयोग किये गये पुटठा एवं कपडा की गुणवत्ता के नहीं है तथा इस बुक में मुद्रित मध्यप्रदेश शासन के मोनों में स्कीन का उपयोग किया गया है, जबकि शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित बुक के मोनों में स्कीन का उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार यह बुक शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित नहीं की गयी है।

2– प्रस्तुत बुक कमांक बी–09601 एफ.एल. 22 के चारों भाग कोरे 100 फार्म है। इस बुक में उपयोग किया गया कागज, बाईडिंग बुक में उपयोग किया गया पुटठा एवं बाईडिंग क्लॉक शासकीय मुद्रणालय द्वारा उपयोग किये गये कागज, पुटठा एवं बाईडिंग क्लॉक की गुणवत्ता का है तथा शासकीय मुद्रणालय द्वारा आबकारी विभाग के सरल कमांक बी 00001 से 20000 तक के 200 बुक जो मुद्रित कर प्रदाय की गयी थी, प्रस्तुत बुक उसी गुणवत्ता की है। उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्र.पी–89 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। 10301 से 10400 की बुक एफ.एल. 22 आर्टिकल ए–1 है। बुक कमांक 09601 आर्टिकल ए–13 है।

37– विवेचक डी.एस. बघेल ने आबकारी आरक्षक संतोष बघेल से प्र.पी– 12 के जप्ती पत्रक से जप्त की गयी आर्टिकल ए–1 की परमिट बुक जिसमें परमिट क. बी 10301 से बी 10400 तक को व उप.नि. सरदार सिंह द्वारा बतौर नमूना प्र.पी–11 के जप्ती पत्रक से आर.बी. सेन से जप्त की गयी आर्टिकल ए–13 की परमिट बुक जिसमें परमिट कमांक बी 9601 से बी 9700 को प्र.पी– 88 के पत्र के माध्यम से जांच हेतु उप नियन्त्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल विलास मंथनवार को जांच हेतु प्रेषित किये जाने पर विलास मंथनवार ने जांच उपरांत प्र.पी– 89 की रिपोर्ट देकर

आर्टिकल ए–1 की छपाई में उपयोग किये गये कागज की गुणवत्ता बाईडिंग क्लॉथ व पुट्टा मुद्रणालय के गुणवत्ता का नहीं होने व मुद्रित बुक में मोनो स्क्रीन का उपयोग किया गया होने से आर्टिकल ए–1 को उनके मुद्रणालय से मुद्रित नहीं होने तथा आर्टिकल ए–13 की पुस्तक उनके मुद्रणालय के द्वारा उपयोग किये गये कागज, पुट्टे व बाईडिंग क्लॉथ समान गुणवत्ता के होने से आर्टिकल ए–13 को उनके मुद्रणालय से मुद्रित कर आबकारी विभाग को प्रदाय किये जाने का अभिमत दिया गया। डी.एस. बघेल ने विवादित परमिट क्रमांक 10363 प्र.पी–55 है, को आर्टिकल ए–1 के परमिट बुक में से फाड़ा नहीं होकर मूल परमिट बुक में से फाड़ा जाना बताते हुये आर्टिकल ए–1 की परमिट बुक को कूटरचित होना बताया है।

38– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि विवेचना के दौरान डाक से उसे एक पत्र के साथ निर्यात परमिट क्रमांक बी 10356 भाग 2 एवं आयात परमिट क्रमांक 191/11–12 दिनांक 21.11.2011 संलग्न होकर 1200 पेटी शराब ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7151 से परिवहन करने का उल्लेख कर आबकारी निरीक्षक आर.पी. मिश्रा के हस्ताक्षर जैसे हस्ताक्षर का प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र एवं परमिट क्रमांक 10356 की छायाप्रति जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–18 का बनाया था। निर्यात परमिट क्रमांक बी 10356 की मूल काउंटर बुक जो कि आबकारी निरीक्षक द्वारा जप्त करवाई गई थी, में चारों भाग संलग्न होकर कैंसिल कर आर.पी. मिश्रा के हस्ताक्षर किये हुये है तथा उसका हस्तलेख भी एक जैसा है। जो कंपनी के कर्मचारी दिनकर सिंह की लिखावट में है। उक्त काउंटर के चारों भाग पर प्रभारी अधिकारी की सील लगी होकर उसमें हस्ताक्षर नहीं है। उसे प्राप्त हुया पत्र प्रपी–19 है जो राहुल मीणा तहसील के पास मेन बजार रायसेन द्वारा लिखा गया था। उक्त पत्र के साथ संलग्न परमिट बी 10356 भाग 2 की छायाप्रति प्रपी–56 है। इस प्रकार एक ही नम्बर की कई फर्जी बुक तैयार कर शराब का अवैध परिवहन किया गया है।

39– रामविलास (अ.सा.–16) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 27.03.2012 को थाना बेटमा में आवक जावक मुंशी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक डाक से उसे एक पत्र और दो अन्य कागज शराब के आयात निर्यात परमिट के मिले थे जो उसने थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किये थे। थाना प्रभारी ने उक्त पत्र प्र.पी– 19 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी– 18 का बनाया था। उक्त पत्र राहुल मिणा ने भोपाल

आईजी को भेजा था। रामविलास धाकड़ के कथनों का समर्थन प्र.आर. रामप्रसाद सोलंकी (अ.सा.–12) ने किया है। उसने प्र.पी– 18 के जप्ती पत्रक पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। उसने जप्ती पत्रक के माध्यम से राहुल मीणा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को सोम डिस्टलरीज के द्वारा फर्जी परमिटों के आधार पर किये जा रहे अवैध शराब परिवहन के संबंध में की गयी शिकायत का पत्र प्र.पी– 19 व परमिट की छायाप्रति जप्त की जाना बताया है। विवेचक डी.एस. बघेल ने विवेचना के दौरान दिनांक 27.03.2012 को आर्टिकल ए–1 की परमिट बुक में कें‍सिल किये गये परमिट क्रमांक 10356 प्र.पी– 56 की छायाप्रति डाक से प्राप्त होने पर प्र.पी– 18 के जप्ती पत्रक से जप्ती की गयी होने पर यह निष्कर्ष पाया कि एक ही परमिट क्रमांक पर कई फर्जी बुक तैयार कर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। डी.एस. बघेल के अनुसार प्र.पी– 56 का परमिट कें‍सिल होने के उपरांत आर्टिकल ए–1 की बुक में संलग्न था तब बगैर कैंसिल की हुई छायाप्रति के परमिट से एक से अधिक बार शराब का परिवहन सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज द्वारा किया जाकर एक ही नंबर पर उपयोग किये गये अन्य परमिट को छुपाया गया है।

40– विवेचक डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि विवेचना के दौरान दिनांक 14.05.2012 को सहायक आबकारी अधिकारी मदन सिंह पंवार द्वारा 8 काउंटर बुक भाग 1 एफएल 22 की निर्यात परमिट बुक जिसमें बी 10001 से 10100 तक जो आर्टिकल ए–2 है, बी 10101 से 10200 तक आर्टिकल ए–3 है, बी 10201 से 10300 तक आर्टिकल ए–4 है, बी 10401 से 10500 तक आर्टिकल ए–5 है, बी 10501 से 10600 तक आर्टिकल ए–6 है, बी 10601 से 10700 तक आर्टिकल ए–7 है, बी 10701 से 10800 तक आर्टिकल ए–8 है, बी 10801 से 10900 तक आर्टिकल ए–9 है जिसमें अलग–अलग समय में अलग अलग आबकारियों द्वारा निर्यात परमिट जारी किए गए हैं। जिनका विवरण जप्ती पत्रक प्रपी–42 में किया गया है जिसके सभी पृष्ठों पर एच से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा आर्टिकल ए–2 लगायत ए–9 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अतुल कुमार (अ.सा.–24) ने प्र.पी–42 के जप्ती पत्रक के माध्यम से मदनसिंह के प्रस्तुत करने पर आर्टिकल–2 से आर्टिकल–9 तक के फार्म एफ.एल. 22 की परमिट बुक जप्त किये जाने का समर्थन किया है। अन्य पंच साक्षी सुशील उर्फ शशि (अ.सा.–18) के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

अभियोजन को सुशील उर्फ शशि के कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। जप्तशुदा आर्टिकल ए–2 लगायत ए–9 की परमिट बुक वही है, जो शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में छपने के बाद प्र.पी–48 के पावती पत्रक से जहांगीर खान को प्रदान की गयी थी और एफ.एल. 22 क्रमांक बी 001 से बी 20000 में से उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल को प्र.पी–49 के पत्र से प्रदान की गयी थी, जिसमें से परमिट बुक क्रमांक 10001 से 11000 सोम डिस्टलरी रोजराचक जिला रायसेन के आबकारी आरक्षक संतोष बघेल को प्र.पी–50 के पत्र के माध्यम से प्रदत्त की गयी थी। इस प्रकार आर्टिकल ए–1 से लगायत आर्टिकल ए–9 की परमिट बुके विवादित दस्तावेज है। विवेचक डी.एस. बघेल ने मदनसिंह से जप्त की गयी उपरोक्त आर्टिकल ए–2 लगायत आर्टिकल ए–9 की परमिट बुक की जांच हेतु उप नियत्रंक शायकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को प्र.पी–90 का पत्र प्रेषित किया।

41– विलास मंथनवार (अ.सा.–30) ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 08.06.12 को थाना प्रभारी बेटमा के पत्र क्र. 1385/12 दिनांक 04.06.12 पत्र प्र.पी–90 से बिन्दु क्र. 01 से क्रमांक 05 की जानकारी मांगी गयी थी। उसने अपनी रिपोर्ट प्र.पी–91 में उल्लेख किया था कि बिन्दु क्र. 01 से क्र. 05 की जानकारी प्रायोगिक जांच उपरांत ही दी जाना संभव है, जबकि उनके मुद्रणालय में प्रायोगिक जांच की विधा नहीं है। अतः वांछित जानकारी विषय विशेषज्ञ से जांच करवाकर प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। एफ.एल. 22 बी 0001 से 20000 तक एक ही गुणवत्ता की 200 बुक उनके मुद्रणालय से दिनांक 07.03.11 को श्री जहांगीर खान उपनिरीक्षक के हस्ते प्रदाय की गयी थी। उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्र.पी–91 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। थाना प्रभारी ने प्र.पी–90 के पत्र में मदनसिंह पवार से जप्त किये गये आर्टिकल ए–2 लगायत आर्टिकल ए–9 की परमिट बुक में मुद्रण एवं कागज की गुणवत्ता व रंग भिन्न प्रतीत होने से परीक्षण हेतु उप नियत्रंक को प्रेषित किये गये थे, जिसके परिपालन में विलास मंथनवार ने थाना प्रभारी को पूर्व में प्रेषित पत्र में वर्णित अंतर जप्त पुस्तकों में भी होने का उल्लेख कर प्र.पी–91 की रिपोर्ट में दिया था। इस प्रकार विलास मंथनवार ने मदनसिंह से जप्त परमिट बुको के कागज की गुणवत्ता मुद्रण एवं रंग में भिन्नता उसी प्रकार की होना बतायी है, जिस प्रकार की आर्टिकल ए–1 की परमिट बुक में उसने पायी थी।

42– विवेचक डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि उसके द्व ारा विवेचना में प्रिती गायकवाड़, संजय गुहे, दिनकरसिंह, उमाशंकर शर्मा को दिनांक 13.06.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–20 लगायत प्रपी–23, आरोपी कैलाश चन्द्र बंगाली को दिनांक 08.08.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–24, अजय कुमार अरोरा को दिनांक 09.08.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–25, आरोपी रामप्रसाद मिश्रा, मोहनसिंह तोमर, दिनानाथ को दिनांक 12.07. 2012 को गिरफ्तार कर गिफ्तारी पत्रक प्रपी–36 लगायत प्रपी–38, विरेन्द्र कुमार भारद्वाज को दिनांक 23.07.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–40, शैलेन्द्र सिंह को दिनांक 12.07.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–39, मदन सिंह पंवार को दिनांक 23.07.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–41, सुरजित लाल को दिनांक 07.07.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–101 एवं जगदीश कुमार अरोरा को दिनांक 09.10.2012 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–102 के बनाये थे। गिरफतारी की कार्यवाही के पंच साक्षी हरिओम शिवहरे (अ.सा. –14) एवं ब्रजमोहन शिवहरे (अ.सा.–19) के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं। सूचक प्रश्नों में भी उनके द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन को हरिओम व ब्रजमोहन के कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

43– विवेचक डी.एस.. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि आरोपी दिनकर सिंह से पूछताछ कर उसका मेमोरेंडम कथन लिया तो आरोपी दिनकर ने बताया कि परमिट 10363 के साथ ट्रक चालक एम.पी. 09 एच एफ 5185 एवं ट्रक कमांक एमपी 09 केडी 7151 के परमिट कमांक 10356 तैयार किए थे जो एमपी 09 एचएफ 5185 का परमिट कमांक 10363 और एमपी 09 केडी 7151 का परमिट कमांक 10356 के उसके स्वभाविक लेख के कागज आवेदन आदि कार्यालय में हैं जो चलकर निकालकर दे दूंगा। आरोपी दिनकर का मेमोरेंडम कथन प्रपी–26 है। मेमोरेंडम का समर्थन पंच साक्षी सुशील उर्फ शशि (अ.सा.–18) एवं अर्जुन (अ.सा.–25) द्वारा किया गया है। दिनकर सिंह से पंचान के समक्ष विवादित दस्तावेज की नमूना लिखावट प्रत्येक दस्तावेज की दो दो पृष्ठों में कुल 58 पृष्ठ जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–47 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनकरसिंह से दिनांक 13.06.2012 को

परमिट क्रमांक 10356 की भाग एक की उसके द्वारा लेख की गई नमूना लेख छः पृष्ठों में अलग–अलग हुबहू नकल करवाकर एवं उसके नमूना हस्ताक्षर अंग्रेजी में छः पृष्ठों में अलग–अलग जप्तशुदा बिल्टी जो उसके द्वारा तैयार की गई हुबहू नकल तैयार करवाकर जप्ती पत्रक प्रपी–31 का बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्र.पी–47 का समर्थन पंच साक्षी सुशील उर्फ शशि व अर्जुन द्वारा नहीं किया गया है। प्र.पी–31 के जप्ती पत्रक का समर्थन सुशील उर्फ शशि एवं हरिओम शिवहरे (अ.सा. –14) द्वारा नहीं किया गया है। यद्यपि कि विवेचक द्वारा आरोपी मदनसिंह के नमूना हस्ताक्षर व स्वीकृत हस्ताक्षर प्राप्त करने का पंच साक्षी द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु अंतिम तर्क के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने सभी आरोपियों के द्वारा नमूना हस्ताक्षर व स्वीकृत हस्ताक्षर प्रदान किये जाने को अविवादित होना प्रकट किया है। उनके द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपीगण ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें प्रदान किये गये वैध परमिट पर ही हस्ताक्षर किये है। जप्तशुदा आर्टिकल ए–1 लगायत आर्टिकल ए–9 की परमिट बुके विभाग द्वारा प्रदान किये जाने से पूर्णतः वैध है।

44– विवेचक डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि आरोपी उमाशंकर से पूछताछ करने पर निर्यात परमिट बुक 10001 से 10900 तक में से उसके द्वारा 72 परमिट तैयार किये जाने और परमिट क्रमांक 10363 तैयार किया गया था उस समय परमिट बुक अलमारी से निकालकर आर.बी. मिश्रा ने दिया था जिसमें उनके हस्ताक्षर है नमूना लेख लिख दिया है। स्वभाविक लेख के कागज फैक्ट्री ऑफिस से लेकर दे दूंगा की जानकारी दिया था। आरोपी उमाशंकर शर्मा का मेमोरेंडम कथन प्रपी–27 है। उमाशंकर से दिनांक 13.06.2012 को पंचान के समक्ष विवादित परमिट 10363 की नकल हुबहू छः अलग–अलग प्रतियों में नमूना हस्तलेख हेतु लिखवाकर जप्त किए थे। जप्ती पत्रक प्रपी–32 है। उमाशंकर शर्मा से दिनांक 28.10.2012 को पंचान के समक्ष विवादित दस्तावेज मुताबिक जप्ती पत्रक प्रपी–34 की लिखावट दो दो प्रतियों में जप्त किये थे।

45– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि आरोपी कैलाशचंद्र बंगाली से दिनांक 08.08.2012 को पूछताछ करने पर बताया कि रोजराचक ऑफिस का रिकॉर्ड चेक कर आवेदन की प्रति जावक रजिस्टर व कर्मचारियों की सूची चैक कर

मिलने पर दिला दूंगा। आरोपी कैलाश चंद्र का मेमोरेंडम कथन प्रपी–28 है। उक्त दिनांक को ही पंचान के समक्ष विवादित परमिट काउंटर बुक के हस्ताक्षर अनुसार छः पृष्ठ में प्रत्येक में छः–छः हस्ताक्षर नमूना के करवाकर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–33 का बनाया था।

46– विवेचक डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि आरोपी सुरजित लाल से दिनांक 07.07.2012 को गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर कम्पनी के डायरेक्टर जगदीश अरोड़ा व अजय अरोड़ा उसके एम डी बनने के पूर्व तक कंपनी के एम.डी. रहे तथा वित्तिय लेन देन हेतु शुरू से यही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी रहे है और अभी भी उनके हस्ताक्षर से ही वित्तिय लेनदेन होता है। कंपनी के आय व्यय का लेखा फायनेंस व अकांउट विभाग में रहता है, उत्पादन व परिवहन का कार्य कंपनी से होता है जिसका रिकार्ड ऑफिस में रहता है। आय व्यय की जानकारी फायनेंस व अकाउंट ऑफिस भोपाल में है जिससे संबंधित सभी दस्तावेज भोपाल कार्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली एवं फैक्ट्री रोजराचक जिला रायसेन स्थित कार्यालय में है। जो संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पास है। चलो चलकर दिलवा देता हूं। सुरजित ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। सुरजित का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम प्रपी–103 है।

47– डी.एस. बघेल ने विवेचना के दौरान आरोपी प्रीति गायकवाड से 06 नमूना हस्ताक्षर करवाकर जप्ती पत्रक प्र.पी–29, आरोपी संजय गोहे से 06 पृष्ठ में 06–06 नमूना हस्ताक्षर करवाकर जप्ती पत्रक प्र.पी–30, आरोपी दिनकरसिंह से 06 पृष्ठ में 06–06 हस्ताक्षर नमूना करवाकर जप्ती पत्रक प्र.पी–31, आरोपी उमाशंकर से प्राप्त किये नमूना हस्ताक्षर को जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–32, कैलाशचन्द बंगाली से प्राप्त किये नमूना हस्ताक्षर को जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–33 के बनाये। उसने विवेचना में उमाशंकर से विवादित दस्तावेज की ईबारत लिखवाकर व समूह में जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–34, मोहनसिंह से लिखवायी विवादित दस्तावेज की ईबारत की लिखावट को जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–35, रामप्रसाद के 06 कागज में लिये 06–06 नमूना हस्ताक्षर को जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–43, आरोपी मोहनसिंह तोमर से लिये गये नमूना हस्ताक्षर को जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–44, आरोपी मदनसिंह पवार से लिये 06–06 नमूना हस्ताक्षर को जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–45, आरोपी विरेन्द्र से लिये नमूना हस्ताक्षर को

जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी–46 के तैयार किये थे। आरोपी पक्ष ने नमूना हस्ताक्षर व जप्त दस्तावेज की ईबारत को हुबहू लिखकर नमूने दिये जाने के संबंध में डी.एस. बघेल को चुनौती नहीं दिया है। अंतिम तर्क में भी आरोपीगण के अधिवक्ता ने नमूना हस्ताक्षर व जप्तशुदा दस्तावेज पर आरोपीगण के हस्तलिपि व हस्ताक्षर को अविवादित होना प्रकट किया है।

48– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 11.07.2012 को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी एस.डी.बी.एल रोजराजक जिला रायसेन से आबकारी उप.नि. रामप्रसाद के स्वाभाविक हस्ताक्षर के दस्तावेज, ए.डी. ओ. बी.के. भरद्वाज के स्वाभाविक हस्ताक्षर के दस्तावेज, ए.डी.ओ. एम.एस. पंवार के स्वाभाविक हस्ताक्षर के दस्तावेज, एक ट्रांसपोर्ट परमिट फॉर्म एफ.एल. 14 की काउन्टर बुक जिसमें परमिट कमांक 142101 से 142200 तक कुल 100 पृष्टों में 100 परमिट जिसमें 1 से 3 में ए.डी.ओ. बी. के. भरद्वाज के स्वाभाविक हस्ताक्षर है तथा 4 से 17, 48 से 51, 73 से 84, 88 से 92 में आबकारी उप.नि. प्रीति गायकवाड़ 88–36, 52–72, 85–87, 93–96 में आबकारी उप.नि. रामप्रसाद मिश्रा तथा कमांक 37–47, 97–200 तक में उप.नि. श्री एस. के. गुहाके के स्वाभाविक हस्ताक्षर, कमांक 1 से 27, 37 से 84 में मोहन सिंह तोमर की स्वभाविक लिखावट तथा 28 से 35, 88 से 200 में दिनकर सिंह एवं 36 से 85, 87 तक श्री उमाशंकर शर्मा की स्वभाविक लिखावट के दस्तावेज स्वाभाविक हस्ताक्षर एवं स्वाभाविक लेख के संबंध में गवाहन के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी– 14 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

49– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथन में बताया है कि दिनांक 26.05.12 को उसने मदन सिंह पंवार से थाना बेटमा में एक रजिस्टर फॉर्म डी– 21 दैनन्दिनी का जिसमें प्रमाण पत्र के.सी. बंगाली द्वारा लिखा गया, जप्त किया था, जो कि प्र.पी– 104 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही मदनसिंह पवार से एक रजिस्टर जावक पंजी जिसके प्रथम पृष्ट में वर्ष 2011 जावक पंजी प्रमाणित किये जाने का लेख ए.डी.ओ. के आर. बघेल के हस्ताक्षर है, का जप्त किया, जो कि प्र.पी– 105 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। 5 पृष्ट छायाप्रति सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन के आदेश की जो स्वतः सत्यापित है जिसमें अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी कार्यविभाजन आदि का उल्लेख है, जो प्र.पी– 106 है, जो कि

संतोष बघेल के सोम डिस्टलरी में तैनात के संबंध में है एवं म.प्र. राजपत्र की छायाप्रति दिनांक 28.03.08 प्र.पी– 107 है व दिनांक 03.04.10 का म.प्र. राजपत्र प्र.पी– 108 है जिसमें शुल्क के संबंध में जानकारी है जो कुल 8 पृष्ट है। एक फाईल जिसमें अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक का मासिक पत्र की कार्यालयीन प्रति जो प्र.पी– 109 है जिसमे आगे व पीछे पृष्ठों पर ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है, को गवाहन के समक्ष मदन सिंह से जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी– 15 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं डी से डी भाग पर मदन सिंह के हस्ताक्षर है।

50– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में यह बताया है कि प्रीति गायकवाड के 06 पृष्ठों में नमूना हस्ताक्षर प्र.पी–74 (जो कि वस्तुतः प्र.पी–79 है), संजय गोहे के 06 पृष्ठों में लिये गये नमूना हस्ताक्षर प्र.पी–80, उसने दिनकर द्वारा जप्त परमिट में जो ईबारत लिखी थी, उसकी 06 प्रतियों में अंग्रेजी में लिखवाकर प्राप्त किया था, जो कि प्र.पी–58 है। उसने दिनकर द्वारा जप्त बिल्टी में लिखी ईबारत को 06 प्रति में लिखवाया था। उसने दिनकर से नमूना हस्ताक्षर एवं हस्तलेख लिखवाया था, जो कि प्र.पी–110 है। दिनकर से प्राप्त हस्तलिपि व हस्तलेख कुल 74 पृष्ठों में है। उमाशंकर के प्राप्त नमूना हस्ताक्षर व हस्तलेख प्र.पी–59 है, जो कि कुल 62 पृष्ठों में है। आरोपी कैलाशचन्द्र बंगाली के नमूना हस्ताक्षर प्र.पी–78, मोहनसिंह तोमर के विवादित दस्तावेज से संबंधित लिखावट की हुबहू नकल 174 प्रतियों में प्राप्त की गयी थी, जो कि प्र.पी–60 है। आरोपी रामप्रसाद मिश्रा के 06 पृष्ठों में प्राप्त किये नमूना हस्ताक्षर प्र.पी–61 है। आरोपी विरेन्द्र के 06 पृष्ठों में नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किये थे, जो कि प्र.पी–65 है। आरोपी मदन के नमूना हस्ताक्षर प्र.पी–69 है। उसने आरोपी डी.एन. सिंह से एक सूची सोम डिस्टलरी एंड ब्रेबरीज लिमिटेड की तथा कंपनी के अधिकृत व्यक्ति की जानकारी एक पृष्ट में सत्यापित प्रति एवं एक पत्र सुरजीत लाल के मेनेजर डायरेक्टर के चयन संबंधी मीटिंग का सत्यापित प्रति, एक प्रतिलिपी लायसेंस फार्म बी–3 का सोम डिस्टलरी एंड ब्रेबरीज लिमिटेड का वर्ष 2011–12 व 12–13 का, बेलेंस सीट सत्यापित प्रति वर्ष 2009–10 की 5 पृष्टों में गवाहन के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी– 111 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर डी.एन. सिंह के हस्ताक्षर है।

51– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में सोम

TC S. Rai Adv

डिस्टलरी द्वारा श्री सुरजीतलाल को जे.के. अरोरा द्वारा लिखा पर्सनल एवं कॉन्फिडेंसियल पत्र प्रकरण में संलग्न किया था जो प्र.पी– 113 है। उसने बताया है कि आबकारी उप.नि. श्री गोहा द्वारा जारी किये विवादास्पद परमिटों की सूची प्र.पी– 114 है। श्री बी. के. भरद्वाज द्वारा जारी किये गये परमिट की जानकारी प्र.पी– 115 है। विवादास्पद परमिट श्री के. सी. बंगाली द्वारा जारी किये गये थे उनकी जानकारी प्र.पी– 116 है। उसने बताया है कि विवादास्पद परमिट श्रीमती प्रीति गायकवाड़ द्वारा जारी किये गये थे उनकी जानकारी प्र.पी– 117 के अनुसार है। विवादास्पद परमिट आर.पी. मिश्रा द्वारा जारी किये गये थे जिनकी जानकारी प्र.पी–118 है। विवादास्पद परमिट दिनकर सिंह द्वारा लेख किये गये थे, की जानकारी प्र.पी– 119 है। विवादास्पद परमिट जो मोहन सिंह ने जारी किये, उनकी जानकारी प्र.पी– 120 के अनुसार है। विवादास्पद परमिट जो उमाशंकर ने जारी किये, उनकी जानकारी प्र.पी– 121 के अनुसार है। प्रकरण में उसके द्वारा डॉ. प्रमोद कुमार झा को दस्तावेज पेश करने के लिये दिनांक 15.02.12 को धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् नोटिस जारी किया गया था जो प्र.पी– 122 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रमोद झॉ ने थाना प्रभारी बेटमा के प्रेषित पत्र दिनांक 28.01.12 के संदर्भ में उसे बिंदुवार जानकारी दिनांक 31.01.12 को उपलब्ध करायी थी जो प्र.पी– 123 है जो 3 पृष्टों में है।

52– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि उसे दिनांक 28.02.12 को सोम डिस्टलरी एवं ब्रेबरीज के प्रभारी अधिकारी एम.एस. पंवार द्वारा उसके धारा 91 सी.आर.पी.सी. के नोटिस दिनांक 15.02.12 के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करायी थी जो प्र.पी– 126 है। प्र.पी–126 के माध्यम से एम.एस. पवार ने थाना प्रभारी डी.एस. बघेल को जानकारी दिया कि घटना दिनांक 14.12.11 की है और उसके द्वारा घटना के पश्चात दिनांक 31.12.11 को ईकाई में उपस्थित होकर कार्य किया गया है। दिनांक 07.09.10 के पश्चात से श्री आर.पी. मिश्रा आबकारी उपनि. द्वारा विवादित अभिलेखों पर हस्ताक्षर किये गये है। डी.एस. बघेल ने बताया कि श्री एम.एस. पंवार द्वारा दिनांक 31.12.11 को सोम डिस्टलरी ब्रेबरीज लिमिटेड रोजराजक में ज्वाईनिंग के संबंध में सूचना, अधिकारियों के कार्यविभाजन, मिश्रा की ज्वाईनिंग संबंधी आदेश की छायाप्रति प्रदत्त की थी।

53– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 14.05.12 एवं

24.05.12 को धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् दिये गये पत्र के संदर्भ में दिनांक 26.05.12 को प्रभारी अधिकारी रोजराजक द्वारा बिंदुवार जानकारी दी गयी थी जो प्र.पी– 127 है जो 3 पृष्टों में है। उसके द्वारा दिनांक 25.01.12 को मदन सिंह को धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् दिया गया नोटिस प्र.पी– 128 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचक ने प्र.पी–128 के नोटिस के माध्यम से मदनसिंह पवार से विवादित परमिट 10363 की मूल बुक से 10300 से 10400, निर्यात परमिट संदाय करने का रजिस्टर, विवादित परमिट जारीकर्ता एवं शराब परिवहन के समय कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, विवादित परमिट प्राप्त करने के लिये आरक्षक संतोष बघेल को कथन हेतु उपस्थित रखने और विवादित परमिट 10363 के भाग 03 और 04 भेजे जाने के संबंध में लेख किया गया था, उसके द्वारा मदन सिंह पंवार को दिनांक 15.02.12 को दिया गया धारा 91 का नोटिस प्र.पी– 129 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्र.पी–129 के माध्यम से भी विवादित परमिट की मूल बुक में से जारी परमिट की प्रति, उसको संधारित करने वाले रजिस्टर प्राप्त हुई 10 बुक में से खर्च हुये बुक की काउंटर प्रति राज्य के बाहर निर्यात किये जाने वाली अंग्रेजी शराब की निर्यात शुल्क की जानकारी एवं परमिट बुक आर्टिकल ए–1 में से जारी परमिट के बैंक चालान की मूल प्रति और उनको संधारित करने वाले रजिस्टर की मांग की गयी थी।

54– डी.एस. बघेल ने विवेचना के दौरान सोम डिस्टलरी में सुरजीतलाल को मीटिंग में उपस्थित होने के लिये प्रदान किया गया अथॉरिटी पत्र प्र.पी– 130, सोम डिस्टलरी की ऑडिट रिपोर्ट प्र.पी– 131, सोम डिस्टलरी की एनुअल रिपोर्ट प्र.पी–132 प्राप्त किये थे। उसने सोम डिस्टलरी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में खुलवाये गये बैंक एकांउट एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा लेनदेन की जानकारी के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक को धारा 91 दप्रस का नोटिस प्र.पी–133 दिया था, जिसके अनुसरण में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्र.पी–134 की जानकारी प्रेषित की गयी। डी.एस. बघेल को विवेचना के दौरान एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जानकारी लेने के संबंध में उसने थााना प्रभारी थाना दिनारा जिला शिवपुरी को पत्र कमांक 898/12 दिनांक 06.04.12 प्र.पी–138 का लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने दिनांक 14.04.12 को थाना प्रभारी थाना देवली जिला टोंक राजस्थान को भी जानकारी प्रदान करने के लिये प्र.पी– 139 का पत्र लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर है। थाना दिनारा जिला शिवपुरी से अप. क्र. 111/11 के अपराध रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी उसे प्रेषित की थी जो प्र.पी– 140 है और अपराध रजिस्टर के साथ में अप. क्र. 111/11 की प्र.सू.रि. की प्रमाणित प्रतिलिपी प्र.पी– 141 उसे प्रेषित की गयी थी। राजस्थान से भी अपराध पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपी उसे प्राप्त हुई थी जो प्र.पी– 142 है जो 2 पृष्टों में है और राजस्थान के थाना देवली के अप. क्र. 275/11 की प्र.सू.रि. की प्रमाणित प्रतिलिपी प्र.पी– 143 है जो 4 पृष्टों में है।

55– अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि विवेचक डी.एस. बघेल द्व ारा थाना दिनारा को उनके यहां पर पंजीबद्ध अपराध क्र. 111/11 अंतर्गत धारा 34 आबकारी अधिनियम की एफ.आई.आर. की प्रमाणित छयाप्रति की मांग करने पर थाना दिनारा द्वारा अपराध पंजी प्र.पी–140 और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–141 प्रस्तुत किया था। प्र.पी–141 के अनुसार सोम डिस्टलरी की अवैध शराब परिवहन कम्पनी के कर्मचारी ओमप्रकाश पिता कमलेश द्वारा किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी प्रकार विवेचक ने थाना देवली जिला टोंक राजस्थान के द्वारा सोम डिस्टलरी की अवैध शराब परिवहन किये जाने पर अपराध पंजी प्र.पी–142 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी–143 प्रस्तुत किया था। सोम डिस्टलरी के द्वारा नियमित रूप से अवैध शराब परिवहन की जा रही थी, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–141 और प्र.पी–143 से दर्शित है।

56– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि प्रकरण के अनुसंधान में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री ए.साई मनोहर द्वारा आबकारी आयुक्त म.प्र. मोतीमहल ग्वालियर को भी पत्र लेख किया गया था जिसका जवाब दिनांक 19.01.12 को आबकारी आयुक्त म.प्र. मोतीमहल ग्वालियर द्वारा प्रेषित किया गया था। प्रमोद झा को दिनांक 28.01.12 को प्रेषित धारा 91 सी.आर.पी.सी. का पत्र प्र.पी– 144 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसे दिनांक 17.01.12 को प्रभारी अधिकारी मदन सिंह पंवार द्व ारा प्र.पी– 145 के द्वारा 2 पृष्टों में जानकारी दी थी। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी रायसेन द्वारा उसके पत्र क्र. 23.12.11 के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करायी थी जिसका पत्र प्र.पी– 146 है।

57– डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 18.11.12 एवं 28.03.12 को आबकारी आयुक्त दीव को पत्र लेख किये गये थे

जो प्र.पी– 147 व 148 है जिसमें उसके द्वारा उनके कार्यालय से जारी इम्पोर्ट परमिट के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। प्र.पी– 93 के अनुसार दमन दीव द्वारा एक्सपोर्ट परमिट सोम डिस्टलरी ब्रेबरीज को जारी किया गया था।

58– साक्षी एन.पी. सोलंकी (अ.सा.–26) ने उसके कथनों में बताया है कि दिनांक 30.03.2012 को आबकारी उपनिरीक्षक दीव के पद पर पदस्थ था। नूराला एन जीवानी दीव ने मध्यप्रदेश से शराब आयात करने का परमिट जारी किए जाने की मांग किया था। जिस पर हमने परमिट बनाकर डिप्टी एक्साइस कमिश्नर डी.एस. ठाकुर दीव को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया था। डिप्टी एक्साइस कमिश्नर से परमिट हस्ताक्षर होकर प्राप्त होने पर आवेदक को परमिट प्रदान किया गया था। आरक्षी केन्द्र बेटमा द्वारा अपने आवेदन दिनांक 28.03.2012 के माध्यम से उल्लेखित बिंदूओं पर जानकारी मांगे जाने पर उसने दिनांक 30.03.2012 को थाना प्रभारी बेटमा को लिखित में जानकारी उपलब्ध करवाया था। उसके द्वारा दी गई जानकारी का पत्र प्रपी–48 (जिसे प्र.पी–48ए पढा जावे) है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने थाना प्रभारी बेटमा को अपने कार्यालयीन पत्र प्र.पी–49 (जिसे प्र.पी–49ए पढा जावे) के माध्यम से इम्पोटर द्वारा इम्पोर्ट परमिट कमांक 191/2011–12 सरेंडर करने तथा इम्पोर्ट परमिट कमांक 195/2011–12 को डिटेन किए जाने के जानकारी प्रदान किया था। प्र.पी–48 के पत्र में थाना प्रभारी बेटमा को जानकारी दिया था कि परमिट कमांक 195/2011–12 जो की विभाग के द्वारा जारी किया गया से कंसाइन्मेंट सोम डिसलरी से प्राप्त नहीं हुआ था। परमिट कमांक 191/2011 जो कि विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2011 से 20.12.2011 तक वेलिड था। उक्त परमिट विभाग द्वारा जारी किया गया था। उस पर से भी कंसाइंमेंट प्राप्त नहीं हुआ था। परमिट कमांक 191/2011–12 जो की दिनांक 21.11.2011 को 1200 पेटी इंडियन मेट फॉरेन लिकर के लिए जारी हुआ था उसका चालान नम्बर 1438 जो की 22.11.2011 को भुगतान हुआ था जिसकी प्रति कार्यालयीन अभिलेख अनुसार लगाई है। भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा पर 56 रूपए प्रतिबल्क लीटर की दर से एक्साइस ड्यूटी पेड की गई थी जो चालान व परमिट नम्बर 191/2011–12 और परमिट नम्बर 195/2011–12 पर बी.एस. ठाकुर ने हस्ताक्षर किए थे।

59– एन.पी. सोलंकी ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि उसने श्री बी.एस.

T.S. Ravi
(Adv)

ठाकुर के साथ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर से परिचित है। दिनांक 21.12.2011 को तत्कालीन आबकारी उपायुक्त श्री बी.एस. ठाकुर द्वारा थाना प्रभारी बेटमा इंदौर को पत्र के माध्यम से परमिट क्रमांक 195/2011—12 के संबंध में लिखित में जानकारी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उपलब्ध कराई गई थी जो प्रपी—50 (जिसे प्र.पी—50ए पढा जावे) होकर उसके ए से ए भाग पर बी.एस. ठाकुर के हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानता है। प्रपी—50ए के पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि आयात परमिट क्रमांक 195/2011—12 दिनांक 28.11.2011 पर यह जानकारी दी गई थी कि उक्त परमिट आबकारी उपायुक्त के कार्यालय से जारी हुआ होकर छः प्रतियों में तैयार किया गया था जिस पर श्री बी.एस. ठाकुर आबकारी उपायुक्त दीव के हस्ताक्षर थे। पत्र के साथ परमिट की एक प्रति पुलिस को भेजी गई थी। पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया था कि उक्त परमिट सोम डिसलरीस एडं ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक जिला रायसेन मध्यप्रदेश के पक्ष में जारी किया गया था। पत्र के साथ पुलिस को आयात परमिट के मूल की पांच रिक्त ड्राफ्ट की प्रतियां निरस्त करके भेजी गई थी।

60— आरोपी पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि एन.पी. सोलंकी ने उनके कार्यालय से आयातक मैसर्स नूरूला एंड दीवानी द्वारा आयात परमिट क्रमांक 195/2011—12 प्र.पी—159 जारी करवाया गया था, जिसके आधार पर ही प्र.पी—55 के निर्यात परमिट से सोम डिस्टलरी द्वारा शराब का निर्यात किया जा रहा था। एक ही परमिट पर एक से ज्यादा बार शराब का निर्यात नहीं हो सकता था, क्योंकि आयातक के कार्यालय दमन दीव में पदस्थ आबकारी अधिकारी द्वारा कन्साईन्मेंट पहुंचने पर उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति निर्यातक के कार्यालय के आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जाती है। यदि एक से अधिक बार एक ही परमिट पर शराब आयात की गयी है, तो आयातक व दीव में पदस्थ आबकारी अधिकारी भी अवैध शराब के परिवहन का दोषी है। अभियोजन ने एक ही परमिट पर एक से अधिक बार शराब निर्यात करने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा वैध आयात परमिट पर वैध निर्यात परमिट तैयार कर शराब निर्यात की जा रही थी।

61— इसके विपरीत अभियोजन द्वारा तर्क किया गया है कि आयात परमिट प्र. पी—93 दिनांक 28.11.11 को जारी किया गया था, जो कि 27.12.11 तक के लिये था। आयात परमिट एक माह की अवधि के लिये इसलिये जारी करवाया गया था, ताकि एक

T.S. Rai (Adv)

ही नंबर के निर्यात परमिट से एक से अधिक बार अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा सके और इसीलिये कूटरचित परमिट तैयार किये गये थे, जिसकी प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की विवेचक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

62– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 25.01.12 को उपनियन्त्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को पत्र जारी किया गया था जो प्र.पी– 149 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसे आबकारी आयुक्त म.प्र. मोतीमहल ग्वालियर द्वारा दिनांक 02.02.12 को उसके पत्र दिनांक 01.02.12 के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करायी थी जो प्र.पी– 150 है। विवेचना में पुलिस अधीक्षक इंदौर को आबकारी आयुक्त म.प्र. द्वारा दी गयी जानकारी का पत्र प्र. पी– 151 है जिसमें उन्होंने लिखा था कि निर्यात परमिट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होकर शासन के राजस्व संबंधी दस्तावेज है। दिनांक 11.01.12 को वीरेन्द्र भरद्वाज को धारा 91 सी.आर.पी.सी. का दिया गया पत्र प्र.पी– 152 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 06.04.12 को आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर को धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत् नोटिस दिया था जो प्र.पी– 153 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसे दिनांक 29.05.12 को अमोलक सिंह छावड़ा उपायुक्त आबकारी राज्य उड़नदस्ता द्वारा म.प्र. भोपाल द्वारा 3 पृष्टों में जानकारी उपलब्ध करायी गयी थी जो प्र.पी– 154 है। उसे दिनांक 25.05.12 को उसके पत्र दिनांक 24.05.12 के संदर्भ में श्री बी.के. सक्सेना द्वारा जानकारी उपलब्ध करायी गयी थी जो प्र.पी– 155 है। शासकीय मुद्रणालय भोपाल से विवादित परमिट 10363 नंबर के नंबरिंग मशीन का नमूना प्राप्त किया था जो 3 पृष्टों में है जो प्र.पी– 156 है जिसके प्रत्येक पृष्ट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रकरण में आरोपी मदन सिंह से प्र.पी– 42 के अनुसार स्प्रिट के शुल्क जमा करने के बैंक चालान मूल 21 नग अलग–अलग दिनांक के व अलग–अलग राशि के जप्त किये थे जो प्र.पी– 164 है जो 21 पृष्टों में है। उसके द्वारा प्रकरण में आरोपी मदन सिंह से प्र.पी– 42 के अनुसार बीयर के शुल्क जमा करने के बैंक चालान मूल 45 नग अलग–अलग दिनांक के व अलग–अलग राशि के जप्त किये थे जो प्र.पी– 165 है जो कुल 45 पृष्टों में है।

63– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि जप्तशुदा परमिट बुक आर्टिकल ए–1 से आर्टिकल ए–9 से संबंधित समस्त आबकारी अधिकारियों के संबंध में

T.C.
S.Rai
(Adv)

जानकारी आबकारी विभाग से प्राप्त की गई थी तथा कंपनी के संबंध में कार्यालय कम्पनी रजिस्टार से तथा कंपनी के वित्तिय लेनदेन हेतु अधिकृत व्यक्तियों की जानकारी हेतु पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त की गई है। मामले में जप्त विवादित निर्यात परमिट फॉर्म एफएल 22 भाग दो में एक ही चालान नम्बर से कई निर्यात परमिट अलग–अलग समय में जारी कर शासकीय राजस्व की चोरी की गई है। जैसे विवादित निर्यात परमिट भाग दो 10363 प्र.पी–55 में उल्लेखित चालान क्रमांक 98 में उल्लेखित राशि 3888 दिनांक 14.11.2011 उक्त चालान नम्बर 98 अन्य विवादित काउंटर बुक में परमिट क्रमांक बी 10320 से 10383 तक कुल राशि 93,016 का भुगतान का उल्लेख है। जबकि चालान फॉर्म क्रमांक 98 में कुल 45000 रूपए जमा कर भुगतान किया गया है। इसी प्रकार चालान क्रमांक 71 दिनांक 29.09.2011 से पांच हजार रूपए बैंक में जमा किए गए हैं। इस चालन से अलग–अलग निर्यात परमिटों में कुल राशि 81 हजार रूपए भुगतान समायोजित किए जाने का उल्लेख है। आरोपियों द्वारा कम राशि बैंक में जमा कर उससे अधिक राशि के निर्यात शुल्क जमा कराने की गलत प्रविष्टि दर्शाकर शासन के राजस्व की चोरी कर अवैध लाभ प्राप्त किया है।

64– विवेचक डी.एस. बघेल ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि जप्ती पत्रक प्रपी–42 के अनुसार चालान क्रमांक 71 और 98 की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न किया है। आर्टिकल ए–1 में निर्यात परमिट बुक एफएल 22 में परमिट क्रमांक 10301 से 10319 तक चालान क्रमांक 71 से ही राशि जमा करने का लेख किया गया है जो 1350 रूपए का चालान था जिसका उपयोग 19 परमिटों में किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल ए–1 के परमिट 10320 से लेकर 10383 तक चालान क्रमांक 98 दिनांक 14.11.2011 का उल्लेख किया गया है। परमिट 10355 कैंसिल है। इसी प्रकार 10384 से 10400 तक चालान क्रमांक 106 का ही उल्लेख है। उसने विवेचना के दौरान मामले में जप्तशुदा परमिट बुको से उल्लेखित चालान नम्बर और राशि की एक सूची 27 पृष्ठों की तैयार कर अभियोग पत्र के साथ संलग्न की है जो प्रपी–99 है। जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है जिसमें कई परमिटों में एक ही चालान क्रमांक का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार बैंक में चालान जमा राशि का विवरण भी उसके द्वारा संग्रहीत कर प्रकरण में संलग्न किया गया है जिसकी सूची प्रपी–100 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

T.S. Rai (Adj)

65– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में बताया है कि विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि आबकारी अधिकारियों द्वारा विवादित निर्यात परमिट बी 10363 की भाग–2 एवं निर्यात परमिट एफ.एल. 22 की काउन्टर 9 एवं एक कोरी निर्यात परमिट बुक जिसकी मूल प्रति आबकारी आयुक्त ग्वालियर से विधिवत् शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से मुद्रित कराकर उनके कार्यालय रोजराचक रायसेन को प्रदान की गयी थी जिनको षडयंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से कूटकरण कर अन्य परमिट बुके एक ही नंबर की कई तैयार कर एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय से प्राप्त परमिट बुको को नष्ट किया है। कूटरचित परमिट बुक से शराब का परिवहन कर अधिक राशि जमा करने का उल्लेख किया, किन्तु चालान से शासन के खाते में कम राशि जमा कर शासन के राजस्व की चोरी कर अवैध लाभ प्राप्त किया है।

66– साक्षी राजेश अहूजा (अ.सा.–29) ने उसके कथनों में बताया है कि सितंबर 2013 से अतिरिक्त राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के पद पर पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ है। अतिरिक्त राज्य परीक्षक के पद पर रहते हुए उसने अब तक लगभग 550 प्रकरणों में दस्तावेजों का परीक्षण कर अपना अभिमत व्यक्त किया है। पुलिस अधीक्षक पश्चीम इंदौर के पत्र कमांक पु.अ/प/इं/2642/12 दिनांक 18.10.2012 एवं 2642ए/12 दिनांक 31.10.2012 के पत्रों के माध्यम से थाना बेटमा के अपराध कमांक 565/11 के दस्तावेज उसके कार्यालय में कमशः परीक्षण हेतु प्राप्त हुए थे। पुलिस अधीक्षक के उक्त दोनों पत्र प्रपी–52 एवं 53 हैं। दस्तावेजों की पावती रसीद दिनांक 02.11.2012 को जारी की गई थी जो प्रपी–54 है।

67– राजेश अहूजा ने आगे कथनों में बताया है कि प्रकरण में विवादित हस्ताक्षरों लिखावटों एवं प्रिंटेड फॉर्मस् को उसके द्वारा क्यू–1 लगायत क्यू–497, क्यू–27ए, क्यू–145ए, क्यू–374ए से क्यू–376 ए, क्यू–क्यू 63ए एवं क्यू–क्यू–1 से क्यू–क्यू900 तक चिंहित किया गया है। उक्त सभी विवादित हस्ताक्षर, लिखावटें एवं प्रिंटेड फॉर्म 9 फॉर्म एफएल 22 के रसीद कटटों की काउंटर फाईल की पुस्तकों में हैं। यह 9 पुस्तकें कमशः आर्टिकल ए–1 से ए–9 हैं। उक्त में से क्यू–1 एक पृथक् रसीद पर लाल घेरे में घेरी गई लिखावट एवं क्यू–139 लाल घेरे में घेरे गए हस्ताक्षर हैं। इस रसीद को क्यू–क्यू–63 चिन्हांकन किया गया है यह रसीद प्रपी–55 है। क्यू–396 एवं क्यू–397 एक परमिट की फोटोकॉपी है जिस पर रसीद कमांक 10356

अंकित है। जो प्रपी–56 है।

68– प्र.पी–56 को साक्ष्य में प्रस्तुत किये जाने पर बचाव पक्ष द्वारा इस आधार पर आपत्ति लिया गया था कि प्र.पी–56 छायाप्रति है और छायाप्रति के आधार पर हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। आपत्ति के अधीन प्र.पी–56 को साक्ष्य में प्रदर्श अंकित किया गया था। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की एम.सी.आर.सी. क्रमांक 431/14 अभय जैन विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य आदेश दिनांक 06.08.18 में अभिनिर्धारित किया गया है कि छायाप्रति के आधार पर हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा दिया गया प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः प्र.पी–56 की छायाप्रति के आधार पर राजेश अहूजा द्वारा जो निष्कर्ष दिये गये है, उन पर विचार नहीं कर शेष दस्तावेजों के संबंध में दिये गये निष्कर्ष को ही विचार में लिया जा रहा है।

69– राजेश अहूजा ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि क्यू–389 लगायत क्यू–393 लाल घेरे में घेरे गए हस्ताक्षर हैं जो रजिस्टर आर्टिकल 10 पर हैं। क्यू–27ए में लाल घेरे में लिखी लिखावट प्रपी–57 है जो कि चंचल गुड्स कैरियर की रसीद क्रमांक 543 है। दिनांक 19.01.2012 के आवेदन पर क्यू–394 एवं 395 हैं। यह आवेदन सहायक आयुक्त आबकारी जिला रायसेन को संबोधित है (यह आवेदन मदनसिंह पवार द्वारा लेख किया गया है) क्यू–374ए से 376ए अरिहंत नामक रजिस्टर जो कि आर्टिकल–10 है, के पृष्ठ क्रमांक 38 पर उपलब्ध हैं। प्रकरण में दिनकर सिंह के बताए गए नमूना हस्ताक्षरों एवं लिखावटों को उसके द्वारा ए–1 लगायत ए–76 अंकित किया गया है यह 76 पृष्ठिय नमूना प्रपी–58 है। दिनकर सिंह के बताए गए स्वभाविक हस्ताक्षरों एवं लिखावट को उसके द्वारा ए77 लगायत ए118 से चिन्हित किया गया है। यह स्वभाविक लिखावट व हस्ताक्षर सोम बियर एमपी के ट्रांसपोर्ट परमिट रसीद कट्टे क्रमांक 142101 से 142200 के मध्य उपलब्ध हैं। यह रसीद कट्टा आर्टिकल ए 11 हैं।

70– उमाशंकर शर्मा के बताए गए नमूना हस्ताक्षर व लिखावटों को उसके द्वारा बी–1 लगायत बी–62 से चिंहित किया गया है यह 62 पृष्ठिय नमूना प्रपी–59 है। प्रकरण में उमाशंकर शर्मा के बताए गए स्वाभाविक हस्ताक्षर एवं लिखावटों को उसके द्व ारा बी–63 लगायत बी–70 चिंहित किया गया है। यह स्वभाविक लिखावट व हस्ताक्षर सोम बियर एमपी के ट्रांसपोर्ट परमिट रसीद कट्टे क्रमांक 142101 से 142200 के मध्य

उपलब्ध हैं। यह रसीद कट्टा आर्टिकल ए 11 हैं।

71— राजेश अहूजा ने उसके कथनों में बताया है कि मोहनसिंह तोमर के बताए गए नमूना हस्ताक्षर व लिखावटों को उसके द्वारा सी—1 लगायत सी—186 से चिंहित किया गया है यह 186 पृष्ठिय नमूना प्रपी—60 है। प्रकरण में मोहनसिंह तोमर के बताए गए स्वाभाविक हस्ताक्षर एवं लिखावटों को उसके द्वारा सी—187 लगायत सी—336 चिंहित किया गया है। यह स्वभाविक लिखावट व हस्ताक्षर सोम बियर एमपी के ट्रांसपोर्ट परमिट रसीद कट्टे क्रमांक 142101 से 142200 के मध्य उपलब्ध हैं। यह रसीद कट्टा आर्टिकल ए 11 हैं। रामप्रसाद मिश्रा के बताए गए नमूना हस्ताक्षर व लिखावटों को उसके द्वारा आर—1 लगायत आर—6 से चिंहित किया गया है यह 6 पृष्ठिय नमूना प्रपी—61 है। रामप्रसाद मिश्रा के स्वाभाविक हस्ताक्षर आर—7 एवं आर—9 अरिहंत नामक रजिस्टर जो की आर्टिकल 10 में उपलब्ध है। आर—10 लगायत आर—18, 9 पृष्ठिय आवेदन कुल तीन पृष्ठ में उपलब्ध हैं। यह तीनों आवेदन पृथक पृथक प्रपी—62, 63 व 64 है। प्रकरण में रामप्रसाद मिश्रा के बताए गए स्वाभाविक हस्ताक्षर को उसके द्वारा आर—19 लगायत आर—112 से चिंहित किया गया है। यह स्वभाविक लिखावट व हस्ताक्षर सोम बियर एमपी के ट्रांसपोर्ट परमिट रसीद कट्टे क्रमांक 142101 से 142200 के मध्य उपलब्ध हैं। यह रसीद कट्टा आर्टिकल ए 11 हैं।

72— राजेश अहूजा ने उसके अग्रतर कथनों में बताया है कि वीरेन्द्र भारद्वाज के बताए गए नमूना हस्ताक्षर व लिखावटों को उसके द्वारा वी—1 लगायत वी—6 से चिंहित किया गया है यह 6 पृष्ठिय नमूना प्रपी—65 है। वीरेन्द्र भारद्वाज के स्वाभाविक हस्ताक्षर वी—7 से वी—23 अरिहंत नामक रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 37, 39, 40 व 41 पर उपलब्ध हैं जो की आर्टिकल 10 में उपलब्ध है। वी—24 लगायत वी—27 तीन पृष्ठों में उपलब्ध हैं जो तीनों आवेदन पत्र क्रमशः प्रपी—66 लगातय 68 है। प्रकरण में वीरेन्द्र भारद्वाज के बताए गए स्वाभाविक हस्ताक्षर को उसके द्वारा वी—28 लगायत वी—33 से चिंहित किया गया है। यह स्वभाविक हस्ताक्षर सोम बियर एमपी के ट्रांसपोर्ट परमिट रसीद कट्टे क्रमांक 142101 से 142200 के मध्य उपलब्ध हैं। यह रसीद कट्टा आर्टिकल ए 11 हैं। मदन पंवार के बताए गए नमूना हस्ताक्षर व लिखावटों को उसके द्व ारा एम—1 लगायत एम—6 से चिंहित किया गया है यह 6 पृष्ठिय नमूना प्रपी—69 है। मदन पंवार के स्वाभाविक हस्ताक्षर एम—7 से 1एम—14 हैं यह हस्ताक्षर 8 पृष्ठिय

दस्तावेजों पर उपलब्ध हैं, जो क्रमशः प्रपी–70, लगायत 77 हैं। कैलाश बंगाली के बताए गए नमूना हस्ताक्षर व लिखावटों को उसके द्वारा के–1 लगायत के–6 से चिंहित किया गया है यह 6 पृष्ठिय नमूना प्रपी–78 है। कैलाश बंगाली के स्वाभाविक हस्ताक्षर के–7 से के–22 अरिहंत नामक रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 36, 37 व 39 पर उपलब्ध हैं जो की आर्टिकल 10 में उपलब्ध है।

73– राजेश अहूजा ने कथनों में आगे बताया है कि प्रकरण में प्रीति गायकवाड़ के बताए गए नमूना हस्ताक्षरों को उसके द्वारा जी–1 लगायत जी–6 अंकित किया गया है यह 6 पृष्ठिय नमूना प्रपी–79 है। प्रीति गायकवाड़ के बताए गए स्वभाविक हस्ताक्षरों को उसके द्वारा जी–7 लगातय जी–76 से चिन्हित किया गया है। यह स्वभाविक हस्ताक्षर सोम बियर एमपी के ट्रांसपोर्ट परमिट रसीद कट्टे क्रमांक 142101 से 142200 के मध्य उपलब्ध हैं। यह रसीद कट्टा आर्टिकल ए 11 हैं। प्रकरण में संजय गुहे के बताए गए नमूना हस्ताक्षरों को उसके द्वारा एस–1 लगायत एस–6 अंकित किया गया है यह 6 पृष्ठिय नमूना प्रपी–80 है। संजय गुहे के बताए गए स्वभाविक हस्ताक्षरों को उसके द्वारा एस–7 लगातय एस–36 से चिन्हित किया गया है। यह स्वभाविक हस्ताक्षर सोम बियर एमपी के ट्रांसपोर्ट परमिट रसीद कट्टे क्रमांक 142101 से 142200 के मध्य उपलब्ध हैं। यह रसीद कट्टा आर्टिकल ए 11 हैं। प्रकरण में विवादित परमिट बुक क्रमांक 10901 लगायत 11000 में उपलब्ध रसीदों को उसके द्वारा क्यू–398 लगायत क्यू–497 चिंहित किया गया है परमिट बुक आर्टिकल ए–12 है। प्रकरण में मिलान हेतु भेजी गई परमिट बुक को उसके द्वारा एन–2 लगायत एन–101 चिंहित किया गया है। इन रसीदों पर क्रमांक 09601 लगायत 09700 अंकित 1 हैं। यह परमिट बुक आर्टिकल ए–13 हैं। एक अन्य नमूना रसीद जिस पर क्रमांक अंकित नहीं है। उसके द्व ारा एन–1 से चिंहित की गई है। जो प्रपी–81 है।

74– राजेश अहूजा ने उसके कथनों में बताया हे कि उक्त सभी दस्तावेजों का उसके द्वारा सावधानिपूर्वक एवं समग्रता से परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत उसकी राय है कि :–

01– जब विवादित दस्तावेजों क्यू–398 से 497 एवं क्यू–क्यू 1 से क्यू–क्यू 900 का परीक्षण एवं मिलान मानक दस्तावेजों एन–1 से एन–101 के बीच उपकरण वीएससी 6000 एचएस के विभिन्न प्रकाशों के अरेंजमेंट जैसे कि ट्रांसमिटेड, यूवी,

T (Rai) (Adj)

आईआर में किया गया तब निम्न तथ्य सामने आए –

i- बताए गए मानक दस्तावेजों एन–1 से एन–101 के बैगराउंड की सेक्यूरिटि प्रिंटिग की रंगत एवं फ्लोरोसेंस क्यू–398 से क्यू–497 एवं क्यू–क्यू 1 से क्यू–क्यू 900 के दस्तावेजों की रंगत एवं फ्लोरोसेंस से अलग है।

ii- बताए गए मानक दस्तावेजों एन–1 से एन–101 के बैगराउंड की सेक्यूरिटि प्रिंटिग क्यू–398 से क्यू–497 एवं क्यू–क्यू 1 से क्यू–क्यू 900 के दस्तावेजों की प्रिंटिंग से अधिक शॉर्पर है।

iii- बताए गए मानक दस्तावेजों एन–1 से एन–101 के कंटेंट की प्रिंटिंग कालापन लिए हुए हैं। जबकि क्यू–398 से क्यू–497 एवं क्यू–क्यू–01 से क्यू–क्यू–900 की प्रिंटिंग ग्रे कलर में हैं।

iv- बताए गए मानक दस्तावेजों एन–1 से एन–101 में उपर की ओर वर्टिकल लाइन तथा नीचे की ओर प्रिंटिंग टेबल की उपर की होरिजोंटल लाइन में गैप हैं। जबकि ऐसा गेप क्यू–398 से क्यू–497 एवं क्यू–क्यू–1 से क्यू–क्यू–900 में नहीं है।

v- क्यू–398 से क्यू 497 और क्यू–क्यू–1 से क्यू–क्यू–900 का पेपर ज्यादा ग्लेज्ड और मोटा है जब उसकी तुलना एन–1 लगायत एन–101 के पेपर से की गई।

02– उक्त सभी ऑबसर्वेशन इस तथ्य को उजागर करती हैं कि विवादित दस्तावेज क्यू–398 से क्यू–497 एवं क्यू–क्यू–1 से क्यू–क्यू–900 की प्रिंटिंग और पेपर की क्वालिटि मानक दस्तावेजों एन–1 से एन–101 से भिन्न है।

03– जब विवादित दस्तावेज क्यू–क्यू 63 एवं क्यू–क्यू 63ए का परीक्षण इस बात के मददेनजर किया गया कि विवादित दस्तावेज क्यू–क्यू–63 को क्यू–क्यू–63ए से फाडा गया है (अर्थात क्यू–क्यू–63, क्यू–क्यू–63ए का अंश भाग था) निम्न तथ्य सामने आये –

i- विवादित दस्तावेज क्यू–क्यू–63 में सेरेटेड एजेज अनुपस्थित है और एक सार्प कट बांयी ओर किया हुआ है।

ii- लाल घेरे में घेरी गयी विवादित लिखावट क्यू–1 (क्यू–क्यू–63 के

T.C.

मुख्य भाग पर लिखित) एवं क्यू–4 (क्यू–क्यू–63ए के मुख्य भाग पर लिखित) एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गयी है और यह विवादित लिखावट क्यू–1 एवं क्यू–4 मानक लिखावटों बी–1 से बी–70 (उमाशंकर शर्मा की बतायी गयी है) के लेखक द्वारा लिखी गयी है। दोनों विवादितों क्यू–1 एवं क्यू–4 की लिखावटों की स्याही की रंगत और फ्लोरोसोंस भी समान है।

iii- लाल घेरे में घेरे गये विवादित हस्ताक्षर क्यू–139 (क्यू–क्यू–63 के मुख्य भाग पर लिखित) एवं क्यू–147 (क्यू–क्यू–63ए के मुख्य भाग पर लिखित) एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की गई है और यह हस्ताक्षर मानक हस्ताक्षरों आर–1 से आर–112 (आर.पी. मीश्रा के बताए गए है) के लेखक के द्वारा ही हस्ताक्षरित हैं। दोनों विवादितों क्यू–139 एवं क्यू–147 की लिखावटों की स्याही की रंगत और फ्लोरोसोंस भी समान है।

04– उक्त लिखित तथ्यों के आधार पर यह उपसंहारित किया जा सकता है कि क्यू–1 और क्यू–4 एक ही लेखक द्वारा एक ही आभा की स्याही से लिखा गया है। साथ ही क्यू–139 एवं क्यू–147 भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिमिलर आभा की स्याही से लिखा गया है। किंतु सेरेटेड एजेस की अनुपस्थिति होने से क्यू–क्यू–63 को क्यू–क्यू–63 ए से फाड़े जाने के संबंध में कोई राय नहीं दी जा सकी है।

05– जब विवादित दस्तावेजों क्यू–396 एवं क्यू–397 का परीक्षण एवं मिलान दस्तावेज क्यू–क्यू–56 से इस बात के मद्देनजर किया गया कि उक्त दस्तावेज क्यू–396 एवं क्यू–397, क्यू–क्यू–56 द्वितीय काउंटर फाइल की छायाप्रति हैं अथवा नहीं। निम्न तथ्य सामने आए :–

i- क्यू–396 एवं क्यू–397, क्यू–क्यू–56 की द्वितीय काउंटर फाइल पर आच्छादित नहीं होता है।

ii- क्यू–क्यू–56 की द्वितीय काउंटर फाइल पर 9 सील उपलब्ध हैं उनमें से तीन दिनांक "08 दिसम्बर 2011" के हैं। पांच चौकोर और एक गोलाकार आकृति लिए हुए हैं। सभी सील इंप्रेशन की आपसी लोकेशन क्यू–क्यू–56 में क्यू–396 एवं क्यू–397 से अन्य प्रिंटेड मेटर से एक–दूसरे से भिन्न पाई गई है।

iii- क्यू–34 के ए से ए भाग का कंटेंट क्यू–396 की लिखावट से लगभग

TSR (Adv)

समान हैं लेकिन उनकी आपसी स्थिति क्यू–34 और क्यू–396 की स्थिति और कंटेंट की लोकेशन से भिन्न है। क्यू–396 और क्यू–34 की लिखावट एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है।

iv- क्यू–397 की छायाप्रति में क्यू–397 का हस्ताक्षर भी है जबकि ऐसा हस्ताक्षर क्यू–क्यू–56 की द्वितीय काउंटर फाइल पर उपलब्ध नहीं है। लाल घेरे में घेरा गया विवादित हस्ताक्षर क्यू–145, क्यू–145ए जो कि क्यू क्यू 56 की पहली और तीसरी काउंटर फाइल पर उपलब्ध हैं और क्यू–397 के हस्ताक्षर एक दूसरे से कंसिस्टेंस है और एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं।

06– उक्त तथ्यों से यह उपसंहारित होता है कि क्यू–396 एवं क्यू–397 के दस्तावेज क्यू–क्यू–56 के द्वितीय काउंटर फाइल की छायाप्रति नहीं है। क्यू–396 एवं क्यू–34 एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं, जिसके मानक ए–1 से ए–18 हैं। इसी प्रकार क्यू–397 एवं क्यू–145 ए एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है जिसके मानक हस्ताक्षर आर–1 से आर–112 हैं।

07– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर एवं लिखावटे बी 1 से बी 70 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर एवं लिखावटे क्यू–1 से क्यू–25 लेख की गई हैं।

08– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर एवं लिखावटे सी 1 से सी 336 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर एवं लिखावटे क्यू–52 से क्यू–77, क्यू–79 से क्यू–101, क्यू–103, क्यू–104, क्यू–106 से क्यू–108, क्यू–110 से क्यू–116, क्यू–118, क्यू–120 से क्यू–133, क्यू–135, क्यू–137 एवं क्यू–138 लेख की गई हैं।

09– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर आर–1 से आर–112 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर क्यू–139 से क्यू–149, क्यू–151 से क्यू–170, क्यू–173 से क्यू–212, क्यू–247, क्यू–397 (फोटोकॉपी) एवं कूय–145ए लेख की गई हैं।

10– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर एस–1 से एस–36 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर क्यू–213 से क्यू–246 एवं क्यू–248 से क्यू–293 लेख की गई हैं।

11– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर जी–1 से जी–76 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर क्यू–294 से क्यू–373 लेख की गई हैं।

12– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर के–1 से के–22 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर क्यू–375 से क्यू–381 एवं क्यू–374ए से क्यू–376ए लेख की गई हैं।

13– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर वी–1 से वी–33 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर क्यू–384 से क्यू–389 लेख की गई हैं।

14– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए मानक हस्ताक्षर एम–1 से एम–14 लेख किए गए हैं उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षर क्यू–390 से क्यू–393 एवं क्यू–395 लेख की गई हैं।

15– लाल घेरे में घेरे गए विवादित हस्ताक्षरों क्यू–26, क्यू–78, क्यू–102, क्यू–105, क्यू–109, क्यू–117, क्यू–119, क्यू–134, क्यू–136, क्यू–150, क्यू–171, क्यू–172, क्यू–374, क्यू–382, क्यू–383, क्यू–394 के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सका है।

16– उक्त अभिमत फोटोकॉपीड दस्तावेज के संबंध में उस स्थिति में सही है जबकि यह छायाप्रति मूल छायाप्रति की सत्य प्रति हो और ओरिजनल प्रति किसी लेखन उपकरण से लिखी गई हो।

75– उसका अभिमत चार पृष्ठों में है जो कि प्रपी–82 है। जिसके प्रत्यके पृष्ठ पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर और बी से बी भाग पर उसके कार्यालय की सील एवं संदर्भ कमांक अंकित है। उसकी राय के दस पृष्ठीय आधार उसकी राय के साथ संलग्न है जो प्रपी–83 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं बी से बी भाग पर उसके कार्यालय की सील एवं संदर्भ कमांक अंकित है। उसका अभिमत मय आधारों एवं समस्त मूल दस्तावेजों के उसके राजकीय परीक्षक के पत्र कमांक सीआईडी/क्यूडी/सीएक्स–573/12/399/14 दिनांक 07.10.2014 के पत्र के माध्यम से सीलबंद पैकेट में पुलिस अधीक्षक पश्चीम इंदौर की ओर प्रेषित किया गया था। यह अग्रेषण पत्र प्रपी–84 है जिसके ए से ए भाग पर उसके तत्कालीन राज्य

S. Raizada

परीक्षक श्री ए.के.पौराणिक के हस्ताक्षर है। उनके अधिनस्थ कार्य करने से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।

76– राजेश अहूजा ने जांच हेतु उसे भेजा गया प्र.पी–55 का परमिट, आर्टिकल ए–1 से आर्टिकल ए–9 तथा ए–12 की परमिट बुक जो कि प्रकरण में विवादित दस्तावेज है, को मिलान हेतु भेजे गये नमूना परमिट बुक आर्टिकल ए–13 की रसीद एन 2 लगायत एन 101 व विलास मंथनवार से प्राप्त नमूना रसीद प्र.पी–81 का उपकरण बी एस सी 6000 एच एस के मिलान किया, तो विवादित दस्तावेज व नमूना दस्तावेज की रंगत एवं फलोरोसेंस अलग होना, मानक दस्तावेजों की बेगग्राउंड सिक्योरिटी प्रिटिंग विवादित दस्तावेजों से अधिक सार्प होना मानक दस्तावेज के प्रिटिंग कालापन लिये होने और विवादित दस्तावेज की प्रिटिंग ग्रे कलर में होने, मानक दस्तावेज में उपर की ओर वर्टीकल लाईन तथा नीचे की ओर प्रिटिंग टेबल के उपर की होरीजेंटल लाईन में गेप होना पाया, जो कि विवादित दस्तावेज में नहीं था। उक्त सभी ऑब्जर्वेशन से विवादित दस्तावेज की प्रिटिंग और पेपर की क्वालिटी मानक दस्तावेज से भिन्न होने का अभिमत दिया है। उसने विवादित परमिट प्र.पी–55 को आर्टिकल ए–1 की बुक में से नहीं फाडा जाने का अभिमत इस आधार पर दिया कि प्र.पी–55 में सेरेटेड एजेज अनुपस्थित है और बांयी ओर सार्प कट किया हुआ है। उसके द्वारा आरोपियों के नमूना हस्ताक्षर, स्वीकृत हस्ताक्षर के आधार पर विवादित परमिट बुक में से उमाशंकर शर्मा, आर.पी. मिश्रा व अन्य आरोपीगण द्वारा अपनी हस्तलिपि में परमिट जारी किये जाने का अभिमत दिया है।

77– अभियोजन का पूरा मामला यह रहा है कि आरोपी प्रीति गायकवाड़, संजय गुहे, दिनकर सिंह, उमाशंकर, सुरजीतलाल, रामप्रसाद, मोहन सिंह, दीनानाथ, शैलेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र कुमार, मदन सिंह, कैलाशचंद्र, गुरूदर्शन ने शासन को राजस्व की सदोष हानि करने या सोम डिस्टलरीज या स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने के लिये कूटरचित परमिट बुक तैयार कर कूटरचित निर्यात परमिट व बिल्टी से 1200 पेटी अंग्रेजी शराब सोमडिस्टलरीज रोजराचक से दीव को परिवहन किया। अभियोजन का पूरा मामला विवेचक द्वारा जप्त विवादित परमिट प्र.पी–55, आर्टिकल ए–1 से ए–9 व आर्टिकल ए–12 के कूटरचित परमिट बुक पर निर्भर है। विवेचक ने जप्तशुदा आयात परमिट प्र.पी– 93 में एक्साईज ड्यूटी का उल्लेख नहीं होने से संदेह के आधार पर प्र.पी–55 का

निर्यात परमिट जप्त किया और विलास मंथनवार से प्र.पी–81 की तुलनात्मक जांच करवाया जिस पर विलास मंथनवार ने प्र.पी–55 का परमिट उनके मुद्रणालय से मुद्रित नहीं होने का अभिमत दिया। जांच के दौरान आर्टिकल ए–12 व आर्टिकल ए–1 से ए–9 के परमिट बुक की जांच करवाये जाने पर सभी परमिट बुक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से मुद्रित नहीं होने का अभिमत दिया गया। जप्तशुदा परमिट बुक आर्टिकल ए–1 से ए–9, ए–12 तथा विवादित परमिट प्र.पी– 55 की जांच नमूना परमिट प्र.पी– 81 व आर्टिकल ए–13 से करवाये जाने पर राजेश आहूजा परिक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के द्वारा अभिमत दिया गया कि विवादित दस्तावेज की प्रिंटिंग और पेपर की क्वालिटी मानक दस्तावेज से भिन्न है। विवादित परमिट बुक दिनकर सिंह, उमाशंकर, आर. पी. मिश्रा द्वारा लेख की गयी है।

78– आरोपी पक्ष का तर्क रहा है कि अभियोजन का संपूर्ण प्रकरण संभावनाओं व आशंकाओं पर आधारित है। अभियोजन का पूरा मामला विवेचक की साक्ष्य पर आधारित है। विवेचक ही फरियादी व विवेचनाकर्ता है। उसे आबकारी अधिनियम प्रावधानों का ज्ञान नहीं है फिर भी आबकारी अधिकारियों से अभिमत लिये बगैर जप्त दस्तावेजों के आधार पर आरोपीगण पर आरोप लगाया है। जहां तक डी.एस. बघेल के प्रकरण के फरियादी विवेचनकर्ता होने के संबधं में ली गयी आपत्ति का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायदृष्टांत स्टेट विरूद्ध जयपाल 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1762 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि संज्ञेय अपराध का अनुसंधान वह पुलिस अधिकारी करने में सक्षम है जो किसी सूचना के आधार पर प्र.सू. प्रतिवेदन लिखता है और अपराध पंजीबद्ध करता है वह अधिकारी अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है। आरोपीगण पर आरोपित अपराध संज्ञेय प्रकृति का है। तब ऐसी दशा में डी.एस. बघेल का प्र.सू.रि. लेखकर्ता व अनुसंधान अधिकारी होने से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि प्रकरण में भा.द.स. के अंतर्गत् किये गये छल व कूटरचना का आरोप है इसलिये आबकारी अधिकारियों से अभिमत लिये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

79– आरोपी पक्ष की ओर से यह भी बचाव लिया गया है कि जिस प्रकार करेंसी छापने के लिये मानक तय है और उसी मानक के अनुसार करेंसी नोट छापे जाते हैं। हस्तगत प्रकरण में परमिट बुक छापने का आबकारी विभाग द्वारा कोई मानक

Sd/- (Ad..)

तय नहीं किया गया था। इसलिये नमूना के मुताबिक विवादित परमिट के कागज व प्रिंटिंग की क्वालिटी नहीं होने से निर्यात परमिट की कूटरचना किया जाना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। आबकारी विभाग द्वारा परमिट बुक के मानक तय होने और मानक के विशेष विवरण होने की साक्ष्य नहीं दिया है। आबकारी विभाग द्वारा छपाई गयी 200 बुक की जांच नहीं करवायी गयी है। सभी 200 बुकों की जांच करवाये बगैर यह नहीं कहा जा सकता कि जप्त 10 बुक के कागज की क्वालिटी अलग है। प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारी ने भी यह नहीं बताया है कि किस मानक की बुक छापकर दिया था तब तक परमिट बुक के कागज की गुणवत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नमूना बुक कब और किस प्रिंटिंग प्रेस में छपी, इसका भी कोई विवरण नहीं दिया गया है। जिससे कि सैंपल बुक के कागज और प्रिंटिंग की गुणवत्ता की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। यदि जप्तशुदा परमिट बुक कूटरचित है तो मूल परमिट बुक कहां है और उन्हें जप्त क्यों नहीं किया गया है। इसकी साक्ष्य दिये बगैर जप्त परमिट बुक को कूटरचित होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। जप्तशुदा सैंपल बुक के कागजों की प्रिंटिंग में भी अंतर है।

80– आरोपी पक्ष ने उसके उपरोक्त बचाव के संबंध में संतोष बघेल (अ.सा. –10) के कथनों की ओर ध्यान आकर्षित कर तर्क किया है कि संतोष ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि 10 परमिट बुक जो वह संभागीय उपायुक्त कार्यालय भोपाल से लेकर आया था उनका कागज या उनकी गुणवत्ता का विशिष्ट विवरण क्या था और ना ही संभागीय उपायुक्त कार्यालय भोपाल का अभिलेख पेश किया गया जिसमें प्रदाय की गयी परमिट बुक की गुणवत्ता का उल्लेख हो। वस्तुतः संतोष के द्वारा संभागीय उपायुक्त कार्यालय से जप्तशुदा आर्टिकल ए–1 से ए–9 व ए–12 की परमिट बुक प्राप्त कर कार्यालय में प्रदान की गयी थी। संतोष विवादित परमिट बुक को ले जाने का वाहक मात्र है। वह विवादित परमिट बुक के कागज व प्रिंटिंग की गुणवत्ता का साक्षी नहीं है इसलिये उसके द्वारा प्राप्त की गयी परमिट बुक के कागज की गुणवत्ता व प्रिंटिंग के संबंध में कथन नहीं किये जाने से अभियोजन पक्ष कथन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

81– आरोपी पक्ष के द्वारा उनके बचाव के समर्थन में जहांगीर खान (अ.सा. –22) के कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया है जिसने केन्द्रीय मुद्रणालय

T.S. Rainadu

भोपाल से 200 निर्यात परमिट बुक ले जाकर कार्यालय में जमा की थी। आरोपी पक्ष ने तर्क किया है कि जहांगीर खान ने भी कथन में यह नहीं बताया कि किस गुणवत्ता व किस विवरण की परमिट बुक लाकर विभाग में दी थी। जहांगीर ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जिस परमिट पर जारीकर्ता अधिकारी द्वारा पदमुद्रा हस्ताक्षर कर दिये तो वह परमिट वैध परमिट होगा। जहांगीर ने प्रतिपरीक्षण में प्रकट किये गये तथ्य के आधार पर आरोपीगण द्वारा जारी परमिट उनके द्वारा सील व हस्ताक्षर द्वारा जारी किये जाने से वैध परमिट हो जाने का तर्क किया है। आरोपी पक्ष का यह तर्क भी इसलिये स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जहांगीर खान भी 200 निर्यात परमिट बुक का वाहक मात्र है। परमिट नियम अनुसार जारी किया जाये इसलिये ही निर्यात परमिट छपवाये जाते हैं। जारी किये गये निर्यात परमिट पर नियंत्रण बना रहे इसलिये आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्यात परमिट बुक छपवाकर आबकारी अधिकारियों को वितरित की जाती है अन्यथा फिर परमिट बुक छपवाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। परमिट बुक विभाग द्वारा छपवायी गयी होना चाहिए ना कि कूटरचित। तब ऐसी दशा में आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी सामान्य कागज पर सील व हस्ताक्षर कर दिये जाने से ऐसा दस्तावेज वैध परमिट नहीं हो जाता है। वस्तुतः प्रकरण में प्रश्न यह नहीं है कि आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी दस्तावेज पर सील व हस्ताक्षर कर दिये जाने से वह निर्यात परमिट बन जाता है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या आरोपीगण ने कूटरचित परमिट बुकें छपवाकर कूटरचित परमिट के आधार पर शराब का निर्यात किया और राज्य शासन को निर्धारित एक्साईज ड्यूटी विवादित चालान से जमा नहीं कर राजस्व की हानि पहुंचाया और स्वयं को या सोम डिस्टलरीज को अवैध लाभ पहुंचाया। उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के आलोक में देखे जाने पर जहांगीर खान के द्वारा की गयी इस स्वीकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि परमिट पर जारीकर्ता अधिकारी द्वारा पदमुद्रा व हस्ताक्षर कर दिये जाने से वह परमिट वैध परमिट हो जाता है।

82— आरोपी पक्ष की ओर से प्रदीप सिटोले (अ.सा.—23) के कथनों की ओर ध्यान आकर्षित कर यह तर्क किया गया है कि उसने 10 परमिट बुक प्राप्त कर स्टोर में रखी थी और आरक्षक संतोष बघेल को प्रदान किया था। आबकारी आयुक्त ग्वालियर से प्राप्त हुई 10 परमिट बुक के कागज की क्वालिटी व विशिष्ट विवरण के

संबंध में उसने कोई कथन नहीं किया है और ना ही किस विशिष्ट विवरण की पुस्तक प्राप्त हुई थी इसका कोई इंद्राज किया है जिसके अभाव में केन्द्रीय मुद्रणालय से प्राप्त कर सोम डिस्टलरीज रायसेन तक किस विशिष्ट गुणवत्ता की पुस्तक छापकर पहुंचायी गयी, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है। छापी गयी परमिट बुक के कागज की गुणवत्ता की साक्ष्य नहीं होने से कूटरचना का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। आबकारी अधिकारियों ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में पदमुद्रा व हस्ताक्षर कर परमिट जारी किये हैं इसलिये जप्त परमिट वैध है।

83– यह सही है कि अभिलेख पर परिक्षित किये गये साक्षियों ने उनके कथनों में निर्यात परमिट छापे जाने के लिये विभाग द्वारा कागज की गुणवत्ता व प्रिंटिंग को लेकर कोई मानक तय नही किया जाना बताया है। विलास मंथनवार ने भी उनके विभाग में छापे गये सामग्री को भेजे जाने के पूर्व प्रिंटिंग की कागज की क्वालिटी आदि का दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं होना बताया है। शासन द्वारा लिखित में ऐसा कोई स्पेशिफिकेशन नहीं दिया गया था कि कितनी मोटाई के कागज पर कितने गहरे या हल्के रंग से प्रिंट किया जाना है। स्वतः कथनों में बताया है कि नमूना प्रेषित किया जाता है उसी अनुरूप प्रिंटिंग की जाती है। नमूने से उसका आशय प्रिंट की जाने वाली इबारत और उसके प्रारूप से है। इस प्रकार आर्टिकल ए–1 से ए–9, ए–12 की विवादित परमिट बुक व आर्टिकल ए–13 के नमूना परमिट बुक जिस कागज पर छापी जाना थी उसकी क्वालिटी व प्रिंटिंग की क्वालिटी का कोई स्टैंण्डर्ड नहीं है किन्तु जप्तशुदा परमिट बुकें एक साथ एक ही समय पर छापी गयी थी इसलिये उनके कागज व प्रिंटिंग के गुणवत्ता एक ही होना चाहिए थी। जहां पर कि पूर्व से ही कोई मानक कागज की गुणवत्ता व प्रिंटिंग का तय नहीं किया गया था तब वहां पर एक साथ छापी गयी विभिन्न परमिट बुक को आपस में तुलना करना ही एकमात्र तरीका है। इसी अनुसार विवादित परमिट बुक को जब नमूना परमिट से विलास मंथनवार ने तुलनात्मक अध्ययन किया तो उसने विवादित परमिट प्र.पी–55 आर्टिकल ए–1 से ए–9 व आर्टिकल ए–12 को उनके मुद्रणालय से मुद्रित नहीं होने तथा प्र.पी– 81 व आर्टिकल ए–13 की परमिट बुक उनके मुद्रणालय से मुद्रित किये जाने का अभिमत दिया। इसी प्रकार प्रश्नास्पद प्रलेख परीक्षक राजेश आहूजा द्वारा जब विवादित परमिट प्र.पी–55, परमिट बुक आर्टिकल ए–1 से ए–9, आर्टिकल ए–12 को नमूना परमिट प्र.

T.C.
S. Rai
(Adv)

पी– 81 व आर्टिकल ए–13 के परमिट से बीएससी 6000 एचएस उपकरण से तुलना किया तो उसने भी जप्तशुदा विवादित परमिट व मानक दस्तावेज की क्वालिटी में भिन्नता पाया है।

84— आरोपी पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि एन.पी. सोलंकी (अ. सा.–26) आबकारी उप.नि. दीव ने प्र.पी–48 के पत्र के माध्यम से थाना प्रभारी बेटमा को जानकारी उपलब्ध करवाया था कि उनके कार्यालय से जारी आयात परमिट के माध्यम से ट्रक क्र. एम.पी.09 एच.एफ. 5185 से मदिरा निर्यात की जा रही थी। एन.पी. सोलकी के कथन से आबकारी विभाग दीव द्वारा जारी आयात परमिट के एवज में कोई अन्य मदिरा का परिवहन नहीं होना प्रमाणित हुआ है। ट्रक क्र. एम.पी.09 एच.एफ.5185 से आयात परमिट के आधार पर निर्यात परमिट बुक से परमिट जारी कर शराब का परिवहन किया जा रहा था। इसलिये एक परमिट के एवज में कई कूटरचित परमिट छापकर शराब का परिवहन किया जाना असत्य सिद्ध हो जाता है।

85— विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क किया गया है कि आयात परमिट प्र.पी– 159 दिनांक 28 नवम्बर 2011 को जारी किया गया था जो कि 27 दिसम्बर 2011 तक के लिये था जिसे 31.03.12 तक के लिये रिन्यू किया गया था। एक ही आयात परमिट का उल्लेख करते हुये अनेक कूटरचित परमिटों से एक्साईज ड्यूटी का भुगतान किये बगैर अवैध ढंग से शराब का परिवहन किया गया है जिससे संबंधित साक्ष्य संकलित किया जाना असंभव कार्य को करने की अपेक्षा किया जाना है। सोम डिस्टलरीज से अवैध रूप से शराब भेजे जाने पर थाना दिनारा जिला शिवपुरी में प्र.पी– 141 की व थाना देवली जिला टोंक में अवैध शराब परिवहन की रिपोर्ट प्र.पी– 143 की दर्ज की गयी थी।

86— प्रकरण में प्रस्तुत की गयी प्र.पी– 141 की रिपोर्ट आरोपी ओमप्रकाश पिता कमल के विरूद्ध दर्ज की गयी है। हस्तगत प्रकरण में हुई कार्यवाही के पश्चात् का आचरण भी सुसंगत तथ्य होने से प्र.पी–141 व 143 की प्र.सू.रि. से अवैध रूप से शराब परिवहन किये जाने का तथ्य प्रकट होता है।

87— एन.पी. सोलंकी ने कथन की कंडिका 7 में बताया है कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार एक्पोर्ट परमिट की 2 कॉपी ट्रांसपोर्टर एवं कैरियर को मदिरा गंतव्य स्थल पर पहुचाने के लिये दी जाती है और जब मदिरा निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है

T.S. Rai (Adj)

तब उसका निरक्षण कर मदिरा प्राप्त होने के तथ्य को उल्लेखित करते हुये एक प्रति आबकारी विभाग द्वारा हस्ताक्षरित व सील कर एक्साईज इंस्पेक्टर सोम डिस्टलरीज या निर्यातक को भेज दी जाती है और दूसरी प्रति आबकारी विभाग के अभिलेख में रखी जाती है। आरोपी पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि जप्तशुदा परमिट बुक की प्राप्ति अभिस्वीकृतियां आर्टिकल ए– 10 (जिसे आर्टिकल ए–10 ए पढ़ा जावे) व आर्टिकल ए– 11 है। निर्यात परमिट से भेजी गयी शराब गंतव्य स्थल से प्राप्त होने पर प्राप्ति अभिस्वीकृति निर्यातक को दी गयी है जिससे कि एक परमिट से एक ही बार शराब भेजे जाना दर्शित है। इसलिये कूटरचित परमिट से शराब का निर्यात किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। वस्तुतः आर्टिकल ए–10 ए व आर्टिकल ए–11 की प्राप्ति अभिस्वीकृति का परीक्षण विलास मंथनवार व प्रश्नास्पद प्रलेख अधिकारी राजेश आहूजा द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है। विवेचक ने प्राप्ति अभिस्वीकृतियां विवादित परमिट बुक की नहीं होना बताया है। राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख द्वारा आर्टिकल ए–10 ए व आर्टिकल ए–11 के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिये जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्राप्त हुई प्राप्ति अभिस्वीकृतियां जप्तशुदा विवादित परमिट बुक से जारी किये गये परमिट की है।

88– प्रमोद कुमार झा ने उसके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–10 में बताया है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय समय पर आसवानी कार्यालय के रिकार्ड का निरीक्षण किया जाता है निरीक्षण में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके संबधं में उचित कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। आसवानी कार्यालय का महालेखागार कार्यालय मध्यप्रदेश द्वारा नियमित ऑडिट किया जाता है। यह कहना सही है कि आबकारी आयुक्त के कार्यालय से संभागीय आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से आसवानी कार्यालय को जो परमिट बुक प्राप्त हुई, वह उसे उपलब्ध करवाए जाने पर उसने पुलिस को जप्त करवाई थी। प्रमोद झा द्वारा प्रतिपरीक्षण में किये गये कथनों के आधार पर बचाव पक्ष ने एक्साईज डयूटी की हानि को लेकर कूटरचना के आरोप निरर्थक हो जाने का तर्क किया है। आसवानी कार्यालय के अभिलेख का निरीक्षण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किये जाने का तर्क आरोपीगण के विशेष ज्ञान का तथ्य है, जिसे आरोपीगण द्वारा ही साक्ष्य में स्थापित किया जा सकता था। आसवानी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाये

जाने के संबंध में आरोपीगण द्वारा न तो आरोपी परीक्षण में और न ही साक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसी दशा में आरोपी पक्ष को उसके तर्क से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

89— आरोपी पक्ष की ओर से यह भी बचाव लिया गया है कि राजेश अहूजा ने उसके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—20 में विवादित दस्तावेज की मूल प्रति तुलना व विश्लेषण के लिये उपलब्ध नहीं करवाया जाना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—22 में स्टेण्डर्ड स्फेसिफिकेशन का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया जाना स्वीकार किया है। वस्तुतः परमिट बुक छापे जाने के लिये विभाग द्वारा मानक गुणवत्ता की कोई परमिट बुक पहले से तैयार कर नहीं रखी गयी थी, इसलिये राजेश अहूजा के समक्ष तुलना के लिये मूल प्रति उपलब्ध करवाया जाना संभव ही नहीं था। तब उसके लिये एकमात्र तरीका एक ही समय पर छापी गयी आर्टिकल ए—1 से आर्टिकल ए—9, ए—12 व ए—13 की परमिट बुक की तुलना करने का था। चूंकि परमिट बुक एक ही समय पर शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से छापी गयी थी, इसलिये मानक परमिट के अभाव में सुगम तरीका एक ही समय पर छापी गयी परमिट बुक की तुलना का ही था।

90— राजेश अहूजा ने उसके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—27 में स्वीकार किया है कि कागज की प्रिंटिंग पर मौसम, वातावरण, तापमान, नमी, रोशनी इत्यादि का प्रभाव पडता है। कण्डिका'—26 में स्वीकार किया है कि मानक दस्तावेज आर्टिकल ए—13 के आगे के कुछ पृष्ठों में स्वीकृति प्रिंटिंग और प्रिंट मेटर की स्याही गहरी आभा लिये हुये है, जबकि पीछे के पृष्ठों में यह स्याही फीकी आभा लिये हुये है, स्वतः कथनों में बताया है कि जब उसने परीक्षण किया था, जब यह रंग और आभा एकसमान थी, किन्तु संभवतः समय अंतराल क कारण पीछे के पृष्ठों की स्याही का ऑक्सीडेशन हो जाने से वह फीकी पडना प्रतीत हो रही है। आरोपी पक्ष के द्वारा तर्क किया गया है कि राजेश अहूजा ने आर्टिकल ए—13 के मानक दस्तावेज के पृष्ठों में प्रिंटिंग की स्याही में अंतर होना स्वीकार किया है। मानक दस्तावेज के परमिट में ही स्याही का अंतर है, इसिलये राजेश अहूजा द्वारा दी गयी रिपोर्ट से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। राजेश अहूजा द्वारा दी गयी रिपोर्ट निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। आरोपी पक्ष के द्व ारा किये गये तर्क में कोई सार नहीं है, क्योंकि विवादित परमिट बुक और मानक

परमिट बुक को जप्त किये जाने और साक्षी राजेश अहूजा के कथन दिनांक 08.04.23 के मध्य लगभग 12 वर्ष का अंतराल है। इतने लम्बे अंतराल में दस्तावेज की स्याही में अंतर आना स्वभाविक है। वस्तुतः राजेश अहूजा द्वारा जप्त विवादित परमिट बुक और नमूना परमिट बुक का परीक्षण किया गया था, उस समय आर्टिकल ए–13 की परमिट बुक के विभिन्न निर्यात परमिट में उसने स्याही का कोई अंतर नहीं पाया था।

91– विलास मंथनवार ने उसके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–6 में बताया है कि प्रभारी उप नियंत्रक के नाते उसका कार्य मैनेजमेंट का था। प्रिटिंक का काम सेक्शन होलडर और मशीन मेन्यू ओवरसियल देखते थे। मशीन में 200 से 250 की संख्या में थे। हर सेक्शन में एक–एक सेक्शन होलडर और ओवरसियल थे। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–8 में बताया है कि शासकीय मुद्रणालय में मुद्रित मटेरियल की डिलेवरी देने के पूर्व यह उल्लेखित नहीं किया जाता है कि प्रिंट हुआ मटेरियल कितनी गेस के कागज पर किस क्वालिटी के प्रिंट या किस मशीन पर प्रिंट हुआ था। विलास मंथनवार ने बताया है कि इतनी अधिक संख्या में प्रिंटिंग होती है कि प्रत्येक कागज का परीक्षण करके स्फेसिकफिकेशन नहीं लिखा जा सकता है। इसलिये स्फेसिफिकेशन और प्रिंट किये जाने वाले कागज का डिलेवरी के पूर्व मुद्रणालय में विवरण दर्ज नहीं किये जाने से अभियोजन पक्ष कथन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। विलास मंथनवार उप नियंत्रक के पद पर शासकीय मुद्रणालय भोपाल में कार्यरत रहा है। उप नियत्रंक के पदीय कार्य के दौरान उसे मुद्रित दस्तावेज की विशिष्टियों का पर्याप्त अनुभव रहा है। शासकीय मुद्रणालय द्वारा किये जाने वाले मुद्रण का कार्य उसके अधीन किया गया होने से उसके द्वारा अनुभव के आधार पर दी गयी रिपोर्ट पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

92– आरोपी पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपीगण ने विभाग द्वारा उन्हें प्रदत्त की गयी परमिट बुक पर पदमुद्रा व हस्ताक्षर कर परमिट जारी किये हैं। उनके द्वारा परमिट बुक की कूटरचना कारित नहीं की गयी है। छपायी के दौरान कागज की गुणवत्ता में आये अंतर के कारण परमिट बुक के कूटरचित करने का निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। आरोपी पक्ष के इस तर्क में भी कोई सार नहीं है, क्योंकि यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि परमिट बुक के मुद्रण में अलग–अलग कागज उपयोग किये जाने से कागज की गुणवत्ता में अंतर आया है, तब

T.S. Rai (Adv)

भी विलास मंथनवार ने यह स्पष्ट अभिमत दिया है कि विवादित परमिट बुक आर्टिकल ए–1 में मध्यप्रदेश शासन के मोनो में स्क्रीन का उपयोग किया गया है, जबकि शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित बुक के मोनो में स्क्रीन का उपयोग नहीं किया गया है। कागज की गुणवक्ता में अंतर हो सकता है, लेकिन उपयोग किये गये मोनो में स्क्रीन का उपयोग विवादित परमिट और नमूना परमिट को एक–दूसरे से अलग–अलग बनाता है। विवादित परमिट में मोनो में स्क्रीन का उपयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित परमिट शासकीय मुद्रणालय में मुद्रित नहीं किये गये हैं।

93– विलास मंथनवार ने उसके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–14 में स्वीकार किया है कि मुद्रणालय से प्रिंट की गयी सभी 200 बुके उसके समक्ष जांच हेतु नहीं लायी गयी थी। विवादित परमिट बुक की प्रिंटिंग शासकीय मुद्रणालय में भी हो सकती थी। शासकीय मुद्रणालय में सिक्योरिटी के पेपर पर या सिक्योरिटी के फीचर के साथ प्रिटिंग नहीं होती है। आरेापी पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि विलास मंथनवार द्वारा शासकीय मुद्रणालय में छापे हुये मटेरियल की विशिष्टि का विवरण नहीं बता सकता है, जिससे कि उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट से अभियोजन को सहायता प्राप्त नहीं होती है। आरोपी पक्ष के इस तर्क में भी कोई सार नहीं है, क्योंकि सोम डिस्टलरी रोजराचक को छपायी गयी 200 परमिट बुक में से सिर्फ 10 परमिट बुक प्रदान की गयी थी और वहीं 10 परमिट बुक प्रकरण में विवादित परमिट बुक है। तुलनात्मक अध्ययन के लिये समस्त 200 बुक से तुलना किया जाना आवश्यक नहीं है। आर्टिकल ए–13 की परमिट बुक ही इस हेतु पर्याप्त है।

94– आरोपी पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि परमिट बुक की छायाप्रति प्र.पी–56 भेजने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है। विवेचक ने प्रकरण को बल देने के लिये प्र.पी–56 की फर्जी छायाप्रति तैयार किया है और प्र.पी–55 के किनारो को स्वयं से काटकर सार्प बनाया है, ताकि आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य गठित कर सके। डी.एस. बघेल ने उसके प्रतिपरीक्षण में स्वयं से प्र. पी–55 के किनारो को सार्प बनाये जाने के सुझाव से इंकार किया है। प्र.पी–56 की छायाप्रति प्र.पी–19 के पत्र के साथ राहुल मीणा नामक व्यक्ति द्वारा भेजी गयी थी, जो कि कभी भी विवेचक के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। प्र.पी–56 डाक से भेजा गया है, जिससे स्पष्ट है कि भेजने वाले ने अपनी वास्तविक पहचान को छिपाकर छदम नाम से

T.S. Rai (Adv)

प्रेषित किया था। इसलिये ऐसे अज्ञात व्यक्ति को ढूढकर प्र.पी–56 के संबंध में साक्ष्य संकलित किया जाना असंभव कार्य करने की अपेक्षा रखा जाना है।

95– आरोपी पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि डी.एस. बघेल ने उसके प्रतिपरीक्षण में आबकारी विभाग द्वारा आरोपी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं किये जाने, एक्साईज डयूटी की हानि होने की कोई शिकायत नहीं किये जाने तथा आबकारी अधिकारियों से विवेचक द्वारा सलाह नहीं लेना बताया है। आबकारी विभाग द्व ारा आरोपीगण पर आपराधिक कृत्य का आरोप नहीं लगाया है, तब विवेचक द्वारा आरोप लगा देने से आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। आरोपी पक्ष के इस तर्क में भी कोई सार नहीं है, क्योंकि दाण्डिक विचारण को कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है।

96– आरोपी पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि आबकारी अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन संस्थित करने के लिये अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गयी है, जिससे धारा 197 दप्रस के अनुसार उनके विरूद्ध अभियोजन संचालित नहीं किया जा सकता है। आरोपीगण पर धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.स. का आरोप है। दस्तावेजों की कूटरचना कारित किया जाना और कूटरचित दस्तावेजों को छल के प्रयोजन से उपयोग में लेना उनका पदीय कर्तव्य का कार्य नहीं है, इसिलये आबकारी विभाग के आरोपियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति अनुमति लिया जाना कतई आवश्यक नहीं है।

97– आरोपी पक्ष द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि उनके द्वारा पदीय कर्तव्य निर्वहन में विभाग द्वारा प्रदत्त परमिट बुक नियमानुसार पदमुद्रित व हस्ताक्षरित कर जारी किये हैं। उनके द्वारा परमिट बुक की कूटरचना नहीं की गयी है। तर्क के समर्थन में <u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय की क्रिमीनल अपील क्र. 359–360/2010 शीला सिबेसटियन विरूद्ध आर. जवाहर राज निर्णय दिनांक 11.05.18</u> प्रस्तुत किया गया है। उक्त क्रिमीनल अपील दस्तावेज पर प्रतिरूपेण द्वारा अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करने से संबंधित है, जबकि हस्तगत प्रकरण नमूना परमिट की गुणवक्ता से भिन्न गुणवत्ता के कागज पर कूटरचित परमिट तैयार करने के बारे में है। उपरोक्त तथ्यात्मक भिन्नताओं के कारण आरोपीगण को उपरोक्त आपराधिक अपील से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

98– धारा 463 भा.द.स. में कूटरचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है

जो कि किसी मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेज के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि 1– लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये या किसी दावे या हक का समर्थन किया जावे या इस आशय से रचता है कि कपट करें या कपट किया जा सके वह कूटरचना करता है। धारा 464 भा.द.स. में मिथ्या दस्तावेज रचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि उस व्यक्ति के बारें में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज रचता है पहला– जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को **रचता, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित** करता है कि यह विश्वास किया जावे कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग की रचना हस्ताक्षरण आदि ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना आदि ना होने की बात को जानता है। **2–** जो किसी दस्तावेज के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस दस्तावेज के रचित, निष्पादन किये जाने के पश्चात् उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना कपट पूर्वक करता है। इस धार के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी व्यक्ति में स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सके।

99– इस प्रकार कूट रचना के लिये किसी मिथ्या दस्तावेज की रचना लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के लिये अथवा कपट करने के लिये की जाती है मिथ्या दस्तावेज की रचना बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से की जाती है जिससे कि दस्तावेज प्राधिकार के व्यक्ति द्वारा रचे जाने का विश्वास करवाया जावे। ऐसा नहीं है कि दस्तावेज पर सिर्फ हस्ताक्षर या पदमुद्रा अंकित करना ही मिथ्या दस्तावेज रचना में आता है, बल्कि दस्तावेज की रचना भी इसके अंतर्गत आता है। विवादित परमिट शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से मुद्रित नहीं होना अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। विवादित परमिट आरोपीगण के आधिपत्य से जप्त किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा मिथ्या दस्तावेज की रचना की गयी है। मिथ्या दस्तावेज की रचना के लिये '' बेईमानी से '' को धारा 24 भा.द.स. में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करें या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करें, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। कपटपूर्वक को

T.S. Rai (Adv)

धारा 25 भा.द.स. में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।

100– इस प्रकार दस्तावेज की कूटरचना के लिये दस्तावेज की मिथ्या रचना या कपट के आशय से रचा जाना चाहिए। मिथ्या दस्तावेज की रचना के लिये उस दस्तावेज की रचना बेईमानी से या कपटपूर्वक यह विश्वास दिलाने के लिये की जावे कि दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से रचा गया है जिसके प्राधिकार से नहीं रचे जाने की जानकारी है। जब कभी कपट शब्द किसी अपराध की परिभाषा में आता है तो उस अपराध के लिये कम से कम दो तत्व आवश्यक हो जाते है प्रथम प्रवंचना या प्रवंचित करने का आशय और द्वितीय या तो वास्तविक या संभाव्य क्षति के जोखिम में डालने का आशय। आपराधिक प्रयोजनों के लिये यह जानने के लिये कि किसी प्रवंचना का स्वरूप कपटपूर्वक था या नहीं, एक व्यवहारिक निश्चायक कसौटी यह है कि क्या प्रवंचना करने वाले को इससे कोई ऐसा लाभ मिला था जो वह नहीं पा सकता यदि सच्चाई का पता हो तो ? यदि ऐसा है तो यह शायद ही संभव हो कि ऐसा लाभ किसी अन्य को बराबर की हानि ना पहुंचाये या हानि के जोखिम में ना डाले और यदि ऐसा है तो उसमें कपट है। कपट वंचित करने में प्रवंचित व्यक्ति को क्षति ऐसी भी हो सकती है जो आर्थिक या धनीय प्रकार की ना हो। जहां प्रवंचित करने का आशय होता है और प्रवंचना के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त करना होता है, वहां कपट है। कपट वंचित करने का आशय साबित करने के लिये यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे कपट वंचित किया गया हो। कपट वंचित करने का आशय तब साबित होता है जब प्रवंचना करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य कोई लाभ या लाभ की संभावना हो, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति या क्षति की संभावना हो।

101– डी.एस. बघेल ने उसके कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि आरोपीगण एक ही चालान क्रमांक से अनेक परमिट में एक्साईज डयूटी जमा करने का उल्लेख कर उससे कम राशि बैंक में जमा किया है। डी.एस. बघेल के इन कथनों से स्पष्ट है कि आरोपीगण ने शासन को राजस्व की हानि पहुंचाकर स्वयं अवैध लाभ अर्जित किया है। कथनों के समर्थन में उसके द्वारा चालान के दस्तावेज पेश किये हैं। परमिट बुक

T.C. S. Ravi (Adv)

पर अंकित चालान क्रमांक की राशि बैंक में जमा की गयी राशि से कम है।

102– आरोपी मदनसिंह और प्रीति की ओर से तर्क किया गया है कि मदनसिंह की सोम डिस्टलरी में दिनांक 31.12.11 को व प्रीति की दिनांक 16.11.11 को नियुक्ति हुई थी, जबकि घटना दिनांक 14.12.11 की है। मदन और प्रीति द्वारा कोई परमिट जारी नहीं किये गये हैं।

103– धारा 120–क भा.द.स. में आपराधिक षडयंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति (1) कोई अवैध कार्य , अथवा (2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है। इस धारा के अपराध के लिये यह आवश्यक तथ्य है **1–** ऐसे व्यक्तियों के बीच एक करार का होना आवश्यक है जो कि षडयंत्र के लिये अभिकथित है। **2–** यह कि वह करार ऐसा होना चाहिए जो कोई अवैध कार्य करने के लिये किया गया हो या **कोई ऐसा कार्य करने के लिये किया गया हो जो कि अपने में अवैध ना होते हुये भी अवैध साधनों द्वारा किया जाना है**। आपराधिक षडयंत्र के लिये मतैक्य आवश्यक होता है। धारा 120–बी भा.द.स. के अधीन दोषसिद्धी के लिये मात्र इस बात का सबूत पर्याप्त होता है कि किसी अपराध को करने के लिये अभियुक्त के साथ करार था। यह आवश्यक नहीं होता है कि षडयंत्र का हर एक और प्रत्येक सदस्य षडयंत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कोई खुला कार्य करें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से षडयंत्र बिल्कुल गुप्त रूप से रचा जाता है इसलिये अधिकतर मामलों में करार का निष्कर्ष निकालने के लिये पारिस्थितिक साक्ष्य ही उपलब्ध होती है। आर्थिक हानि षडयंत्र के अपराध के लिये अनिवार्य नहीं है। दूसरों के आर्थिक हितों को जोखिम में डालने का षडयंत्र करार के पक्षकारों के हेतुकों या अंतर्निहित उद्देश्यों पर ध्यान दिये बिना ही दंडनीय है। यद्यपि कोई अवैध कार्य करने अथवा कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा किये जाने का करार स्वयं अपने में षडयंत्र है और यह ना केवल तभी अपराध हो जाता है जबकि उसके लिये अंतिम रूप से कोई करार गठित हुआ था। कोई आपराधिक षडयंत्र, जब तक कि इसे गठित करने वाले लोग अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये एकमत होकर कार्य करना जारी रखते हैं, लगातार चलता रहता है। यह एक निरन्तर अपराध है। यह, ना केवल तभी एक अपराध हो जाता है जबकि पहले–पहल इसके संबंध में कोई

T.C. S Ravi (Adv)

करार किया गया था, वरन् जब तक कि विधि विरूद्ध उद्देश्य के लिये किया हुआ करार चलता रहता है तब तक यह अपराध भी चलता रहता है। यद्यपि कि मदन की नियुक्त घटना के पश्चात की है, किन्तु सोम डिस्टलरी से प्र.पी—55 के निर्यात परमिट के माध्यम से ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 से भेजी गयी शराब को आरक्षी केन्द्र बेटमा द्वारा अवैध परिवहन पाते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत भी उनके द्वारा विवादित परमिट बुक में से परमिट जारी किये गये हैं, जिससे कि उनका कूटरचित परमिट जारी करने के षडयंत्र में संलिप्त होना प्रमाणित है।

104— इस धारा के अधीन इस अपराध का यह कोई तत्व नहीं है कि सभी पक्षकार किसी एक ही अवैध कार्य को करने के लिये सहमत हो जायें। इस कार्य में कई कार्यों का किया जाना शामिल हो सकता है। जहां अभियुक्तों के बीच करार ही कोई ऐसा कार्य करने अथवा जारी करने का षडयंत्र हो जो कि अवैध है, यह बात तत्वहीन है कि अपराध के किये जाने को अग्रसरित करने के लिये किये जाने वाले कार्यों में से कोई पूर्ण अपराध की कोटि में नहीं आता है। समूचे करार पर उसे एक मान कर विचार किया जाना चाहिए और यह अभिनिश्चित करना चाहिए कि वास्तव में षडयंत्रकारियों का क्या कार्य करने का आशय था अथवा वे किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। यह भी जरूरी नहीं है कि किसी षडयंत्र का प्रत्येक सदस्य एक—दूसरे के और साथ ही षडयंत्र के समस्त ब्योरों के विषयों में आवश्यक रूप से जानते ही हो। इसिलये प्रीति व मदन की ओर से किया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

105— षडयंत्र सदैव छिपाकर किया जाता है। किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य का ढूंढ़ निकालना कठिन होता है। तब षडयंत्र का परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाता है। षडयंत्र का निष्कर्ष उन परिस्थितियों से भी निकाला जा सकता है जिस किसी अपराध के किये जाने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक करार का निश्चायक या अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता हो। अपराध षडयंत्र को साबित करने के लिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के साथ देखा जाता है। धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्रकार है कि " जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि .... पक्षकार था। " चूंकि षडयंत्र प्रायः अत्यंत गोपनीयता से रचा जाता है, उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित करना अधिकतर असंभव ही होता है। इसका तो बहुधा

T.S. Rai (Adj)

षडयंत्र के पक्षकारों के कार्यों , कथनों तथा आचरण से ही अनुमान करना होता है। (देखे भगवानदास 1974 सी.आर.एल.जे. 75 (एस.सी.))। इस प्रकार यदि यह साबित किया गया हो कि अभियुक्तों ने अपने कार्यों द्वारा एक ही उद्देश्य को बहुधा एक ही प्रकार के साधनों से प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें कि उसी कार्य का एक भाग तो एक ने तथा दूसरा भाग दूसरे व्यक्ति ने पूरा किया है, जिससे उनका उद्देश्य जिसे वे प्राप्त करना चाह रहे थे पूर्ण हो जाये, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिये स्वतंत्र है कि उन सब लोगों ने इस उद्देश्य को प्रभावी बनाने में एक दूसरे के साथ मिलकर षडयंत्र किया था।

106– अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि प्र.पी–55 का निर्यात परमिट, आर्टिकल ए–1 का निर्यात परमिट बुक, आर्टिकल ए–12 की निर्यात परमिट बुक कूटरचित दस्तावेज है। कूटरचित परमिट की ईबारते दिनकर, उमाशंकर, आर.पी. मिश्रा व अन्य आरोपीगण द्वारा लेख की गयी है, जिससे कि उन सबका अवैध लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य परिलक्षीत होता है। आरोपी सुरजीतलाल, गुरूदर्शन अरोरा, शैलेन्द्रसिंह, दीनानाथसिंह की ओर से तर्क किया गया है कि उनका फैक्ट्री के दिन–प्रतिदिन के कार्य में कोई भूमिका नहीं है। उनके द्वारा मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। उनके मैनेजमेंट में होने के आधार पर परमिट के कूटरचना में उनके संलिप्त नहीं होने का तर्क किया गया है। यह तर्क कि मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में दिन–प्रतिदिन के कार्य मैनेजमेंट के निर्देश पर ही निष्पादित किये जाते हैं।

107– अतः अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक 14.12.11 या उसके लगभग आरोपीगण उमाशंकर, दिनकर, मोहनसिंह, रामप्रसाद, के.सी. बंगाली, मदनसिंह, प्रीति कायकवाड, दीनानाथसिंह, शैलेन्द्रसिंह, गुरूदर्शन एवं सुरजीतलाल ने मिलकर या सहमत होकर निर्यात परमिट कमांक 10363, ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 की बिल्टी और अनेकोनेक परमिट बुक कूटरचित करने का अवैध कार्य अवैध साधनों से करने के लिये आपराधिक षडयंत्र रचा, बेईमानीपूर्वक स्वयं को या सोम डिस्टलरी को सदोष लाभ पहुंचाने के लिये तथा शासन को सदोष हानि कारित करने के लिये धोखे से प्रवंचित कर निर्यात परमिट क. बी 10363 कूटरचित बनाकर 1200 पेटी शराब सोम डिस्टलरी रोजराचक से दीव के लिये परिवहन कर छल कारित किया, निर्यात परमिट क. 10363, ट्रक क. एम.पी.

09 एच.एफ. 5185 की 1200 पेटी शराब की फर्जी ट्रासपोर्टर की फर्जी बिल्टी बनायी तथा एक ही निर्यात परमिट फार्म एफ एल 22 की कई कूटरचित प्रतियां तैयार किया, कूटरचित परमिट, फर्जी बिल्टी व अनेकानेक फर्जी परमिट छल करने के लिये कूटरचना किया तथा यह जानते हुये कि परमिट, बिल्टी व परमिट बुक कूटरचित है, उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से असल के रूप में उपयोग में लेकर सोम डिस्टलरी से अवैध मदिरा का परिवहन कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लेकर किया। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण संतोष व ओमप्रकाश ने 14.12.11 को 20:15 बजे या उसके लगभग महू–नीमच रोड घाटाबिल्लोद पर ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 में 1200 पेटी अंग्रेजी शराब ब्लूचिप व्हिस्की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर उसका परिवहन किया।

108– अतः यह न्यायालय आरोपी उमाशंकर, दिनकर, मोहनसिंह, रामप्रसाद, के. सी. बंगाली, मदनसिंह, प्रीति कायकवाड, दीनानाथसिंह, शैलेन्द्रसिंह, गुरूदर्शन एवं सुरजीतलाल को धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भा.द.स. के अपराध में तथा आरोपी संतोष व ओमप्रकाश को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

109– दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय लेखन थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

(निलेश यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.)

पुनश्च :–

110– सजा के बिंदु पर विद्वान अपर लोक अभियोजक, आरोपीगण और उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरोपीगण प्रथम अपराधी है। उनका पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें न्यूनतम दंड से दंडित किया जावे। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आरोपीगण द्वारा कारित अपराध सामान्य श्रेणी का अपराध नहीं होकर घोटाले के समरूप होने से आरोपीगण को अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

111– आरोपी सुरजीतलाल की वर्तमान आयु 80 वर्ष करीब है। आरोपी गुरूदर्शन, मदनसिंह, के.सी. बंगाली, रामप्रसाद मिश्रा की आयु भी 65 वर्ष से अधिक है। आरोपीगण द्वारा तकरीबन 12 वर्ष से विचारण का सामना किया जा रहा है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आरोपीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध अपराध में दंडादेश देती है कि :–

आरोपी का नाम	**दोषसिद्ध धारा**	**दंडादेश**	**अर्थदंड**	**अर्थदंड के संदाय में व्यतिकम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त सश्रम कारावास**
1– उमाशंकर 2– दिनकर 3– मोहनसिंह 4– रामप्रसाद 5– कैलाशचंद्र 6– मदनसिंह, 7– प्रीति 8–दीनानाथसिंह, 9– शैलेन्द्रसिंह, 10– गुरूदर्शन 11–सुरजीतलाल	420 भा.द.स.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/–रू.	01 माह
	467 भा.द.स.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/–रू.	01 माह
	468 भा.द.स.	3 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/–रू.	1 माह
	471 भा.द.स.	6 माह का सश्रम कारावास	100/–रू.	7 दिवस
	120बी भा.द.स.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/–रू.	01 माह
1– संतोष 2– ओमप्रकाश	34(2) म.प्र. आबकारी अधि.	01 वर्ष का सश्रम कारावास	25000/–रू.	03 माह

112– आरोपीगण उमाशंकर, दिनकर, मोहनसिंह, रामप्रसाद, के.सी. बंगाली, मदनसिंह, प्रीति कायकवाड, दीनानाथसिंह, शैलेन्द्रसिंह, गुरूदर्शन एवं सुरजीतलाल की उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

113– आरोपीगण की निरोध अवधि की तालिका अंतर्गत् धारा 428 द.प्र.स. तैयार की जावे। आरोपीगण द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि उनके द्वारा

कारावास में व्यतीत अवधि में समाहित की जावे। आरोपीगण का सजा वारंट बनाया जावे।

114— आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते हैं। धारा 437—क द.प्र.स. के पालन में प्रस्तुत जमानत 06 माह के लिये प्रभावशील रहेगी।

115— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 एवं जप्तशुदा 1200 पेटी अंग्रेजी शराब के राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर इंदौर के समक्ष विचाराधीन होना अभिलेख से प्रकट है। अतः उक्त ट्रक व शराब का निराकरण जिला कलेक्टर इंदौर के आदेश के अधीन रहेगा।

116— प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज कूटरचित होना पाये गये हैं, अतः दस्तावेज मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

117— आरोपी पक्ष को द.प्र.स. की धारा 363 के अंतर्गत् निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित ।

(निलेश यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर
जिला इंदौर (म.प्र.)

(निलेश यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर
जिला इंदौर (म.प्र.)

NILESH YADAV

Digitally signed by NILESH YADAV
Date: 2023.12.23 16:41:54 +0530